श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव
चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन यू० पी०
भूतपूर्व अध्यक्ष यू० पी० हिस्ट्राउल बिल्डिर्स एंड सोसाइटी

प्राक्कथन

भारतवर्ष में अपराधशील जातियों का पाया जाना एक विचित्र समस्या है। केन्द्रीय योरुप के कतिपय देशों की कुछ गृहविहीन जातियों के अतिरिक्त जिनका स्वभावतः भ्रमणशील होते हुये भी अपराधशील होना आवश्यक नहीं है, संसार के किसी देश के किसी जाति या वर्ग से भारतवर्ष की अपराधशील जातियों तथा कौमों की समानता नहीं की जा सकती। संसार में अपराधीगण प्रत्येक स्थान में पाये जाते हैं और प्रायः हम देखते हैं कि अपने दुष्कृत्यों को सफलता पूर्वक चलाने के लिये वे सम्मिलित हो जाते हैं और दल बना लेते हैं, किन्तु इस प्रकार के अपराधियों में अपराधशीलता के अतिरिक्त कोई बात समान नहीं होती है। अपराधी उन व्यक्तियों को कहते हैं जो समाज में निभकर नहीं चल सकते और जो कुछ जान्मिक एवं वातावरण के कुचक्रों से बाधित होकर अपराध करने लगते हैं। इसके विपरीत हम यह देखते हैं कि अपराधशील जातियों के व्यक्ति पारस्परिक रूप से निभकर चलते हैं, उनकी अपनी निज की मान मर्यादा होती है, उनकी अपनी जातीय पंचायत होती

है जिसके निर्णय अंतिम और प्रत्येक के लिये शिरोधार्य होते हैं। उनकी अपनी गुप्त बोली होती है। उनके अपने विचित्र आचार और व्यवहार होते हैं। उनको अपनी निज की अपराधशैली होती है जिसका वह पूर्णतः पालन करते हैं और अपनी संतानों को भी उसकी उसी प्रकार शिक्षा देते हैं जिस प्रकार कोई अन्य औद्योगिक जातिवाला व्यक्ति अपना उद्योग धंधा अपनी संतान को सिखाता है। लूट मार से प्राप्त सामिग्री के वितरण करने की उनकी अपनी ही विचित्र योजना होती है, और एक प्रकार के व्यापक सामाजिक बीमा द्वारा वे अपने जाति के वृद्ध एवं उन व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता देते हैं। जो अपराध करने के कारण मृत्यु, चोट या कारावास को प्राप्त होते हैं। सामाजिक रूप से अपराधशील जातियों के व्यक्ति आपस में मेल से रहते हैं किन्तु उनकी जातियाँ तथा कौमें उस साधारण समाज से वैर एवं भीषण रूप से द्वेष रखती हैं जिन पर उनके सदस्य आक्रमण किया करते हैं और बहुधा उस दण्ड के भागी होते हैं जो समाज के प्रतिकूल आचरण करने वालों के लिए निर्धारित किया जाता है।

पिछली कई शताब्दियों से अपराधशील जातियों की समस्या का कोई हल अधिकारीगण नहीं निकाल सके हैं। कब और कैसे यह जाति और कौमें बनीं और इन्होंने किस प्रकार अपराध ही को उद्यम के रूप में अपनाया, इसका पर्याप्त रूप से अनुसंधान नहीं किया गया है। क्या इनके वंश विशेष में कोई

खराबी है। क्या इनकी बाह्य परिस्थितयों में कोई कमी है। क्या इनको अपराध के अतिरिक्त जीवन निर्वाह के अन्य साधन उपलब्ध हैं। यह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर कभी भी जाँच नहीं की गई है। इसके विपरीत समाज और सरकार ने एक विशेष कानून इन लोगों के लिये लागू कर दिया है। डण्डे से वस में करने का प्रयत्न किया गया है। पन्द्रह वर्ष की आयु पहुँचने पर चाहे जैसा उनका आचरण हो उनकी रजिस्ट्री का नियम बनाया गया है। उनके ऊपर यातायात सम्बन्धी एवं रात की निगरानी के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। उनको नौआबादियों में बसाया गया और बन्द रखा गया। यहाँ उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाये गये। किन्तु उनकी जीविका या रोजगार का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। अपराध के लिये कठोरता दण्ड एवं कानून के समक्ष भेद भाव पूर्ण बर्ताव उनके भाग्य मे रखा गया है। यह प्रणाली ७० वर्ष से जारी है और यद्यपि यह कुछ अंश में इनके अपराधवृत्ति को कम करने में सहायक हुई है किन्तु इस प्रणाली द्वारा इनका कोई भी सुधार न हो सका और वह इन्हे समाज में पुनः मिला सकने मे असफल ही रही और इस असफलता का कारण अपराधियों के प्रति हमारा प्रचलित दोषपूर्ण व्यावहार है जिसके द्वारा हमने इन प्रत्यक्ष अपराधियों के लिये दण्ड तो निर्धारित कर दिया है किन्तु उन अपराध के पीछे छिपे हुये मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कारणों पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया है। यदि किसी बीमारी का

तथा उनको समाज में फिर से बसा लेने का कार्य कर रहे हैं। हमारी एक प्रोबेशन प्रणाली है जिस पर अभी प्रयोग किया जा रहा है, हमारी एक पैरोल प्रणाली है जिस पर ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ एक रिक्लेमेशन विभाग है जो अपराधशील जातियों के पुनरुत्थान का कार्य कर रहा है। बच्चों के एक्ट बनाने तथा बास्टल संस्था स्थापित करने की भी आवश्यकता है। किन्तु इन विभागों की कार्यवाहियों पर कोई नियंत्रण तथा उनमें कोई सामन्जस्य नहीं है। सरकार के विचारार्थ में यह सुझाव प्रस्तुत करता हूँ कि इन प्रथम विभागों की कार्यवाहियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये तथा उनको निर्देश देने एवं कार्यवाही की एक निश्चित योजना तैयार करने के लिये एक सामजिक पुनर्वासन विभाग स्थापित किय जाय।

श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव

भूमिका

· 'अपराधशील जातियों' के नीरस और कठिन विषय पर अत्यन्त भावुकता एवम् सरसता पूर्ण शैली में एक सारगर्भित पुस्तक लिखने की सफलता पर मैं उसके लेखक श्री प्रकाश नारायण सक्सेना हार्दिक बधाई देता हूँ। अपराधशील जातियों का विषय यद्यपि अपना विशेष महत्व रखता है तथापि हमारे समाज ने उसकी सदैव अवहेलना की, क्योंकि प्रायः हमारा विश्वास सा हो गया है कि 'अपराधी' एक विशेष जाति है जिसके प्रति हमें उपेक्षा और घृणा रखना चाहिये। हमारा उनसे अपना कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। कुछ व्यक्तियों की धारणा तो यहाँ तक बन गई है कि वे अपराधियों को जन्म-सिद्ध अपराधी मानते हैं और समझते हैं कि ईश्वर ने ही उनको अपना कोप भाजन बनाकर इस जाति विशेष में जन्म दिया है। अस्तु कोई भी लेखक जो इन उपेक्षित अपराधियों की समस्या पर अपने सार्थक और मूल विचार प्रकट करता है। वास्तव में यथेष्ट प्रोत्साहन का अधिकारी है। मेरे विचारों में यदि इस समस्या का सुचारु रूप से अध्ययन किया जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि इन अपराधियों को अपराधी बनाने का सारा दोष हमारा ही है क्योंकि हमने किसी ऐसे समाज का

निर्माण नहीं किया जिनमें किसी को जन्मसिद्ध अपराधी न समझा जाता और प्राणी मात्र को जीवन में पूर्ण उन्नति और समृद्धिशाली बनने का खुला और समान अवसर दिया जाता। श्रीयुत प्रकाश नारायण जी ने हमारी इस बड़ी कमी को पूरा किया है। उन्होंने अपराधशास्त्र तथा दंडशास्त्र की समस्याओं का वैज्ञानिक आधार पर विस्तृत वर्णन और विवेचन किया है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में हमें इन भिन्न जातियों के जीवन का पूरा ज्ञान कराने के लिये यथेष्ट सामिग्री संग्रह की और इस रोग के कारणों के साथ ही साथ उसके उपचारों को भली भाँति बतलाया है। जिसको पढ़कर और समझकर हम अपने मानव समाज के इस कलङ्क को मिटा सकते हैं। लेखक ने इस समस्या तक वैज्ञानिक रीति से पहुँचने का सतत् प्रयास किया है। और बड़ी ही उपयोगी बातों को लिखा है। मुझे आशा है कि हमारे प्रांतीय पुलिस, जेल तथा रिक्लमेशन विभाग के पदाधिकारी तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ता इस सरस और शिक्षात्मक रचना को पढ़कर अवश्य ही लाभ उठायेंगे।

श्री गोविन्दसहाय
माननीय प्रधानमंत्री यू० पी० के सभासचिव

संयुक्त प्रान्त की अपराधी जातियाँ

विषय-सूची

विषय | पृष्ठ

प्रथम भाग

द्वितीय भाग

संयुक्त-प्रान्त की अपराधी जातियां
पंजाब
नेपाल
राजपूताना
बिहार
गढ़वाल
ग्वालियर
ग्राम वासी अपराधी जातियां
गृह विहीन अपराधी जातियां

संयुक्तप्रान्त की अपराधी जातियाँ

प्रथम परिच्छेद

विषय-प्रवेश

अपराधी जातियाँ कौन हैं ? उनकी जनसंख्या और वितरण अन्य प्रांतों की अपराधी जातियों से उनका संबंध तथा आवागमन।

संयुक्तप्रान्त भारतवर्ष का एक प्रमुख प्रान्त है। यह दो प्रान्तो आगरा व अवध से मिलकर बना है। इसलिये संयुक्तप्रान्त कहलाता है। इसके उत्तर मे हिमालय पर्वत, पूर्व में विहार प्रान्त, दक्षिण मे मध्यप्रान्त व मध्य देशी रियासतें और पश्चिम मे देहली और पंजाब के प्रान्त हैं। १६४१ की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी पाँच करोड़ के ऊपर है। इस आबादी में ८४ फी सदी हिन्दू, १५ फी सदी मुसलमान और शेष १ फी सदी मे हिन्दुस्तानी ईसाई, अंग्रेज, सिक्ख, जैन इत्यादि हैं। गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, बेतवा, केन, सोन इत्यादि प्रमुख नदियाँ हैं। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, बनारस प्रमुख शहर हैं। प्रयाग, काशी, अयोध्या, मथुरा, हरद्वार हिन्दुओं के प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। शासन की सुविधा के लिये प्रान्त ४८ जिलो मे विभाजित है। संयुक्त प्रान्त से सम्बन्धित तीन देशी रियासतें १. टेहरी गढ़वाल, २. रामपुर, ३. बनारस हैं। अधिकतर लोग गावों में रहते हैं और खेती बारी ही मुख्य उद्यम है।

जाति हिन्दू धर्म की विशेषता है। यह अवश्य है कि जो व्यक्ति हिन्दू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में सम्मिलित हो गये हैं, वे अपने साथ हिन्दू जाति के नियम और रीति रिवाज भी लेते गये हैं और जिनको बहुत हद तक धर्म परिवर्तन के पश्चात् भी मानते हैं। जातियों का कब और किस प्रकार प्रारम्भ हुआ इस पर कोई निश्चित मत नहीं है और किस प्रकार जाति का रूपान्तर होता गया इस पर भी केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। ऋगवेद में प्रथम चार वर्णों का वर्णन है। वर्ण के शाब्दिक अर्थ "रंग" है। सम्भव है मनुष्यों का विभाजन रंग के अनुसार ही किया गया हो और जिस प्रकार आज कल के समय में संसार और हमारे देश में रंग की समस्या है, उसी प्रकार उस समय भी हो, जब सहस्रों वर्ष पहिले आर्यों ने इस देश में प्रवेश किया हो और अपने को जो गोरे वर्ण के थे, यहाँ के आदि निवासियों से जो सम्भवतः कृष्ण वर्ण के थे, पृथक रखने और अपनी नस्ल को शुद्ध और सुरक्षित रखने के लिये विभाजन किया हो। ऋगवेद के एक मन्त्र में वर्णन है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की उनकी भुजाओं से, वैश्यों की जंघाओं से और शूद्रों की उनके पैरों से हुई। प्रारम्भ में सम्भवतः चार ही वर्ण थे। वेदों में अन्य जातियों का कोई वर्णन नहीं है और न जाति से सम्बन्धित रूढ़ियों ही का कोई वर्णन है। ब्राह्मणों के लिये न कोई विशेष अधिकार है और न शूद्रों की ही हीन दशा है। खान-पान शादी-विवाह में भी कोई बाधायें नहीं हैं। वैदिक समय में भी बहुत से उद्योग धन्धों का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में भी जाति

का वर्णन है। किन्तु मनुस्मृति में चार वर्णों के अतिरिक्त अन्य बहुत सी जातियाँ हो गई थीं, जो अधिकतर मिश्रित जातियाँ थीं। ब्राह्मणों का पद उच्च हो गया था। कहीं-कहीं तो शुद्ध क्षत्रिय और वैश्य रह ही नहीं गये थे और वे सब लोग जो अपने से पूर्वजों का ब्राह्मण होना सिद्ध नहीं कर सकते थे शूद्र कहलाने लगे थे। शूद्र चारों वर्णों में सबसे हीन समझे जाते थे, किन्तु मनु के समय में शुद्ध शूद्र, वर्णशंकर जातियों से ऊँचे माने जाते थे। शूद्र माता पिता की सतान, शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता की सतान से ऊँची मानी जाती थी। ऐसी संतान को चाडाल कहा जाता था और वह कभी भी ऊँची नहीं हो सकती थी। चार वर्णों के पारस्परिक मिश्रित विवाहों से उत्पन्न १६ जातियाँ बनी और इन जातियों के अन्तर्जातीय विवाहों से उत्पन्न अन्य सहस्रों जातियाँ हो गई। ग्रीक, एलची, मेगस्थनीज़ ने जो चन्द्रगुप्त के राजदरबार में रहता था, अपनी पुस्तक में ७ जातियों का वर्णन किया है। १. विद्वान्, २. कृषक, ३. गड़रिये, ४. उद्योग धंधेवाले, ५. सैद्धिक, ६. निरीक्षक, ७. राजमंत्रीगण।

जाति की संस्था में बराबर परिवर्तन होता आया है और इसलिये यह समझना निराधार है कि जाति सनातन और हिन्दू धर्म के प्रारम्भ से ही अपरिवर्तित रही है। पुरानी धर्म पुस्तकों में बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उन दिनों जाति केवल गुणों पर निर्भर थी और एक मनुष्य गुणानुसार अपनी जाति का परिवर्तन कर सकता था।

आज कल जाति की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं।

१. जन्म—प्रत्येक हिन्दू का जन्म एक निश्चित जाति में होता है और जन्म भर वह उसी जाति का सदस्य रहता है। अपनी जाति बदलना असम्भव ही है।

२. विवाह—आम तौर पर एक व्यक्ति को अपनी जाति ही में विवाह करना पड़ता है।

३. खानपान—प्रत्येक जाति में खान पान के विषय में निश्चित नियम हैं, जिन्हें जाति वालों को मानना पड़ता है।

जाति निम्नलिखित प्रकार की होती हैं।

१. औद्योगिक—औद्योगिक जाति का प्रत्येक सदस्य प्रायः उसी उद्योग का काम करता है, जैसे बढ़ई, दर्जी, लोहार इत्यादि।

२. वंश या नस्ल—चन्द जातियाँ उन लोगों से बनती हैं, जो एक ही वंश या रक्त के होते हैं और अपने को एक ही वंश या रक्त का मानते हैं। इस प्रकार की जातियाँ कम हैं, किन्तु उदाहरणार्थ जाट, गूजर, भर, पासी, डोम हैं।

३. पंथ—विशेष पंथ के मानने वालों की पृथक जाति बनाई गई है, जैसे अतिथि, गोसाईं, बिश्नोई, साध इत्यादि।

४. पहाड़ी जातियाँ—इन जातियों में जाति नियम, मैदान में बसने वाली जातियों की अपेक्षा कम कठिन होते हैं।

५. अपराधी और खानाबदोश जातियाँ—यह जातियाँ अन्य जातियों से बहिष्कृत व्यक्तियों से मिल कर बनी हैं, जो रक्षा अथवा अपराध करने के हेतु आपस में मिल गये हैं, जैसे बधिक, बरवार इत्यादि।

६. मुसलमान जातियाँ।

समाज अपना काम सुचारु रूप से चलाने के लिये नियम बना लेता है। इन्हीं नियमों को कानून या विधान कहते हैं। नियमों की आज्ञा पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य हो जाता है। जो व्यक्ति इन नियमों का उल्लघन या अवहेलना करता है, वह समाज के प्रति अपराध करता है और वह अपराधी कहलाता है और उसे कानून के अनुसार दण्ड मिलता है। अभाग्यवश हमारे प्रान्त में कुछ जातियाँ ऐसी हैं, जिन्होंने अपराध करना ही अपना पेशा बना रखा है। चोरी, डाका, लूट मार, जालसाजी करके ही वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। साधारण दण्ड विधान का उन पर कोई असर नहीं हुआ और न जेलखानों की सजाओं ने उनको भय दिलाया। अपराधी जातियों को वश में करने के लिये एक विशेष कानून बनाना पड़ा जिसे "अपराधी जातियों का कानून" या "क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट" कहते हैं। जिन जातियों या मिश्रित दलों को इस कानून के अंतर्गत घोषणा कर दी जाती है, वह जाति या मिश्रित दल अपराधी जाति घोषित करार दी जाती है और उस जाति या दल पर उस जाति या दल के प्रत्येक व्यक्ति पर इस कानून के अन्दर कार्यवाही की जा सकती है।

इस पुस्तक में इन्हीं अपराधी जातियों का वर्णन है। मिश्रित दल में चूँकि अन्य जातियों के व्यक्ति शामिल होते हैं और केवल अपराध करने के ही लिये सम्मिलित हो जाते हैं। उनकी अपराधी जातियों में केवल इसीलिये घोषणा कर दी जाती है ताकि उनकी

कार्यवाहियों को आसानी से रोका जा सके, इन कारणों से मिश्रित दलों का इस पुस्तक में वर्णन नहीं किया गया है।

अपराधी जातियाँ दो प्रकार की हैं। एक गाँव में बसी हुई, और दूसरी ख़ानाबदोश। बसी हुई जातियों में मुख्य अपराधी जातियाँ पासी, अहेरिया, बौरिया इत्यादि हैं। कहने को तो यह बसी हुई जातियाँ हैं और इन लोगों के पास घर, द्वार, खेती बारी और दिखाने के लिये कोई बनावटी पेशा भी होता है, लेकिन अपराध करने के लिये इन जातियों के दल अपने गावों से बहुत दूर निकल जाते हैं और अन्य जिलों और प्रान्तों में जाकर यह लोग अपराध करते हैं। ख़ानाबदोश जातियाँ वह जातियाँ हैं जिनके घर बार नहीं होता और जो अपना जीवन निर्वाह तम्बू खेमों में करती हैं। सभी ख़ानाबदोश जातियाँ अपराधी जातियाँ नहीं हैं—रमैया, बिसाती, बेलदार इत्यादि जातियाँ ख़ानाबदोश तो हैं, किन्तु अपराधी नहीं हैं। हबूड़ा, नट, कंजड़, भांटू, बहेलिया, डोम इत्यादि ख़ानाबदोश भी हैं और अपराधी जातियाँ भी हैं।

प्रायः अपराधी जातियाँ हिन्दू धर्म को मानती हैं किन्तु कुछ अपराधी जातियाँ इस्लाम धर्म को मानती हैं, जैसे महावत, लुँगी, पठान, कलन्दर, फकीर, बलूची, इत्यादि। कुछ जातियाँ आदि कालीन जातियाँ हैं। उनका रहन सहन, आचार विचार और धर्म, हिन्दू धर्म से पृथक है और वह जातियाँ पूरे तौर पर हिन्दू धर्म में प्रविष्ट नहीं हो पाई हैं।

आदि कालीन अपराधी जातियाँ हैं—बेड़िया, भांटू, हबूड़ा,

फजड़, सामिया, नट, अहेड़िया और वहेलिया। बहुत सी आदि कालीन जातियाँ अपराधी नहीं हैं जैसे—अगरिया, भुइया, चेरो, सैराादा, कोरवा, मझवार, परा, पतारी, कोल इत्यादि।

बहुत सी अपराधी जातियों की गणना परिगणित जातियों अथवा हरिजनों में की जाती है। उपरोक्त आदि कालीन अपराधी जातियों की गणना हरिजनों में भी गई है, इनके अतिरिक्त डोम, खटिक, बेलदार, बोरिया, बधिक, बरवार और कपड़िया, हरिजन अपराधी जातियाँ हैं। बहुत सी हरिजन जातियाँ अपराधी नहीं हैं जैसे—शिल्पकार, कालाहार, बाँसफोड़, बसोर, पनरा, धानुक, हारी, हेला, लालवेगी, जाटव, धोबी, कोरी, टगर, बादी, बजनिया, बाजगी, कलाबाज इत्यादि। बहुत सी आदि कालीन जातियों की गणना सवर्ण जातियों में की जाती है और वे अपराधी भी नहीं हैं जैसे—भोक्सा, गोंड, सगर, किंगीरिया, पवारिया इत्यादि। कुछ अपराधी जातियों की गणना सवर्ण हिन्दुओं में होती है जैसे—भर, मवापुरिया, गूजर, केवट, दलेरा और औंधिया। कई अपराधी जातियाँ सरकार द्वारा परिगणित जातियों अथवा हरिजनों में गिन ली गई हैं, किन्तु वे अपने को सवर्ण मानती हैं और अपनी जाति की गिनती हरिजनों में किये जाने का विरोध करती हैं जैसे—बरवार, करवाल, अहेड़िया, भानू इत्यादि।

अपराधी जातियों के कानून के अनुसार—"क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट", १६२४ के अनुसार—संयुक्तप्रान्त में ४७ अपराधी जातियाँ और खानाबदोश अपराधी जातियाँ हैं। ६ जातियाँ ऐसी हैं जिनकी

है, पहिला तो खानाबदोश जातियाँ हैं जो संयुक्त प्रान्त के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी भ्रमण करती हैं और अपराध करती हैं इसलिये वहां भी अपराधी घोषित कर दी गई हैं—इयूड़ा आसाम, बंगाल, और पंजाब में। कंजड़ आसाम, बंगाल, मद्रास, बम्बई सिंध, पंजाब, हैदराबाद दक्षिण, पटियाला, झालावाड़, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, धौलपुर कोटा, शाहपुरा इत्यादि में अपराधी जाति घोषित हैं। नट आसाम, बंगाल, बिहार, पंजाब, बम्बई, सिंध, बीकानेर, भरतपुर, झालावाड़, पटियाला और रामपुर में अपराधी जाति घोषित हैं। साँसिया आसाम, बंगाल, बम्बई, पंजाब, अजमेर, भरतपुर, बूंदी, जयपुर, झालावाड़ में अपराधी जाति घोषित हैं। दूसरा कारण—कुछ अपराधी जातियाँ रहतीं तो संयुक्त प्रान्त में हैं, किन्तु दल बना कर अन्य प्रान्तों में अपराध करने के लिए चली जाती हैं और इसीलिये उन प्रान्तों में अपराधी जाति घोषित कर दी गई हैं जैसे—डोम बिहार और मद्रास में, औधियाँ बम्बई में, मुसहर बिहार में, पलवर दुसाध, बिहार में। तीसरा कारण है उन जातियों का जिन्हें अपना जन्म स्थान किसी कारणवश छोड़ना पड़ा और फिर जो वितरित होकर अन्य प्रान्तों में बस गई और सब ही स्थानों पर अपराध करने लगीं। इन जातियों में मुख्य जाति बौरिया या बावरियों की है जो अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, बम्बई, सिंध, और बंगाल में अपराधी जाति घोषित की गई हैं। अन्य प्रान्तों में बौरियों अथवा बावरियों को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है बम्बई प्रान्त में बाघरी कहते हैं। राजपूताने की भिन्न रियासतों में "मूँगिया" या बावरी कहते हैं।

सयुक्तप्रान्त में अपराधी जातियों की जनसख्या २८ लाख से ऊपर है। यह जन सख्या प्रान्त की कुल जन सख्या की लगभग ५ फीसदी हुई। पासी जाति की जन सख्या १६४१ की जन गणना के अनुसार १५ लाख ६० हजार हैं। भर जाति की जन सख्या १६३१ की जन गणना के अनुसार ४ लाख ६० हजार है। मल्लाह जाति की जन सख्या २ लाख ८ हजार हैं। डोम जाति की जन सख्या १ लाख ८ हजार है। दुसाध जाति की जन सख्या ७७ हजार है। वजारा जाति की जन सख्या लगभग १४ हजार है। नट जाति की जन।सख्या ४१ हजार है। अहेडिया जाति की जन सख्या २४ हजार है। बहेलिया जाति की जन सख्या १४ हजार है। यह कहना सम्भव नहीं है कि इन जातियों मे कितने लोग अपराध करते हैं, अथवा अपराध करना ही अपनी जीविका का साधन बनाये हुये हैं।

कुछ अपराधी जातियाँ प्रान्त मे ऐसी हैं जो जन सख्या में तो कम हैं, किन्तु अपराध करने में अत्यन्त प्रमुख हैं। वधक, १६३१ की जन गणना के अनुसार केवल १३६७ थे और बरवार, केवल ४३१४। किन्तु १६४१ की जन गणना में इन दोनों जातियों की जन सख्या इतनी कम हो गई थी कि इनकी अलग गणना ही नहीं की गई। ग़ौरिये अथवा बावरिये जो अत्यन्त क्रूर अपराधी जाति माने जाते हैं, इनकी जन सख्या १००० के लगभग है। वेड़िया, बगाली और भातू की सम्मिलित सख्या ५८०० ही है। भातू, १६३१ की जन गणना के अनुसार केवल ३०० थे। हबूड़ों की जन सख्या १६४१ के अनुसार केवल २१६८ है और साँसियों जन सख्या केवल ६४७ है। सहारिया

श्रौर उनसे मंदिर बनाने का था। इस जाति के उत्पत्ति के सम्बन्ध में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली इस प्रकार है—एक बार परशुरामजी ने जंगल में एक व्यक्ति को गाय की हत्या करते देखा। उन्होंने अपने पसीने की कुछ बूँदें घास पर डाल दीं, जिससे पाँच पुरुष उत्पन्न हुये, जिन्होंने गो हत्या को रोक दिया। पसीने से उत्पन्न हुए पुरुष पासी कहलाये। जब इन मनुष्यों ने गऊहत्या रोक दी तब परशुराम से पत्नी की याचना की। उसी समय एक कायस्थ की लड़की जा रही थी, परशुराम जी ने उसी को उन पाँचों मनुष्यों को भेंट कर दिया। यह लड़की पासियों की उपजाति कैथवा की माता बनी।

दूसरी कहानी इस प्रकार है : कुपल नाम का एक भक्त था। ब्रह्माजी ने उसे एक वरदान देने को कहा। उसने वरदान माँगा कि वह चोरी करने में निपुण हो। यह वरदान उसे प्राप्त होगया। कुपल के एक वंशज का नामकरण था। उसके दो पत्नियाँ थीं, एक क्षत्राणी थी दूसरी अहीरिन थी। पहिली पत्नी से राजपासी श्रौर मीन उत्पन्न हुये श्रौर दूसरी से खटिक उत्पन्न हुये। कुछ राजपासियों का कहना है कि वह लोग बाई राजपूतों के नेता तिलोकचन्द्र से उत्पन्न हुये हैं। जो एक भर राजा थे। इस कारण वे लोग अपने को भरों से सम्बन्धित मानते हैं। प्रतापगढ जिले में जो गाथायें प्रचलित हैं उनसे ज्ञात होता है कि पासी, अरख, खटिक श्रौर पचार एक ही वंश के हैं। यह भी कहा जाता है कि पुराने जमाने में पासियों की अकबर के राजा से लड़ाई हुई। कुछ पासी डरपोक थे वे खटिया के पीछे डर के मारे छिप रहे। वे लोग खटिक कहलाये। जो पासी अरख के पेड़ के नीचे

छिप गये वे अररत कहलाये। अवध के पासियों का कहना है कि उन्हीं की जाति वालों का अवध पर राज था और सण्डीला, धौरैरा, मितौली और रामकोट के राजा पासी ही थे।

जनसंख्या—पासी जाति की जन सख्या लगभग १६ लाख है। पासियों मे लगभग ३०० उपजातियाँ हैं। पासियों का आम पेशा ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकालना है। इनकी जाति के आन्तरिक सगठन का पूरी तौर से पता नहीं चल सका है।

सामाजिक रीति रवाज:—शादी विवाह सम्बन्धी सभी प्रश्न जाति की पन्चायत ही तय करती है। अधिकतर उपजातियों में उपजाति के भीतर ही विवाह होता है किन्तु कुछ उपजातियों में विवाह उप जातियों मे भी हो सकता है। तलाक की प्रथा है और तलाक की हुई स्त्रियाँ अथवा विधवा पुनर्विवाह कर सकती हैं। दूसरी स्त्री को बैठालने की प्रथा का विरोध किया जाता हैं। यदि कोई स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाती है तो उसके दोनों ओर के सम्बन्धियों को पन्चायत को भोज देना पड़ता है। और तभी वे लोग जाति में शरीक किये जा सकते हैं। यदि कोई स्त्री अन्य जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करे तो वह सदा के लिये जाति से च्युत कर दी जाती है। वधू का मूल्य निश्चित नहीं है किन्तु वधू के माता पिता को वर के माता पिता को कुछ धन देना पड़ता है। अन्य जाति की स्त्रियों को पासी जाति में नहीं शामिल किया जाता है। किन्तु यदि किसी अन्य जाति के पुरुष से कोई पासी स्त्री गर्भवती हो जाये और यदि उसकी सन्तान उसके पिता अथवा पति के गृह मे हो तो वह पासी ही कहलायेगी।

पासियों के बहुत से जातीय देवता हैं। अलग अलग स्थानों में अलग अलग देवता पूजे जाते हैं। कहीं कहीं काली माई और कहीं पाँचो पीर की पूजा होती है। कुछ लोग राम ठाकुर को पूजते हैं। स्त्रियाँ चेचक के दिनों में शीतला माई की पूजा करती हैं। यह लोग विश्वास करते हैं कि पुराने पेड़ों पर भूत प्रेत रहते हैं और उनको सन्तुष्ट करने के लिये यह बहुधा सुअर की बलि देते हैं। पासी लोग मांसाहारी हैं किन्तु गाय, भैंस इत्यादि का मांस नहीं खाते हैं। पासी ताड़ी, शराब इत्यादि पीते हैं। स्त्रियाँ हाथ, पैर, गले, नाक और कान में आभूषण पहिनती हैं। पुरुष अक्सर कान में बाली पहिनते हैं।

थोड़े से पासी जमींदार हैं, किन्तु अधिकतर लोग मजदूरी करते हैं, ताड़ी निकालते हैं या नरकी के पाट या सिल बनाते हैं। आम तौर पर पासियों की जाति बदनाम है। १८४६ में पासी जाति चोरी, डकैती, ठगी और पथिकों को विष देने के लिये मशहूर थी। अवध के ताल्लुकेदार पासियों को अपने आश्रय में रखते थे जो इनकी आत्मरक्षा करते थे और उनके आदेशानुसार लूटमार करते थे। यह लोग तीर चलाने में निपुण थे और जब अवध के छोटे राजाओं में आपस में लड़ाइयाँ या झगड़े होते थे तो पासियों से मदद ली जाती थी। पासियों ही के द्वारा किसानों से लगान वसूल किया जाता था। किन्तु अब जिमींदार और ताल्लुकेदार इन्हें नौकर नहीं रखते हैं। अब अधिकतर पासी लोग खेती करने लगे हैं। किन्तु लूटमार की आदत अब भी नहीं गई है और पासियों के दल डकैती और राहजनी करते हैं। १९०४ में ब्रेग्ले साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था "अवध के पासी

पुश्तैनी डाकू और चोर हैं। इसी प्रकार मिर्जापुर के गोपीगंज और भदोही परगने के पासी हैं जिनके विषय में कहा जाता था कि वे पुराने जमाने में रीवाँ और मध्य भारत की देशी रियासतों में डाका डालते थे। इस जाति में अब भी अपराध करने की ओर ही झुकाव है और आजकल भी यदि इन पर पूरी निगरानी न रखी जाय तो इनके द्वारा किये गये अपराधों की संख्या भयंकर रूप से बढ़ जाती है, और कुछ जिलों में जैसे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, मिर्जापुर के उत्तरी भाग में पासी लोग शान्तिप्रिय जनता को खूब लूटते खसोटते हैं। बदचलन जमींदार इनके दलों को नौकर रखकर इनसे अपराध कराते हैं। इन लोगों ने रेल से भी खूब नाजायज फायदा उठाया है और उसी के द्वारा बंगाल व अन्य सूबों में केवल अपराध करने के लिये चले जाते हैं। उत्तरी मिर्जापुर जिले के रहनेवाले पुराने डाकू पासियों के वंशजों ने देखा कि अब वे रीवाँ और मध्य देश की रियासतों में डाका नहीं डाल सकते तो यह पासी, मल्लाहों से मिल गये और नावों द्वारा बंगाल पहुँचकर पूर्वी बंगाल और आसाम के जिलों में डाका डालना आरम्भ कर दिया। भर इत्यादि की तरह पासी लोग भी बंगाल में बर्दवान, रंगपुर, पबना, ढाका और मैमनसिंह में बस गये हैं और इन सब जिलों में पासियों को चोरी और डकैती में सजा मिली है। यह लोग भर और दुसाधों के बराबर तो नहीं बसे हैं किन्तु यह इन दोनों जातियों से अधिक खतरनाक हैं और आवश्यकता पड़ जाय तो यह लोग हिंसा से भी नहीं चूकते। पासी लोग चोरी और डकैती का माल लेकर हर साल बंगाल से अपने गाँव लौट आते हैं।

यहाँ रहकर स्थानीय अफसरों को नजराना देते हैं। स्त्रियाँ डाके इत्यादि में भाग नहीं लेतीं। पासी लोग नाज की गाड़ियों को भी राह पर लूट लेते हैं। आम तौर पर यह लोग लाठी चलाते हैं और पत्थर फेंकते हैं और कभी कभी बन्दूक इत्यादि भी रखते हैं। पासी स्त्रियाँ और पुरुष जहर देने में बहुत ही कुशल हैं। यह लोग यात्रियों के संग हो जाते हैं और यात्रा में अन्य लोगों से मेल बढ़ा लेते हैं और जब मौका मिलता है तो अन्य लोगों को जहर या नशे की कोई वस्तु खिला देते हैं और फिर उनका माल लेकर चम्पत हो जाते हैं। मिस्टर हालिन्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पासी दलों की सरदार अक्सर स्त्रियाँ ही होती हैं।

अभी पाँच छः साल पहले लखनऊ जिले में छेदा पासी नामक एक बालक ने एक शक्तिशाली दल बना लिया था और पाँच छः वर्ष के अन्दर उसने लगभग ७५ हत्यायें कीं और अनगिनती डाके डाले। पाँच छः साल तक उसे पकड़ने का प्रयत्न किया गया और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा की गई थी, किन्तु वह पकड़ा नहीं गया। १९४४ में बड़ी बहादुरी के पश्चात् पुलिस अफसरों ने उसे पकड़ा और जज द्वारा उसे फाँसी की सजा का हुकम मिला, किन्तु उसे सजा न दी जा सकी क्योंकि जेल ही में उसकी मृत्यु हो गई।

बौरी-बावरिया

बौरिया भारतवर्ष की सबसे खराब और अपराधी जाति है अपराध करने का उनका कार्यक्षेत्र भारतवर्ष भर में विस्तृत है। यह लोग रहजनी, नकबजनी इत्यादि के अतिरिक्त, नकली सिक्के भी बनाते हैं। वह लोग साधुओं के भेष बनाते हैं और अपने को वैरागी या गोसाईं, साधू व ब्रह्मचारी, परदेशी, अयोध्या ब्राह्मण, काशी ब्राह्मण, द्वारिका ब्राह्मण, राजपूत ब्राह्मण इत्यादि बताते हैं। और भी अन्य अपराधी जातियाँ अपना भेष बदलती हैं लेकिन बौरिया लोग इनमें सबसे आगे हैं।

उडीसा और गंजाम जिले में जो बौरिया, कोयल लोग रहते हैं वे निर्दोष हैं और पालकी उठाने का काम करते हैं। साथ ही में जमीन खोदने और तोड़ने का काम करते हैं। गाँव में नौकरी भी करते हैं। यह लोग हिन्दू हैं गोकि उन्हें घर के अन्दर जाने की आज्ञा नहीं है। गौ का मांस भी यह लोग नहीं खाते। श्रोत्रिय ब्राह्मण केवल इन्हीं से अपनी पालकी उठवाते हैं।

सर विलियम स्लीमैन का, जिन्होंने ठगी का विनाश किया था, कहना है कि बौरी लोग बधक, बगोडा, बागडी, बहुरगार, मुँगिया, हाबूड़ा, मारवाड़ी, मुलेवास भी कहलाते हैं। इनका जीवन जंगली फलों और जंगल के जानवरों को मारने से ही बसर होता था लेकिन जब १२ साल तक दिल्ली के बादशाह ने चित्तौड को घेर रक्खा और वहाँ

यह लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार वह लोग अन्य स्थानों पर बोलते हैं। भूपाल रियासत में यह लोग बघक कहलाते हैं और पुलीस इनकी निगरानी रखती है।

लेफ्टीनेन्ट मिल्स के सामने जो १८३६ में असिस्टेंट जनरल सुपरिन्टेन्डेन्ट थे कुछ बौरियों के इकबाली बयान हुये थे। उन बयानों को स्लीमेन साहब के पास मुरादाबाद भेजा गया था। वे बयान इस प्रकार हैं :—बौरिये राजपूत जाति के थे। इनके पुरखे मारवाड़ से आये थे। इनके आठ गोत्र या उपजातियाँ हैं। दो या तीन शताब्दी के पहले दिल्ली के बादशाह ने चितौड़ पर हमला किया और रानी पद्मिनी के लिये १२ वर्षों तक डेरा डाले रहा। देश बिलकुल नष्ट भ्रष्ट हो गया और अकाल पड़ने लगा। खाने और काम की खोज म बौरिया को अपना देश छोड़ना पड़ा और विभाजित होकर सारे देश म इधर उधर बसना पड़ा। कुछ बौरियों का कहना है कि उनकी जाति बहुत पुरानी है। जब रावण सीताजी को हरकर लंका ले गया तब उनकी सहायता के लिये बहुत-सी जातियों के लोग आये थे। इसी में एक बौरी भी था जिसका नाम परधी था और जिसका पेशा शिकार खेलना ही था। जब रामचन्द्रजी ने रावण को हरा दिया तब उन्होंने परधी से पूछा कि वह क्या वरदान चाहता है। उसने उत्तर दिया कि, "मैं आपके पहरेदारों म नियुक्त होना चाहता हूँ और छुट्टी के समय शिकार खेलना चाहता हूँ। रामचन्द्रजी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और तबसे परधी का पेशा उनकी जाति का पेशा हो गया है। अगर किसी राजा का कोई शत्रु होता है और जिसका वह विनाश चाहता है तो वह

उनकी जाति के कुछ लोगों को बुलाता है और कहता है कि अमुक आदमी का सर काट ले आओ। यह लोग जाते हैं, चुपके से उसके सोने के कमरे में घुस जाते हैं और बिना किसी के जाने हुये उसका सर काट लाते हैं। जो लोग देहली क्षेत्र में आकर बस गये थे गौरिये कहलाने लगे और उन्होंने चोरी करना भी शुरू कर दिया।

यह गौरिये, दिल्लीवाल गौरिये कहलाते हैं। उन्हीं में कुछ लोग मध्य भारत में बस गये हैं और मालपुरिया कहलाते हैं। यह दोनों अपराधवृत्ति और शादी विवाह में परस्पर सम्मिलित हैं।

उपरोक्त बयान चाहे न भी सही हो किन्तु इतना जरूर सही मालूम होता है कि यह लोग प्राचीन काल में मेवाड़, उदयपुर के रहने वाले थे और जँगली फल फूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। यहाँ से यह लोग भारतवर्ष में वितरित हो गये और राहजनी और डकैती करने लगे। राजवंशों की अस्थिरता से इन्हें अपने अपने कार्यों में और भी सुविधा मिली। छोटे राजाओं और जमींदारों से इन्हें प्रोत्साहन भी मिलने लगा। यात्रियों को इनसे सदा भय रहता था। यहाँ तक कि जब तक वे इन्हीं लोगों को रास्ते बताने के लिए नौकर नहीं रख लेते थे तब तक अपने को सुरक्षित नहीं समझते थे। जिन गाँव के निकट यह डाकू लोग रहते उन गाँव वालों को इनकी प्रशंसा भी करनी पड़ती थी और उन्हीं के आदमियों को चौकीदार बनाना पड़ता था, जिस प्रकार बम्बई में रामोशी और मद्रास में मारवाड़ी को नौकर रक्खा जाता है। इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनाकर डाके डालना शुरू कर दिया। रेलों के

खुल जाने के पश्चात् सड़कों को इन्होंने छोड़ दिया है और रेलों को ही अपना कार्यक्षेत्र बना लिया है। छोटी चोरी और नकबजनी में तो यह लोग प्रवीण होगये हैं। अक्सर यह लोग हिंसा करने से भी बाज नहीं आते, अधिकतर उस समय जब डाका डालने के बाद इनको गिरफ्तार होने का भय होता है।

सर विलियम स्लीमैन साहब ने बौरियों को सुधारने का बहुत प्रयत्न किया। बहुत से बौरियो को अपराध स्वीकार कर लेने पर क्षमा कर दिया और इन लोगों के लिये १८३८ में एक संस्था सर एवेप्टन चार्ल्स ब्राउन के आधीन जबलपुर में स्थापित की। इस संस्था में दस्तकारी सिखाई जाती थी और इसके द्वारा सैकड़ों डाकुओं और उनके स्त्री बच्चों को उपयोगी धन्धा मिल गया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी प्रबन्ध था किन्तु इससे कोई फायदा नहीं हुआ। केवल थोड़े ही आदमियों ने इस संस्था से लाभ उठाया, शेष को काला पानी या फाँसी की सजा दी गई।

बौरियों पर भी जरायमपेशा कानून लागू है। इस बात का प्रयत्न किया गया था कि वे बस जायें और खेतीबारी करें। मुजफ्फरनगर जिले में वेदखली में इन्हें मुफ्त जमीन दी गई। इस तरह से बहुत से बौरिये अजगर हुसैन साहब की जमींदारी में खानपुर, छुटमानपुर, खेदी, अहमदनगर, अल्लादीपुर, लाकन, दाविदोदुदली, खुत्सा, नवाजाबाद, बगालू गाँवों में जो मुजफ्फ नगर जिले में हैं बस गये। इस लिये यह लोग अब मुजफ्फरनगर के बौरिये कहलाते हैं, गोकि अपने को छिपाकर हिन्दुस्तान भर में यह लोग बसे हुये हैं। पुलिस ने उनके

यह पूजा करते हैं और इसी से सायत विचारते हैं। देवताओं पर बकरा चढ़ाते हैं जिसका मास आदमी खाते हैं पर स्त्रियों के लिये वर्जित है। यह लोग मास खाते हैं, मदिरा भी खूब पीते हैं और तम्बाकू, मदक और गॉजा पीते हैं, अफीम खाते हैं। लूट का रुपया इन्हीं चीजों मे उड़ाते हैं।

विवाह की रस्म बहुत सरल है। वर, वधू को घेर कर खड़े होजाते हैं और ढोलक बजाते हैं। उनके दल का सरदार वधू को वर की भेंट करता है और फिर वर, वधू को विपक्ष के लोग वस्त्र भेंट करते हैं। वर, वधू को साथ साथ स्नान कराया जाता है और फिर भेंट मिले हुये वस्त्र दोनों पहिनते हैं। शराब के सामने फिर दोनों बैठते हैं और फिर शराब और दावत शुरू होती है। यह लोग ताड़ी भी पसन्द करते हैं। विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार है। देवर से ही विधवाओं की शादी अक्सर होती है। ब्याही स्त्री यदि बदचलनी करती है तो जाति के बाहर कर दी जाती है किन्तु प्रायश्चित करने से माफी मिल सकती है। प्रायश्चित का तरीका यह है। जलती मौलश्री की डंडी से उसकी जीभ दागी जाती है और फिर उसे जगल मे ले जाया जाता है, एक भेड़ से उस स्त्री की तीन बार परिक्रमा कराकर उसका वध किया जाता है और फिर उस भेड़ का मास चील कौवों को खिला दिया जाता है। यह लोग बहुत रूढ़िवादी होते हैं। किसी काम पर बिना सगुन विचारे नहीं जाते। इस सगुन से यह पता लगाते हैं कि काम मे सफलता होगी या नहीं। देव के दाने में से गेहूँ निकाल कर गिनते हैं और गिनती से ही सगुन विचारते हैं।

चौरिये माथे पर भस्म या चन्दन लगाते हैं जिस प्रकार शैव लोग

रागाते हैं और वैष्णव की भाँति रामनामी पहिनते हैं। तुलसी, मूँगे या रुद्राक्ष की माला पहिनते हैं। कुछ लोग सिर के बाल घुटा देते हैं और कुछ लोग बाल बढ़ाते हैं। इन लोगों का शारीरिक गठन अच्छा या तो मझोला कद होता है। ५ फीट ३ इन्च से ५ फीट ६ इन्च तक। यह अपने साथ गँजड़ी, ढोलक या सितार भी रखते हैं। इन लोगों के प्रायः दो नाम होते हैं, एक गुरु और दूसरा माता पिता द्वारा रक्खा हुआ। गुसाईं का चेला अपने नाम के साथ ही "गिरि" और जो लोग वैरागियों के चेला होते हैं वह अपने नाम के बाद "दास" लगाते हैं। यह लोग गुसाईं या वैरागी के भेष में रहते हैं। देहली वाल सौरिय धोती को एक विशेष प्रकार से पहिनते हैं। बाइ जाँघ और पैर बिलकुल नंगा रहता है। धोती बहुत छोटी होती है। जो लोग बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं उन्होंने अपराध करना छोड़ दिया है। उनमें से भी कुछ लोग खेती के बीच में कभी कभी चोरी कर लेते हैं। शेष लोग अशान्ति जीवन व्यतीत करते हैं। यह लोग दल के साथ स्त्रियों को लेकर भेष बदल कर देश का भ्रमण करते हैं। अक्सर कई दल एक साथ जाते हैं और हर एक दलमें एक या दो सरदार होते हैं। यह प्रकट रूप से भीख मागते हैं वह सदाव्रत मागते हैं। इस बात का प्रयत्न करते हैं कि वे पहिचाने न जा सकें और यह अपना असली नाम नहीं बताते। स्त्रियाँ भीख नहीं माँगती। यह लोग अपने साथ सामान ढोने के टट्टू और पहरे के लिये कुत्ते रखते हैं। नकबजनी और चोरी ही इनका पेशा है और इन कामों में यह लोग प्रवीण हैं। देश के भ्रमण में चोरी और नकबजनी के लिये मकानों को यह लोग खोजते फिरते हैं।

अपराध करने की रीति—जिस गाँव में यह लोग चोरीकरने की सोचते हैं उसके थोड़ी दूर पर ठहर जाते हैं। भीख माँगने के बहाने गाँव में जाते हैं और चोरी करने के उपयुक्त मकानों की देख भाल कर लेते हैं। बच्चों और औरतों के आभूषणों को ध्यान से देखते हैं और इससे धनी व्यक्तियों के घरों का पता लगा लेते हैं। इस सूचना को दल के सरदार तक पहुँचा देते हैं। फिर दल का सरदार और अन्य व्यक्ति घर को देखने अलग अलग जाते हैं और घर की खिड़की, दरवाजे, कुण्डी ताले इत्यादि को गौर से देखते हैं। उनका पता लगाने के लिये किसी तरकीब से यह लोग घर के अन्दर घुस जाते हैं, जब कि घर के लोग नहीं होते हैं। फिर इन बातों की जाँच करके चोरी के लिये किसी रात्रि का निश्चय करते हैं। कुछ मन्त्र पढ़ कर घर के भीतर कुछ कंकड़ पत्थर फेंकते हैं, इससे यह पता चलाते हैं कि घर के लोग सो रहे हैं या जगे हैं। फिर घर के अन्दर घुसने के लिये कुछ लोग सेंध करते हैं और बाकी लोग पहरा देते हैं। दरवाजे की बराबर की दीवाल में छेद करते हैं और फिर हाथ डालकर अन्दर ही कुन्डी खोल देते हैं और दरवाजा खोल लेते हैं। खिड़कियों के सीकचा को तोड़ कर अदर घुस जाते हैं। लोहे का औजार जो एक तरफ चम्मच की तरह और दूसरी ओर कुदाल की तरह रहता है इनके पास होता है। एक ओर से यह जमीन खोदते हैं और चिम्मच की ओर वाले सिरे से मिट्टी हटाते हैं। इस औजार को यह लोग छिपा कर जमीन के नीचे रखते हैं और काम के समय निकालते हैं। अपने साथ यह लोग लाठियाँ भी रखते हैं जिनको यह हमला करने और बचाव दोनों

पोगसन साहब का कहना है कि मोम का गोला, एक छोटी तराजू व कसौटी का पत्थर जिस व्यक्ति के पास मिले वह व्यक्ति निस्सन्देह नौरिया ही होना चाहिये। मोम के गोले से एक कपड़ा सूत रगड़ा जाता है फिर उसका छोर जला दिया जाता है और वही मोमबत्ती का काम देता है, जब कभी दल चोरी करता है।

उजियारे पाख में चोरी के माल का बटवारा होता है। सगुन विचार कर ही बटवारे का दिन निश्चित किया जाता है। दल के सरदार की उपस्थिति में चोरी का माल पाँच हिस्सों में विभाजित किया जाता है। इनमें से एक भाग के पुन चार भाग किये जाते हैं, जिसका एक भाग देवता को व एक भाग बीमार व बुड्ढों के लिये, तीसरा विधवाओं के लिये और चौथा दल के सरदार के लिये होता है। शेष चार भाग दल के सब व्यक्तियों में जिन्होंने अपराध करने में हिस्सा लिया था बराबरी से बाँट दिया जाता है। अपने भाग को व्यक्ति जिस प्रकार चाहे काम में ला सकता है। चोरी का माल खरीदने वालों से इनका मेल रहता है और उन्हीं के द्वारा यह लोग चोरी का माल बुड़वा कर बेंचते हैं।

नौरियों की अपनी निजी बोली होती है जिसमें वह आपस में बात चीत कर सकते हैं और जिसे बाहरी लोग नहीं समझ सकते। उनके कुछ चिह्न भी होते हैं जिनसे यह अपना आशय दल के उन लोगों को ज्ञात करा सकते हैं जो उसी रास्ते से पीछे पीछे आ रहे हैं। जब वे एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव को जाते हैं तो जिस स्थान पर ठहरे हुए थे वहाँ की दीवाल पर कोयले से इस प्रकार का चिह्न कर देते हैं—

—|||| ⌐ या ∠|||||| आड़ी लाइनों से दल व व्यक्तियों की संख्या का पता लगता है और टेढ़ी लाइन से उस दिशा का ज्ञान होता है जिधर दल गया है। यदि आड़ी लाइनें वृत्त के अन्दर होती है तो इसका मतलब यह होता है कि दल शहर या कस्बे में है और उसके पास चोरी का माल है (||||)

इस चिह्न का मतलब यह है |(||||) कि दल शहर में है।

पोगसन साहब ने जो १६०३ में मान देश में लिखा मुसरिटेन्स के चौरियों के बारे में लिखा है—चौरिये लोग साधू के भेष में जाते हैं, उनमें से जो सबसे बुड्ढा और देखने में सम्मानित मालूम पड़ता है उसे वह लोग गुरू बनाकर गाँव के कुछ दूर पर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर गाँव में शेष लोग माँगने जाते हैं। स्त्रियों के जेवर देखकर निश्चय करते हैं कि किन किन मकानों में नकब लगाई जाये। जब अवसर पास आता है तब इन्हीं घरों में चोरी करते हैं। फिर किसी दूसरे गाँव में जाते हैं और यही कार्यक्रम जारी रखते हैं। चौरिये आम तौर पर दरवाजे के बराबर दीवाल में एक छेद करते हैं उसी में हाथ डालकर अन्दर की कुण्डी हटाकर दरवाजा खोल देते हैं। अक्सर चौखट के नीचे खोद कर रास्ता बना लेते हैं। खोदने के इस हथियार को यह लोग "जान" कहते हैं। इसको कपड़ों की तह में छिपा कर रख लेते हैं। या यह लोग छोटा साभर रखते हैं जिसे बाँस के भीतर छुपा लेते हैं। बाँस में लोहे के छल्ले लगे होते हैं। इन छल्लों को यदि खोला जाये तो साभर दिखाई दे सकता है। अक्सर यह अपने साथ चमचे, चिमट

रखते हैं जिनका सिरा नोकदार होता है और जो दीवाल फोड़ने के काम आता है। चोरी का माल या जान को रखने वाला व्यक्ति दल के साथ नहीं चलता। वह दल से आगे या पीछे मील दो मील के फासिले पर चलता है चोरी का माल यदि उसी शहर में बिक जाये तो वहीं बेंच देते हैं और अपने साथ नहीं रखते। अक्सर यह लोग मनिहार के भेष में चोरी के बाद लौटते हैं।

नकबजनी के हथियार

जान चमचा बांस का डंडा चिमटा

बौरिये सारे देश में भ्रमण करते हैं और इनको मैसूर, मद्रास, बम्बई के सूबों में सजा मिली है। कुछ बौरिये देश में इधर उधर बसे हुये हैं और मुजफ्फरनगर के बौरिये से सम्बन्धित हैं। मुजफ्फरनगर के बौरिये इन लोगों के पास आते हैं और इनकी मदद से चोरी करते हैं और डाक द्वारा रुपया मुजफ्फरनगर को भेजते हैं। बौरियों के दल पंजाब, मारवाड़, भूपाल, बम्बई, मध्यप्रदेश, बंगाल और मद्रास में मिलते हैं।

बौरियों ने धोखा देने के लिये अतर बेचने वालों का भी पेशा

शुरू कर दिया है इससे उन्हें धनी आदमियों के घरों में जाने की सुविधा प्राप्त होती है और अवसर के वक्तों में डाके और चोरी का माल गया जा सकता है। बौरिये लोग जाली सिक्के भी बनाते हैं। बंगाल में भी बौरियों की एक शाखा है जो कि बेन कहलाती है।

यह लोग अपने आप को गाजीपुर और गोरखपुर जिलों का रहने वाला बताते हैं और अपने को काश्मीरी कहते हैं। यह लोग भी जानवरों की चोरी व नकबजनी करते हैं और जाली सिक्के बनाते हैं।

चोर भाषा—बौरियों की अपनी बोली होती है। उनकी बोली के कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अर्पा	भेदिया	कुबरी	कुबरे की
अलुफल	पुलिस अफसर	केग	बाल
आँघ	ऊँगली	कोठे	घर
नाई	पाँ	गोडे	सोना
नापू	बाप	काहब	अंग्रेज
बाई	बहिन	खोरो	झगड़ा
बावन	स्त्री	लकड़	लोमड़ी
बिथारा	बिल्ली	लौदिय	कुत्ता
बोगे	बूरा	लुगरि	चादर
भुन्डो	बुरा	लोसर	चोर
बसीजाना	बैठजाना	मरुष	मनुष्य
चिया	बेटा	मक्रिया	सिपाही

चुवा	निकदरा	म्हपद्दर	पुलिस इन्सपेक्टर
पोंख	दस	मोहनिया	इ धून
छुमक्वा	लडका	भुढ़िया	धीरे
छमेन्वी	लडकी	नौ	नौ
थाइ	पति	नीदइ	दीमक
दाएढा	बैल	परलोर	कबूतर
ढिगियारिया	मोर	पनडी	रुपया
•त्वीं	बाया हाथ	पारोनाना	भागना
गमरो	गॉव	रातो	लाल
हट	सात	साहु	अच्छा
पंछी	छिपकली	टाट	बकरी
हराकारी	तरकारी	तानिया	बर्रइया
जमना	सीधा हाथ	थानू	पुलिस
सापरा	ससुर	तुरकी	प्यासा
साखू	राख	बहुरिया	पतोहू
रवाकडा	जूता	निफ	बीस

——

कंजड़

उत्पत्ति—संयुक्त-प्रान्त में जो नाना खदोश जातियाँ रहती हैं उनमें से अधिकतर जातियाँ अपने को कंजड़ ही कहती हैं। इस शब्द की उत्पत्ति की व्याख्या ठीक से नहीं हो सकी है। सम्भवतः यह शब्द काननचर शब्द से बना है जिसका अर्थ जंगलों में घूमने वाला होता है। यह बात प्रतीत होती है कि प्राचीनकाल में भारतवर्ष की नाना खदोश जातियों में कंजड़ मुख्य थे। स्वरक्षा एवं अपराध के लिये अन्य जातियों के सम्पर्क में आकर मिश्रित विवाह एवं व्यभिचार इत्यादि के कारण इस जाति का व्यक्तित्व बहुत कुछ नष्ट हो गया है और अब कजड़, साँसू, बेड़िया, हाबूड़ा और साँसिया में भेद करना कठिन है।

कंजड़ों की उत्पत्ति के प्राचीन इतिहास का कुछ पता नहीं चलता। यह लोग अपनी उत्पत्ति माना गुरु से बताते हैं जो अपनी स्त्री नलिन्या कजड़िन के साथ रहते थे। माना गुरु ने दिल्ली में जाकर मुसलमान बादशाह के मल्लू, कल्लू नामक दो पहलवानों को हरा दिया था और बादशाह ने उन्हें पारितोषिक देकर विदा किया था। माना गुरु अब उनके पूज्य देवता हैं।

कंजड़ों की चार उपजातियाँ हैं। कुछबन्ध जो झाड़ू बनाते हैं। पत्थरकट जो पत्थर काटते हैं, जल्लाद जो फाँसी देते हैं या मरे जानवर उठाते हैं और रछबन्ध जो जुलाहों का करघा बनाते हैं। यह

उपजातियां पेशे के अनुसार हैं। नेस्फील्ड साहब ने अपनी पुस्तक में कजड़ों की सात उपजातियों का वर्णन किया है। उनका यह भी मत है कि कजड़ और नट स्पेन और यूरोप की अन्य खानाबदोश जातियों से बहुत कुछ मिलते हैं।

कजड़ों में भी जातीय पंचायत होती है। यही पंचायत जाति के झगड़ों का निपटारा करती है। नेस्फील्ड साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कजड़ों के विवाह के रीति रिवाज हिन्दुओं से भिन्न होते हैं। बचपन में कोई सगाई नहीं होती। शुभ दिन का विचार नहीं किया जाता। विवाह के अवसर पर बहुत से रीति रिवाज नहीं होते। ब्राह्मण भी नहीं बुलाया जाता। वर का पिता या अन्य निकट सम्बन्धी वधू के पिता के पास जाते हैं और उसे ताड़ी पिला कर प्रसन्न करते हैं और उसकी पुत्री से अपने पुत्र के विवाह की याचना करते हैं और उसकी स्वीकृति मिल जाने पर उसे किसी जानवर, औजार या इच्छित वस्तु का उपहार देते हैं। जो लड़की विवाह के लिये चुनी जाती है उससे किसी प्रकार की रिश्तेदारी नहीं होती और आम तौर पर अन्य दल की होती है। कुछ दिनों के पश्चात् वर अपने पिता और अन्य सम्बन्धियों एवं अन्य व्यक्तियों के साथ जिन्हें वह एकत्रित कर सकता है, सजधज कर अच्छे वस्त्र धारण करके और अपने हथियारों से लैस होकर वधू के घर जाता है और उसके पिता से ऐसे शब्दों से वधू को माँगता है जिसका अर्थ होता है कि अस्वीकार करने पर वह वधू को बल प्रयोग करके ले लेगा। लड़की उसे शान्तिपूर्वक भेंट कर दी जाती है। यह तरीका बल प्रयोग से वधू लाने की प्रथा का अब केवल सूचक

माना रह गया है। वधू जब वर के पड़ाव पर आ जाती है तो विवाह के रीति रिवाज होते हैं। मिट्टी के टीले पर एक बाँस गाड़ा जाता है जिसके ऊपर गसगस घास लगा दी जाती है, जो कंजड़ों की दस्तकारी का चिह्न है। वर वधू का हाथ पकड़ता है और बाँस की कई बार परिक्रमा करता है। फिर सुअर या बकरी की बलि दी जाती है और ताडी के साथ माना गुरु की पूजा होती है और उनके सम्मान में गीत गाये जाते हैं और फिर जाति भर की माँस मदिरा से दावत होती है और नाच होता है। वधू का पिता वर को दहेज में जगल का हिस्सा देता है जिसका अर्थ यह होता है कि कोई अन्य कजड बिना वर महाशय की आज्ञा के जगल से फल, फूल, लकड़ी, घास नहीं ले सकते न शिकार खेल सकते हैं और न शहद इत्यादि जमा कर सकते हैं।

गर्भावस्था में भी कजड़ों में कोई रीति रस्म नहीं होती। पुत्र उत्पन्न होने पर बिरादरी में चावल बाँटा जाता है। छुठी पर स्त्रियाँ गाना बजाना करती हैं और फिर भोज होता है। मुर्दों का क्रिया कर्म तीन प्रकार का होता है—जल प्रवाह, दाह कार्य, या गाड़ना। माना गुरु का शव इलाहाबाद जिले में कड़ा गाँव में गाड़ा गया था और कजड़ों का यह एक पवित्र स्थान है।

कंजडों के धर्म विचार वैसे ही हैं जैसे किसी आदि कालीन, असंस्कृत जाति के होने चाहियें। यह लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, मदिरों में नहीं जाते, पुजारी नहीं रखते। भूत प्रेतों के भय में सदा ही रहते हैं। भूत से तात्पर्य मरे हुए व्यक्तियों की प्रेतात्माओं से है। जो ठीक दाह कर्म न होने के कारण या किसी अन्य दोष के कारण किसी

तरह जीवित मनुष्य के शरीर मे घुस जाती हैं और उसे तरह तरह की यातना देती हैं। बीमारियॉं, पागलपन, मिर्गी, दौरे, बुखार सब भूतों के कारण ही होते हैं। इन बीमारियों मे यह स्याने से इलाज कराते हैं, जो भूत भगाने में अभ्यस्त होता है। माना गुरु की पूजा कजडों मे बडे समारोह से होती है। अधिकतर पूजा बरसात में की जाती है जब यह लोग बाहर कम निकलते हैं। कजड लोग तीन देवियो की पूजा करते हैं, मारी, प्रभा और भुइयॉं। मिर्जापुर जिले के कजड विन्ध्यवासिनी देवी की भी पूजा करते हैं। जल्लाद कजड, नानक पंथी होगये हैं। अलीगढ जिले के विजयगढ गॉंव में कुछबन्ध कजडों ने माना गुरु और नलिन्या की स्मृति में एक चबूतरा बनाया है जहॉं भादों के महीने में मेला लगता है। यह लोग अन्य नीच जातियों की तरह भुइया देवी की पूजा भी करते हैं। कुछबन्ध कजड होली, दशहरा, दिवाली और जन्माष्टमी को भी मानते हैं।

उद्योग धन्धे, अपराध—बहुत से कजड अब साधारण जीवन व्यतीत करने लगे हैं; खेती बारी या मजदूरी करते हैं। जो लोग शहर के निकट रहते हैं वे लोग डालियॉं, टट्टियॉं, चलनी, पखे, रस्सी, चटाई, पत्तल, दोने, सुतली इत्यादि बनाते हैं और ईमानदारी से जीवन निर्वाह करते हैं। अवारागर्द कजड ५०, ६० व्यक्तियों का दल बना कर प्रांत में घूमते हैं। जगल और ऊसर जमीन ही उनका स्वाभाविक घर है और शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यह लोग बहुत निपुण शिकारी होते हैं और पशु पक्षियों को जाल मे फसाने में चतुर होते हैं। यह लोग जगली जड़ी बूटी एकत्रित

पकड़ते हैं और ताड़ वृक्ष से ताड़ी निकालते हैं । यह लोग भी चिरकी की टोकरियाँ, नरकुल की टट्टियाँ, रस्सी इत्यादि बनाते हैं और शहर या गाँव में पहुँचने पर बेच या किसी उपयोगी वस्तु से बदल लेते हैं । खाता उनका प्रिय हथियार है । इसी से यह घास काटते हैं, शिकार मारते हैं, साँप और स्याही के मिल गोंद डालते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं, लकड़ी काट लेते हैं और इसी से नकब लगाते हैं । १८४० में ही इन लोगों पर भीषण अपराध करने का सन्देह किया जाता था और मरठ से मद्रास तक राहजनी में यह लोग गिरफ्तार किये गये थे। १८७० में हमीरपुर जिला में मजिस्ट्रेट ने इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की सिफारिश की थी। १८७४ में इन लोगों ने अलीगढ़ व बुलन्दशहर व मथुरा और आगरा के जिलों में बहुत उत्पात किया था। यह लोग आमतौर पर नकबजनी और राहजनी करते हैं । रास्ते में गाड़ियों और मुसाफिरों को रोक कर लूट लेते हैं । लूट के माल को चुरा लेते हैं और उपर्युक्त मौके पर बेच डालते हैं। नकबजनी में यह लोग निपुणता नहीं दिखाते। मकान में सेंध करके घुस जाते हैं और जो कुछ मिलता है उसे जबरदस्ती उठा कर चल देते हैं। पकड़े जाने पर यह लोग अपने को बेड़िया, चमारा, भंगी, भाट, भाँट, नाइ, कुम्हार, कुचबंधिया, कहार, करनाटक या नट बताते हैं ।

नट

उत्पत्ति—नट शब्द, संस्कृत "नट" शब्द से बना है जिसके अर्थ नाचने के होते हैं। संयुक्तप्रान्त के सभी जिलों में यह जाति पाई जाती है। यह लोग नाचने गाने के अतिरिक्त खेल व तमाशे व कलाबाजी रस्सी के खेल इत्यादि करते हैं। इनकी स्त्रियों का चरित्र ठीक नहीं होता और वे वेश्यागीरी भी करती हैं। नटों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ठीक से पता नहीं चलता। ऐसा प्रतीत होता है कि नट केवल उद्यम का नाम विशेष है और बहुत-सी जातियाँ जो नाचने व गाने व कलाबाजी, वेश्यागीरी इत्यादि का काम करती हैं, नट भी कहलाने लगती हैं। यह लोग प्रान्त की हद के बाहर भी पाये जाते हैं। बम्बई प्रांत के कोल्हाती जो डोम्बारी भी कहलाते हैं नटों से मिलते जुलते हैं। यह लोग भी कलाबाजी करते हैं और रस्सी के ऊपर तमाशे करते हैं। इनकी बालिकायें जब युवावस्था प्राप्त करती हैं तो उनसे पूछा जाता है कि वह विवाह करेंगी या वेश्यागीरी। यदि उन्हें विवाह करना स्वीकार होता है, तो उन्हें बहुत देख भाल से रक्खा जाता है और उपयुक्त वर के साथ विवाह कर दिया जाता है, यदि वह वेश्या बनना स्वीकार करती है तो उसे पंचायत के सन्मुख ले जाया जाता है और बिरादरी को भोज देने के पश्चात् उसे वेश्या बनाने की सम्मति दे दी जाती है। वेश्याओं के साथ उसकी सन्तान के अतिरिक्त अन्य

कोल्हाती भोजन नहीं करते। कोल्हातियों के लिए भी कहा जाता है कि यह लोग मांगियों की ही शाखा है और गोवमल व भाई मल्लानूर के वंशज हैं। इनकी दो उपजातियां हैं, डुकर कुल्हाती और पामयापाल कुल्हाती। दोनों जातियाँ अपनी स्त्रियों से वेश्यागीरी कराती हैं और उसी से जीवन निर्वाह करतीं हैं। डुकर कुल्हाती डाके भी डालते हैं।

बंगाल प्रान्त म भी एक जाति होती है जो नर, नट, नर्तक या नाटक कहलाती है। यह लोग भी नाचने गाने का पेशा करते हैं। बहुत से लोग जो इस प्रान्त में बाजीगर व सपेरा व कबूतरी कहलाते हैं और जिनकी यहाँ नटों में गणना की जाती है, बंगाल में बेड़ियों में गिने जाते हैं जो मांगियों, हाबूड़ों, कजड़ों इत्यादि से बहुत कुछ मिलते हैं।

पंजाब में भी नट पाये जाते हैं। वहाँ वे नाचने गाने के अतिरिक्त बाजीगरी भी करते हैं। खेल-कूद तमाशों के अलावा जड़ी बूटी से दवा दारू और झाड़-फूँक भी करते हैं। इनकी स्त्रियाँ कबूतरी कहलाती हैं और वेश्यागीरी करती हैं। इनमें तीन चौथाई हिन्दू और एक चौथाई मुसलमान हैं। यह देवी व गुरु नानक व गुरु तेगबहादुर और हनुमान जी की पूजा करते हैं। यह लोग अपने को मारवाड़ का आदि निवासी बताते हैं।

मुजफ्फरनगर जिले में नट हिन्दू हैं। उनकी धारणा है कि उन्हें परमात्मा ने स्वयं उत्पन्न किया है ताकि वे उसे विश्राम के समय प्रसन्न कर सकें। उनके यहाँ विवाह की वही रीति रस्म है जो अन्य नीच जातियों में पाई जाती हैं। रखेली रखने की आज्ञा नहीं दी जाती।

परित्यक्त एव विधवा स्त्रियाँ पुनः विवाह कर सकती हैं। यह लोग मृतकों को गाड़ते हैं और शव के मुँह मे नावे का पैसा रख देते हैं। कभी-कभी दाह कर्म भी करते हैं। गाय के अतिरिक्त अन्य सभी जानवरों का यह मास खाते हैं। यह लोग भी हरिजन हैं।

बदायूँ जिले के बगुलिया नट अन्य खानाबदोश जातियों की तरह अपना आदि स्थान चित्तौड़ ही बताते हैं। बिसौली, जिला बदायूँ म नवाबी ज़माने म एक नट रस्सी के ऊपर खेल करते हुए गिरकर मर गया। उसकी स्त्री सती होना चाहती थी। बिसौली के नवाब ने उससे कहा कि तुम जल जाओगी तो तुम्हे कोई याद न करेगा यदि तुम गाडी जाने के लिये तैयार हो जाओ तो मै तुम्हारी पक्की कब्र बनवा दूँगा। नट लोग इस बात पर राजी हो गये थे। नवाब ने वहीं कब्र बनवा दी जो सती की कब्र कहलाती है। सर्वत्र से बगुलिया नट यहाँ यात्रा करने आते हैं। कुछ बगुलिया नट यहाँ पर रहते भी हैं। यह लोग अब गाड़ते हैं, लेकिन पहले मुर्दों को जलाते थे। जो नट गिरकर मर गया था उसके पाँच बेटे थे। नवाब ने उन्हें कुरौली गाँव इनाम में दे दिया। लेकिन उनके वशजों के दुष्कर्मों के कारण उनके हाथ से निकल गया।

सामाजिक रीति रिवाज—बगुलिया नट और कलाबाज नटों म फर्क होता है। कलाबाज नट जमीन पर कलायें दिखाते हैं। बदायूँ जिले मे नटों की यह उपजातियाँ हैं—बृजवासी, ग्वाल, जोगीना, कालखोर ? गदेश नट ६० साल पहिले मुसलमान हो गये थे। कलाबाज और बगुलिया नटो की स्त्रियाँ स्वय खेल तमाशे नहीं करतीं और जहाँ उनके पुरुष तमाशे करते हैं वहाँ उपस्थित भी

नहीं रहती। आम तौर पर वेश्यागीरी भी नहीं करतीं और नट स्त्रियाँ मे सगंग सम्मानित जीवन व्यतीत करती हैं। वृजवासी ग्वाल नटों की स्त्रियाँ खुले आम नाचती गाती हैं और इसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करती हैं। वेश्यागीरी का पेशा होता है। ब्रिरिया नटों में अधिक वेश्यागीरी होती है। विवाहित स्त्रियाँ ही नाचती गाती और वेश्यागीरी करती हैं। अविवाहित स्त्रियों से यह काम नहीं कराया जा सकता, यदि कोई करावे तो पचायत से दंड मिलता है और बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाता है। वृजवासी नट अन्य जाति की स्त्रियों को अपनी जाति में आम तौर पर सम्मिलित नहीं करते हैं। यदि किसी को सम्मिलित करते हैं तो बिरादरी को भोज देना पड़ता है और फिर वह नट मान ली जाती है। पति को अपनी स्त्री से वेश्यागीरी कराने का अधिकार होता है।

जगली नट अपनी लड़कियों का विवाह नहीं करते बल्कि नाचना गाना तथा वेश्यागीरी सिखाते हैं। केवल निर्धन जोगीला नट जो इस शिक्षा का खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकता वही कुछ धन लेकर अपनी बेटी का विवाह करता है। जब कोई नट स्त्री वेश्यागीरी का काम प्रारम्भ करती है तो उसके उपलक्ष में बिरादरी को बड़ा भोज देती है। यह भोज उन रुपयों से दिया जाता है जो स्वयं गा बजा कर उपार्जन करती है। जोगीला नट की स्त्री पर्दा करती है और स्वयं गाती नाचती नहीं है। इस जाति के लोग अन्य जाति की दुश्चरित्र स्त्रियों को भगा लाते हैं या उड़ा लाते हैं या खरीदते हैं। ऐसी स्त्री से विवाह किया जाता है और वेश्याकर्म नहीं कराया जाता। इस प्रकार की

स्त्रिया कहार, मुराव, मिसान, त्यागी, धुनिया, नद्दई, गडरिया और कुम्हार जातियों से लाई जाती हैं। किन्तु चमार, कञ्जड, भगी, मुसलमान स्त्रिया वर्जित हैं।

कालखोर नट जोगीले नटों ही की तरह स्त्रियों से वर्ताव करते हैं। इनकी लडकिया नाचती गाती और वेश्यागीरी करती हैं किन्तु विवाह नहीं करतीं, वेश्यागीरी प्रारम्भ करने के उपलक्ष म बिरादरी को भोज दिया जाता है। स्त्रियाँ अन्य जातियो से खरीद कर लाई जाती हैं। यह लोग मुसलमान स्त्रियों को भी अपनी जाति म मिलाते हैं। इनको भी बिरादरी को भोज देना पडता है। वदिया नट अपनी लडकियों का विवाह कालखोर नटों से करने लगे हैं।

महेश नट जो मुसलमान होते हैं वे भी अपनी लडकियों से नाचना, गाना और वेश्यावृत्ति करात हैं। परन्तु स्त्रियों से नहा करात। पिता को अधिकार है कि अपनी लडकी का विवाह कर या उससे वेश्यावृत्ति करावे, किन्तु पति को अपनी पत्नी से वश्यावृत्ति कराने का अधिकार नहीं है।

फतेहपुर जिले के नट मुसलमान हैं। इनकी जाति मे वेश्यावृत्ति कम हो रही है। पर पुरुष के साथ व्यभिचार करने पर स्त्रियां को तलाक दिया जा सकता है। किन्तु पचायत के समक्ष अपराध सिद्ध करना पड़ता है। विवाह सम्बन्ध के लिए भी पचायत की स्वीकृति की आवश्यकता होती है जिसके लिए फीस भी देनी पडती है। तीस रुपये देकर विधवा के साथ और ६० रुपये देकर कुमारी के साथ विवाह हो सकता है। विवाह म केवल दूधपाती की रस्म होती है। बड़े भाई की

विधवा से छोटा भाई विवाह कर सकता है किन्तु छोटे भाई की विधवा से बड़ा भाई विवाह नहीं कर सकता। बलात्कार से व्यभिचार करने पर पचायत २०० रु० जुर्माना करती है।

इटावा जिले के नट भी वेश्यावृत्ति को रोक रहे हैं। खेती-बारी करते हैं और अपने बालकों को पाठशाला भेजने लगे हैं। मैनपुरी जिले में कुछ करनाटक नट रहते हैं जो अपने को कबूतरी भी कहते हैं। इनमें से कुछ मुसलमान हो गये हैं और सैयद जमालगरा के भक्त हैं। यदि किसी के दो लड़कियां होती हैं तो एक विवाह करती है और दूसरी वेश्यावृत्ति। यदि कोई वेश्या भंगी, चमार, धोबी या कहार से सम्बन्ध करती है तो जाति से बहिष्कृत कर दी जाती है और पचास रुपये जुरमाना देने पर फिर से जाति में आ सकती है। गोरखपुर में नागरी नट होते हैं। यह लोग भी स्त्रियों से वेश्यावृत्ति कराते हैं। यह लोग मुसलमान होते हैं। गोरखपुर जिले में नटों की एक और उपजाति है जो सम्बत कहलाती है। यह लोग भी मुसलमान हैं और केवल हलाल किया हुआ गोश्त खाते हैं। सियार, न्योले और कछुए का गोश्त नहीं खाते। यह लोग खेती-बारी करते हैं। कुछ लोग विवाह और जन्मोत्सव पर बाजा बजाते हैं। स्त्रियां गोदना गोदती हैं।

उद्योग-धन्दे—सूबे में २६ फीसदी नट खेती-बारी करते हैं। १२ फीसदी मजदूरी, ३६ फीसदी नाचते व बजाते और वेश्यावृत्ती से जीवन निर्वाह करते हैं। चूँकि यह लोग आवारागर्द हैं इसलिए अपराध भी करते हैं। यह लोग चोरी और उठाईगिरी करते हैं। यह लोग पेशेवर अपराधी नहीं है। किन्तु मौका मिलने पर चूकते भी नहीं।

यह लोग सगीन अपराध नहीं करते किन्तु गाड़ियों से सामान चुराते हैं, खाली मकानों में घुस जाते हैं और अकेला पाकर स्त्रियों के गहने भी छीन लेते हैं। पकड़े जाने पर अपने को सासिया, हाबूड़ा, डोम, कजड़ और भानू बताते हैं। किंतु इनको सरलता से पहचाना जा सकता है। इनका रग काला, बदन नाटा व चुस्त होता है, छोटी नाक होती है, बड़ी काली आँखें, काले घने बिना कढे बाल व छोटी दाढ़ी और मूछ होती है।

बंजारा

उत्पत्ति—बंजारों का मुख्य काम नाज ढोना है अथवा था। इनका नाम संस्कृत "वाणिज्यकारा" से उत्पन्न मालूम होता है। बंजारों का वर्णन महाकवि दण्डि की पुस्तक "दशकुमार चरित्र" में आया है। बंजारे हिन्दुस्तान भर में फैले हुये हैं। दक्षिण में बंजारों की तीन जातियाँ हैं। (१) मथुरिया जो मथुरा के आदि निवासी हैं। (२) लवण जो नमक ढोने का काम करते हैं। (३) चारण जो गुप्तचरों का काम करते हैं। ये लोग अपने को उच्चवर्ण हिन्दू ब्राह्मणों या राजपूत के वंशज बताते हैं जिन्होंने किसी नीच वर्ण की स्त्री से विवाह कर लिया था। इनमें से कुछ गुरु नानकजी को मानते हैं। इन लोगों का कहना है कि यह लोग दक्षिण को उत्तर भारत से मुगल साम्राज्य की सेना के साथ आये। मुसलमान इतिहास में इनका वर्णन १५०४ में मिलता है जब कि सिकन्दर लोदी ने धौलपुर पर आक्रमण किया था। चारण बंजारों का राठौर परिवार सबसे शक्तिशाली था और बरार भर में उनकी धाक थी। चारण बंजारे १६३० में दक्षिण आये। यह लोग आसफजा की सेना के साथ आये थे। बंजारों के नायक भगी, जगी थे जिनके साथ १,८०,००० बैल थे जिनसे फौज का सामान ढोया जाता था। आसफजा ने इन लोगों को एक ताम्र पत्र दिया था जिस पर स्वर्ण अक्षरों से निम्नलिखित वाक्य अङ्कित हुआ था।

रजन का पानी, छप्पर का घास।
दीन का, तीन खून मुआफ।
और जहाँ आसफ्जा के घोडे।
वहाँ भगी, जगी के बैल।

यह ताम्र पत्र अभी भगी जगियों के वंशज के पास है और हैदरा नाद के निजाम के राज्य मे प्रमाणित माना जाता है और जब कुटुम्ब में मृत्यु होने के पश्चात् नया उत्तराधिकारी होता है तो उसे निजाम की ओर से पोशाक मिलती है।

दक्षिण के बजारे जादू मत्र और टायना पर बहुत विश्वास करते थे। यदि किसी को कोई बामारी हो जाये तो यही सन्देह किया जाता था कि किसी डाइन या चुड़ैल ने टोना कर दिया है। जिस स्त्री पर डाइन या चुड़ैल होने का पूरा विश्वास हो जाये या जिसे भगत ऐसा निश्चित करार दे तो उस स्त्री की हत्या कर दी जाती थी। स्त्री के पति या पिता से उनका वध करने को कहा जाता था यदि वे करदें तो ठीक, वरना दूसरे लोग वध करते थे और पिता या पति को भारी जुर्माना देना पड़ता था, जो हजारों रुपया तक हो सकता था। बजारों म १०० साल पहिले नर बलि देने का भी रिवाज था। चारण बजारे आम तौर पर हिन्दू हैं और गुरु नानक के अतिरिक्त महाकाली, तुलजा देवी, मिट्ठू भुखिया और सती की पूजा करते हैं।

अपराध करने की रीति—बजारा के पड़ाव में एक खाली झोपड़ा होता है जो मिट्ठू भुखिया का झोपड़ा कहलाता है। मिट्ठू भुखिया एक बजारे डाकू थे। प्रत्येक अपराधी मिट्ठू भुखिया की पूजा करता है किन्तु

दक्षिण में उसकी अधिक पूजा होती है। यदि किसी खानाबदोश बनारों के पड़ाव में किसी झोंपड़ी के ऊपर सफेद झंडा लहरा रहा हो तो यह इस बात का चिह्न है कि वह मिट्ठू भुकिया को मानता है, और अपराध करता है। जो लोग किसी अपराध करने की योजना बनाते हैं वे रात के समय मिट्ठू भुकिया की खाली झोंपड़ी में एकत्रित होते हैं। सती की एक प्रतिमा बनाते हैं, घी का चिराग जलाया जाता है जिसकी बत्ती नीचे की ओर चौड़ी और ऊपर की ओर पतली होती है। बत्ती को सीधा करके जलाया जाता है और सती की पूजा करने के पश्चात् दल के लोग उससे संकेत माँगते हैं। सती के समक्ष यह भी सूचित कर देते हैं कि वे लोग किधर, क्या और किसके यहाँ अपराध करने जाना चाहते हैं। बत्ती को फिर ध्यान से देखा जाता है और यदि बत्ती झुक जाये तो वह शुभ संकेत माना जाता है। फिर दल के लोग उठ खड़े होते हैं, झंडे को दण्डवत करते हैं और शीघ्र ही पूर्व निश्चित अपराध करने के लिए प्रस्थान करते हैं। जब तक अपराध सफलता पूर्वक न हो जाय तब तक वे किसी से बोल नहीं सकते, इसलिए अपने घर भी नहीं जाते। और यही कारण है कि राहजनी या डाका डालते समय बनारे बिलकुल नहीं बोलते, यदि उन्हें कोई रोकता या चुनौती देता है तो भी चुप रहते हैं। यदि कोई रास्ते में बोल दे या चुनौती का उत्तर दे तो वह अपशकुन माना जाता है और यह लोग बिना अपराध किये ही वापस लौट आते हैं। फिर से पूजा करते हैं और शकुन विचारते हैं और शुभ शकुन मिलने पर ही अपराध के लिए निकलते हैं। यदि दल का कोई व्यक्ति मार्ग में छींक दे तो भी अपशकुन माना जाता

और दल वापस लौट आता है। किन्तु अक्सर यह लोग चुनौती
। वाले व्यक्ति पर लाठी से प्रहार करते हैं और उसे मार डालते हैं
इतना घायल करके छोड़ते हैं कि वह उनकी कोइ हानि न
र सके।

मध्य भारत की रियासतों में भी कुछ बजारे रहते हैं। यह लोग
वैल की पूजा करते हैं। इस वैल को 'हत्यादिया' कहते हैं। इस वैल
पर कोइ सामान नहीं लादा जाता। इसको खूब सजाया जाता है
लाल रग की रेशमी झूल पीठ पर डाली जाती हैं, पैरों और गर्दन पर
पीतल की मालायें और कडे पहिनाये जाते हैं। और कौडियों, छोटे
शखों और पातल के घुघुरुओं की मालायें डाली जाती हैं, यह वैल
दिन भर चलकर शाम को जहाँ ठहरता है, बजारों का दल वही रात
भर के लिये पडाव डालता है। अपनी और अपने जानवरों की बीमारी
म इसी वैल की पूजा की जाती है।

जातियाँ—इस प्रान्त में भी बजारों की कइ उपजातियाँ हैं,
इनके नाम हैं बहरूप, चौहान, गुआर, जादो, पवारे, राठौर और
तुवारें। गुआर और बहरूप को छोड़कर अन्य उपजातियों के नाम
राजपूत जातिया पर हैं। इस प्रात के बजारे भी अपने को राजपूत
वश का बताते हैं। यह भी कहा जाता है कि एक समय म अवध
और तराइ के जिलों म इनकी रियासत थी। यह लोग बरली जिले
में बहुत पहले बस गये थे किन्तु वहा से इन्हें जगाठ राजपूतों ने
निकाल दिया। जिला खारी में भी बजारों से खैरागढ राजपूतों ने ले
लया था। सन् १९२१ में चकलादार हाकिम महदी ने बजारों को

सिजौनी परगने में निकाल दिया। देहरादून जिले में यह बात मशहूर है कि पांडवों की सेना की रसद पहुँचाने का काम बंजारे ही करते थे और इन्हीं ने देववन्द का नगर बसाया था। सर एच० एम० इलियट ने बंजारों के विषय में लिखा है कि इनकी चार मुख्य उपजातियाँ हैं

१ तुरकिया—यह लोग मुसलमान हैं और अपने को मुलतान के आदि निवासी बताते हैं। इनके पूर्वज रसनभर्तों, मुरादाबाद जिले में आकर बसे थे तब से यह लोग आस पास के इलाका में फैल गये। यह लोग सामान ढोने का काम करते हैं।

२ बद बंजारा—यह लोग अपने को भटनेर का आदि निवासी बताते हैं। इनके नेता दुल्हा थे। यह लोग कौर, पीलीभीत इत्यादि स्थानों में बसे हुए हैं। यह लोग कपड़ा बुनने तथा दवा-दारू का काम भी करते हैं।

३ लवण बंजारा—यह लोग अपने को गौर ब्राह्मणों की सन्तान बताते हैं और रणथम्भौर के आदि निवासी बताते हैं। औरंगजेब के समय में यह लोग इस सूबे में आकर बस गये। यह लोग पहाड़ी इलाकों में तिजारत करते हैं और माल ले जाने और पहुँचाने का काम करते हैं।

४ मुकेरी बंजारा—यह बरली जिले में रहते हैं और अपना नाम मक्का से सम्बन्धित बताते हैं। इनका कहना है कि इनके पूर्वजों ने मक्का को बनाया था। यह लोग पहले मक्काई कहलाते थे उसी का अपभ्रंश मुकेरी हो गया। किन्तु यह बात मन गढ़न्त ही प्रतीत होती है। शोलापुर में भी एक मुकेरी जाति होती है जो बंजारा ही का सा काम करती है इनका नाम मुकेरी 'मुकरने' शब्द से पड़ा है।

५. बहुरूप बंजारा—यह लोग नट की लड़कियों से विवाह कर लेते हैं किन्तु अपनी लड़कियाँ नटों को नहीं देते।

नायक बजारे गोरखपुर जिले में रहते हैं और अपने को कट्टर हिन्दू बताते हैं। यदि किसी की लड़की कलंकिनी हो जाती है त. उसके पिता को सत्यनारायण की कथा कहलानी पड़ती है। यह लोग अपने को सनाढ्य ब्राह्मणों से उत्पन्न बताते हैं। मृतकों की दाह क्रिया करते हैं। यह लोग जमींदार भी हैं, खेती बारी करते हैं और नाज का व्यापार भी करते हैं।

खीरी जिले की निघासन तहसील में बंजारे बस गये हैं। यह लोग खेती-बारी करते हैं और जानवर पालते हैं। जानवर बेचने के लिये यह लोग अन्य जिलों को चले जाते हैं।

पीलीभीत जिले में पीलीभीत और पूरनपुर की तहसील में भी बजारे रहते हैं। यह लोग धनी जमींदार हैं और चावल का व्यापार करते हैं। विवाह के समय वर को सिरकी के छप्पर के अन्दर रहना पड़ता है। वर के पिता को वधू के पिता को ओगली में रखकर धन देना पड़ता है।

मुजफ्फरनगर जिले में रहने वाले बजारों की विवाह की रीति रस्म नीच जाति के हिन्दुओं की तरह होती है। अदले बदले से विवाह नहीं होता। ब्राह्मण लोग पक्का खाना इनके यहाँ खा लेते हैं, हिन्दू मन्दिरों में यह लोग प्रवेश कर सकते हैं। इन लोगों की एक स्थायी पंचायत है।

इन लोगों की एक शाखा मुसलमान भी है। पीलीभीत जिले में कुछ

उद्योगधन्धे—बजारे जानवरों का व्यापार करते हैं। आगरा और मथुरा जिलों में जमुना के खादड़ा में यह लोग जानवर पालते हैं। वहाँ से बेचने के लिये अन्य जिलों में ले जाते हैं। फस्ल बोने के अवसर पर यह लोग किसानों के हाथ बैल उधार बेचते हैं और फ़स्ल कटने के समय दाम लेने के लिये राजी हो जाते हैं। यह लोग कोई रुक्का नहीं लिखाते। आम तौर से यह लोग फस्ल कटने पर दाम वसूल कर लेते हैं। यदि कोई नहीं देता तो उसके यहाँ धरना डालते हैं, उनके घर की स्त्रियों को अपशब्द कहते हैं और इस प्रकार अपना रुपया वसूल करते हैं।

सामाजिक रीति रिवाज—बजारों का पहिनावा विचित्र होता है। जिन लोगों ने यूरोप की आवारागर्द कौमों को देखा है, उनका कहना है कि बजारों का सामाजिक रीति रिवाज, पहिनावा और रहन-सहन उन लोगों से बहुत कुछ मिलता जुलता है। सन् १८७० मे एक रूसी सज्जन भारतवर्ष आये थे उनके संग एक हंगरी देश के निवासी थे जो हंगरी की खानाबदोश जाति जिङ्गारी की भाषा जानते थे। वे बजारों से उस भाषा में बात करते थे क्योंकि बजारों की भाषा जिंगारी भाषा से बहुत कुछ मिलती थी। बजारों की स्त्रियाँ लाल या हरे रंग का लहँगा पहिनती हैं जिस पर बहुत सा कढ़ाई का काम किया जाता है। चोली पर भी सामने और कंधों पर कढ़ाई का काम होता है, कसी हुई पहनी जाती है और पीठ पर बन्दों से बाँधी जाती है। बन्दों के सिरों पर कौड़ियाँ लटकती हैं। बन्द रंग बिरंगे होते हैं। ओढ़नी पर भी इसी प्रकार का काम होता है। इसका एक

सिर कमर पर गोंद लिया जाता है और दूसरा सिर के उपर ओढ़ा जाता है और उसके सिरों पर भी कौड़ी इत्यादि लगी होती हैं। यह तरह तरह के आभूषण पहिनती हैं जिनमें बीच में एक कौड़ी पड़ी रहती है। इस प्रकार की दस बीस मालायें पहिन लेती हैं। चाँदी की हँसली भी गले में पहिनती हैं जो सधवा होने का चिन्ह है। पीतल और सींग की चूड़ियाँ पहिनती हैं जो कलाई से कोहनी तक चढ़ी होती हैं। दाहिनी कलाई पर एक इन्च चौड़ा रेशमी पट्टा होता है जिस पर कढ़ाई का काम रहता है। हाथी दाँत या हड्डी के कड़े पैरों में केवल सधवा स्त्रियाँ ही पहन सकती हैं। विधवा हो जाने पर इन्हें उतार देना पड़ता है। नाक और कान में चाँदी के जेवर पहिनती हैं और समस्त शरीर म जगह जगह पीतल, ताँबा, चाँदी और हड्डी के जेवर पहिने रहती हैं। सधवा स्त्रियों के बाल एक विशेष प्रकार से बाँधे जाते हैं और उनकी चोटी भी कौड़ी इत्यादि से बंधी होती है, लेकिन अब जब कि बनारे लोग गाँव में बस रहे हैं तब उनकी निजकी पोशाक में बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है।

गिधिया

यह लोग भी जरायम पेशा जाति के हैं। यह लोग मुरादाबाद, बिजनौर, गाजीपुर, गोरखपुर के जिलों में रहते हैं। कोई लोग इन्हें सासियों की और कोई लोग इन्हें बौरियों की उपजाति बताते हैं। यह लोग विशेष प्रकार से कायस्थों से घृणा करते हैं। सियार का मांस इस जाति के लोग खाते हैं। १६४१ की जन-गणना में इनकी संख्या लगभग ६०० थी।

मदारी

कानपूर जिले में मकनपुर में शाह मदार की कब्र है। जहाँ कि बसन्त के दिन मेला लगता है। मदारी लोग अपने को शाह मदार का भक्त बताते हैं। यह लोग भालू बन्दर पालते हैं और उनका तमाशा दिखाते हैं। यह लोग कहीं कहीं खानाबदोश हैं और छोटे मोटे अपराध करते हैं। बलिया और आगरे के ज़िले में यह लोग जरायम पेशा जाति घोषित किये गये हैं।

गंडीला

यह भी एक छोटी जाति है जो जरायम पेशा जाति मानी गई है। यह लोग पंजाब के निवासी हैं। अपने प्रान्त में मुजफ्फरनगर ज़िले में रहते हैं। खेती बारी भी करते हैं।

सैकलगर

इस जाति के लोग लोहा तथा अन्य धातु के हथियार, चाकू, छुरी, इत्यादि बनाते हैं। यह लोग भी खानाबदोश हैं और कुछ जिलों में जरायम पेशा घोषित किये गये हैं।

हाबूड़ा

उत्पत्ति—हाबूड़ा एक आवारागर्द जाति है जो गंगा यमुना के मध्य दोआब के जिलों में रहती है। हाबूड़ा शब्द की उत्पत्ति सम्भवतः "हउआ" शब्द से हुई है क्योंकि इनसे पड़ोसी इनसे बहुत डरते हैं। हाबूड़ा, साँसिया और भातू एक ही नस्ल के हैं। बेड़ियों से सामाजिक दृष्टि से यह लोग ऊँचे हैं। एटा जिले के नोहरौरा गाँव के यह लोग अपने को रहने वाला बताते हैं। बरसात के दिनों में यह लोग वहीं की यात्रा करते हैं और शादी विवाह ठहराते हैं और अपने जातीय झगड़ों का निपटारा करते हैं। वहीं इनकी पंचायतों की सभा होती है। यह लोग भृगु को अपना पुरखा बताते हैं। इन महाशय ने एक दिन सीता जी को बनवास की अवस्था में जगा दिया था इस पर वह क्रुद्ध होगईं और शाप दे दिया कि वह और उनके वंशज जंगलों में मारे मारे फिरेंगे और शिकार करके पेट भरेंगे।। दूसरी कहावत यह है कि यह लोग चौहान राजपूत थे और उनके पुरखे किसी अपराध के कारण जाति से बहिष्कृत कर दिये गये।

उपजातियाँ—संयुक्त प्रांत में जो हाबूड़े आवारागर्द अवस्था में फिरते हैं, वे अन्य खानाबदोश जातियों से बहुत बातों में मिलते जुलते हैं। यह लोग अपनी जाति ठीक से नहीं बताते और जैसा मौका होता है उसी के अनुसार बेड़िया, भातू व चमार, डोम, करवाल, कजड़

करनाटक, लोध, नट या साँसिया नाम देते हैं। तीन मशहूर डाकुओं के नाम पर इनकी तीन उपजातियाँ हैं। १. मदाय, जिसम भात, जोगी, करवाल, साँसिया और सर्व रवास सम्मिलित हैं। २ कानखोर, जिसम बेड़िया, डूडरामी, चमर मँगता, मडुवाल, नट और कजर सम्मिलित हैं। ३ चेरी जिसमें बधिया, मैसिया और तुरकटा सम्मिलित हैं अपराधी जाति के कानून के अनुसार हाबूड़े साँसियों से सम्मिलित माने जाते हैं।

हाबूड़े आवारागर्दी और खानाबदोश जातियों से मिलते जुलते हैं। इस कारण वह पता लगाना कि एक व्यक्ति विशेष किस आवारा गर्द जाति का है मुश्किल होता है। सच्चा हाबूड़ा साधारण कद के व्यक्ति से कुछ लम्बा होता है, बहुत काला होता है और बहुत दुबला, बहुत तेज भाग सकता है और एक दिन म बहुत दूर निकल जाता है। दोनों हाथ और दोनों पैरों के बल भी तेजी से भाग सकता है। स्त्री पुरुष दोनों ही कम से कम वस्त्र पहिनते हैं।

सामाजिक रीति रिवाज—जाति के समस्त मसले पचायत द्वारा ही तय होते हैं। उपजातियों म अब पारस्परिक विवाह होने लगे हैं। पचीस रुपये म वधू खरीदी जाती है और वधू के पिता को यह धन मिलता है। वधू का पिता ही विवाह भोज देता है। कुछ शर्तों के साथ तलाक की प्रथा है और विधवाओं तथा परित्यक्त स्त्रियों को पुन विवाह करने का अधिकार है। प्राचीनकाल में हाबूड़े दूसरी जाति की स्त्रियों को भगा लाते थे और बिरादरी म सम्मिलित कर लेते थ। अब भी अन्य जाति की बहिष्कृत एव च्युत स्त्रियाँ हाबूड़ों म सम्मिलित हो जाती हैं। अन्य जाति की स्त्री के साथ व्यभिचार करना निन्दनीय

समझा जाता है और इस अपराध के दोषी पुरुष को १२० रुपया तक जुर्माना देना पड़ता है। आवारागर्द जीवन के कारण इस जाति की स्त्रियों का चरित्र अच्छा नहीं होता और यह स्त्रियाँ बहुत से जमींदारों की रखेलियाँ हो जाती हैं। विवाह के पूर्व लड़कियों को स्वच्छन्दता रहती है और उनके चरित्र के दोषों पर आक्षेप नहीं किये जाते। मृतकों का आमतौर पर दाहकर्म होता है, कभी कभी गाड़े भी जाते हैं। यह लोग अपने को हिंदू बताते हैं किंतु ब्राह्मणों को अपने यहाँ काम काज में नहीं बुलाते। यह लोग बिजनौर जिले में काली भवानी की पूजा करते हैं। पुरखों की प्रेतात्माओं को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और नाज दान करके उन्हें तृप्त करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार से नाज दान केवल हाबूड़े ही करते हैं। प्रत्येक परिवार के मुखिये के पास एक थैला होता है, उसमें नाज रखा रहता है और उसके बिना कोई भी पूजा उचित रूप से नहीं हो सकती। यह लोग बीमारी को पुरखों का कोप समझते हैं और नजर लगने से बहुत डरते हैं। गाय और गदहे के मांस को छोड़कर सब प्रकार का मांस खा जाते हैं, यहाँ तक कि साँप तक का।

उद्योग धन्धे तथा अपराध करने की रीति—हाबूड़े केवल दो उद्यमों में लगे हुए हैं। कुछ तो गावों में रहते हैं और खेती करते हैं, और दूसरे आवारागर्दी। जो लोग बस गये हैं और खेती करते हैं उन पर भी पूरीतौर से भरोसा नहीं किया जा सकता। यह लोग भी आवारा गर्द हाबूड़ों को सूचना देते हैं और उनकी सहायता करते हैं। आवारा गर्द हाबूड़ा, साधुओं और फकीरों का भेष बनाये घूमता है किन्तु वह

बचपनही से चोरी और डकैती डालना सीखता है। छोटे बच्चों को भी चोरी करना सिखाया जाता है। गेहूँ चावल की चोरी करना सबसे पहिले सिखाया जाता है। जब यह छोटी चोरियाँ करना सीख जाता है तब उन्हें नकबजनी और राहजनी सिखाई जाती है। हाबूड़े जहाँ रहते हैं, अपने पास पड़ोस के गाँववालों को बहुत तंग करते हैं। खेत में खड़ी हुई फसल काट डालते हैं। रास्ते में आदमियों और गाड़ियों को लूटते हैं और राहजनी और डकैती भी डालते हैं। नकबजनी, राहजनी और डकैती में ८ या ६ आदमियों का दल भाग लेता है। खेत काटने में २०, २५ व्यक्तियों का दल शामिल होजाता है। यह लोग हिंसा का प्रयोग करते हैं। यह लोग कोई हथियार अपने पास नहीं रखते सिर्फ डंडा रखते हैं। यदि किसी अपराध का पता लग जाता है और कोई गिरोह पकड़ा जानेवाला होता है तो दल का सरदार निश्चय करता है कि दल के कौन से व्यक्ति अपने को गिरफ्तार करा दें। छ के दल से दो और आठ के दल से तीन पुलिस के हवाले कर दिये जाते हैं। पवित्र नाज सिर पर रख दल का सरदार इस बात का निश्चय करता है कि कौन से व्यक्ति अपने को गिरफ्तार करा देंगे। चाहे यह व्यक्ति दोषी हो अथवा नहीं। यह लोग अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं और फाँसी एवं कालापानी की सजा को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इससे इनके दल के अन्य व्यक्ति बच जाते हैं। इन लोगों को पूरा विश्वास रहता है कि दल का सरदार और अन्य सदस्य उनके स्त्री, बच्चों का पालन पोषण करेंगे। ऐसा देखा भी गया है कि अपने परिवार के पहिले दण्डित हाबूड़ों के परिवार के भरण पोषण का प्रबन्ध

किया जाता है। अब तक अलीगढ़ जिले में यदि कोई हाबूड़ा अपराध करने के कारण अपने प्राण गंवा देता है तो उसके साथी उसकी स्त्री को नेद भी रुपया मुआविजा देते हैं। यदि कोई हाबूड़ा गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी रिहाई तक उसके परिवार का भरण-पोषण किया जाता है। यह लोग अपनी जाति वालों के विरुद्ध कभी पुलिस को भेद नहीं देते, यदि कोई भेद देता है तो यह बिरादरी से निकाला दिया जाता है। यह लोग अपने दलों का नाम बदल देते हैं, दल की यात्रा को छिपाने का अधिक प्रयत्न नहीं करते। बहुत से जमींदार इनके सहायक होते हैं और इनके द्वारा लाये गये चोरी के माल को बेचने का प्रबन्ध करते हैं।

मिस्टर हालिन्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हाबूड़ों को सुधारने की जो योजना प्रयोग में लाई गई वह विफल होगई। अपराधी जाति का कानून इन पर लागू किया गया किन्तु उसका असर केवल बसे हुये हाबूड़ों पर पड़ा जो कम अपराध करते थे। आवारागर्द हाबूड़ों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा।

चोर बोली—हाबूड़ों की भी निज की बोली होती है। यह अपनी भाषा ही में आपस में बातचीत करते हैं। बाहरी व्यक्ति को अपनी भाषा नहीं सीखने देते। इनकी बोली के कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं—

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
आई	माँ	हिन्यों	जाओ
बब्बू	बाप	जेगायि	गाय
निरगा	जल्दी	जस्याउ	चोरी
चरकोन	चिड़िया	कड	नाज

चरनिया	पेटीकोट	खाकरा	जूता
मरेरी	डलिया	कवाही	सिपाही
डिकरा	लड़का	लुगरिया	कपड़े
डिकरी	लड़की	लाड़ियो	कुत्ता
धन्नी	पति	मोटा मोंढ़ाना	थानेदार
धनियाना	पत्नी	नसीजा	भाग
टंडा	बैल	नसीग्रा	ग्राग्रो
पहुन	दामाद	परोहिन्द	यहाँ से जा
मेड़	पेड़	तत्परा	बर्तन
तबेरो	गर्मी	बैरो	हवा

———

साँसिया और बेड़िया

यह अपराधी जाति भरतपुर रियासत में उत्पन्न हुई थी और धीरे धीरे सारे भारतवर्ष में फैल गई है। बौरियों की तरह यह लोग भी चोरी, राहजनी और डाका डालते हैं।

स्लीमैन साहब ने इनकी उत्पत्ति इस प्रकार से बयान की है :—

उत्पत्ति—बहुत दिन हुए भरतपुर रियासत में दो भाई रहते थे। जिनके नाम साँसमल और मालो थे। साँसमल के वंशज बेड़िया कहलाये और मालो के वंशज सांसिया या माल्दिया भाट कहलाते थे। दोनों की नस्लें अलग अलग होगईं। सांसिया बेड़ियों को डोम कहने लगे और अपने को भाट बताने लगे। बेड़िया लोग सांसियों को मदेश कहने लगे। बेड़िये लोग ढोल बजाते और भीख माँगते थे। उनकी स्त्रियाँ वेश्याओं का पेशा करती थीं। सांसिये भीख माँगते थे या गाय, भैंस, बकरी, टट्टू बेचते या गदहा बेचते या चलनी, रस्सी या सिरकी बनाते, लेकिन यह दोनों जातियाँ चोरी, नकबजनी, राहजनी या गाँव में हिंसा के साथ डाका डालती थीं। बाद को पता चला कि इनकी एक उपजाति जो साँसी कंजड़ कहलाती है और भी अधिक खतरनाक है और उपरोक्त अपराधों के अतिरिक्त मवेशियों की चोरी और जाली सिक्का बनाने का भी काम करने लगी है।

साँसियों में एक कहावत यह भी मशहूर है कि जब दोनों भाई

साँसमल और साँसी दोनों ही जीवित थे तब प्रसिद्ध पुजा जाट के एक वंशज ने जिसका नाम मुल्लानर था आज्ञा निकाली थी कि जाटों को कुछ रिवाज साँसियों को देना चाहिये। इसलिये पुराने ज़माने में अपने को जाट जाति के भाट कहते थे और साँसियों में यह रिवाज पड़ गया था कि अपनी निरदावलियों में अपने पुरखो के नाम के साथ जाटों के नाम भी सम्मिलित कर देते थे। जाट लोग इसी कारण से साँसियों को अपना जाति भाई मानते थे। जब जाटों के यहाँ विवाह होते थे तो वे साँसियों को भी अपने यहाँ निमन्त्रित करते थे जो उनके पुरखों का गुण गान करते और उनको पुजा जाट के समय का बताते। साँसियों के दो मुख्य गोत्र हैं:—कल्हास और मल्हास। कभी कभी यह लोग कजर भी कहलाते हैं। अब यह लोग अपने को कजर नहीं मानते हैं क्योंकि मुसलमानों में भी कजर होते हैं और दक्षिण के कजर चमारों का काम करते हैं। साँसिये सब हिन्दू होते हैं।

कुछ साँसियों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुये कप्तान ऐलिस के सामने जो १८४२ में ग्वालियर के रेज़ीडेन्ट के आधीन काम करते थे बयान किया कि सतयुग से उनके पुरखे अजमेर और मारवाड़ में रहते चले आये हैं। केवल कुछ ही शताब्दी पहिले इनकी जाति में एक स्त्री हुई थी जिसका नाम बूटी था। बूटी का सम्बन्ध मारवाड़ के एक शक्तिशाली जमींदार से होगया था। वार्षिक छत्री पूजा के अवसर पर बूटी के पति को इस घनिष्ठता का पता चला और उसने बूटी को मारा पीटा। बूटी के भाई ने बूटी की मदद की। जिससे झगड़ा और बढ़ गया। लेकिन परस्पर के, मित्र और सम्बन्धियों ने झगड़ा

भरतपुर रियासत के बरोली जिले में काड इलाके के नियाना गाँव में कुछ राजपूत रहते थे। गूजर और बेड़िये इन्हीं राजपूतों के वशज हैं। गूजर किसानी करने लगे और बेड़िये खानाबदोश होगये। बेड़ियों में दो मुख्य नेता हुये जिनके नाम थे साहमल और साहसी। साहमल के वशज बेड़िये कहलाये और साहसी के वशज साँसी कहलाये।

बेड़ियों में ८ गोत्र हैं —१. कालाबीर, उपगोत्र पोमत। २ बीटू, उपगोत्र मगल और चाँदो, ३. चन्दराद, ४ भाटू, ५ सिमाहचा, ६ कोठान ७ मूरा, ८. गेहाला।

सगोत्री का विवाह नहीं होसकता। अन्य गोत्रों में विवाह होसकता है। बीटू और गेहालों में भी विवाह नहीं हो सकता क्योंकि बीटू और उसकी उपगोत्र मगल गेहालों से ऊँचा मानते हैं।

साँसियों में ५ गोत्र हैं :

१ भोभया, २ रामचन्द्र, ३. बेलिया, ४. दुसी, ५ साँतो।

भोभया का विवाह बेलियों के साथ नहीं हो सकता है। रामचन्द्रियों का विवाह दुसी के साथ नहीं हो सकता। रामचन्द्री और दुसी का विवाह भोभया और बेलिया के साथ हो सकता है। पाँचवी गोत्र साँसी का विवाह केवल गोत्र ही में हो सकता है। बेड़ियों और साँसियों में अन्तर्जातीय विवाह हो सकते हैं, यद्यपि ऐसे विवाहों का पसन्द नहीं किया जाता। बीटू अपने विवाह साँसियों में नहीं करते।

भारत के भिन्न २ प्रान्तों में बेड़ियों और साँसी भिन्न २ नामों से पुकारे जाते हैं, जैसे —

१. मालवा में साँसी २. गुजरात में पोपत, घाघरा पल्टन, ३. सिन्ध

जब यह लोग गिरोह में अपराध करने के लिये निकलते हैं तो वृद्ध स्त्री, पुरुषों और बालकों को गाँव में छोड़ देते हैं। युवा स्त्री को अपने साथ रखते हैं और साथ में अपने गदहे, बकरियां और भैंस ले लेते हैं ताकि उन पर कोई सन्देह न करे और यह समझे कि यह लोग ईमानदार हैं और अपनी जीविका जानवरों को बेच कर या भीख माँग २ कर बसर करते हैं। यह लोग अपने को भाट भी बताते हैं। कभी जाट का भाट, जगभाट, गुजराती भाट, काशी भाट या कुम्मन भाट कहते हैं।

साँसी डाकुओं ने अपराध स्वीकार करते हुये अपराध करने की रीति का इस प्रकार वर्णन किया है कि जिस स्थान पर अपराध करना होता है वहाँ से कोई दो रोज की यात्रा की दूरी पर गिरोह ठहरता है। गिरोह सरदार, तीन चार चतुर स्त्रियों को और थोडे से आदमियों को लेकर आगे बढ जाता है। बाँस और भाला की नोकों को अपने साथ ले लेते हैं और उनको अपराध करने के स्थान के पास ही जमीन में गाड़ देते हैं। यदि उस स्थान पर कोई मशहूर मन्दिर होता है तो वहाँ पूजा करने जाते हैं। उस स्थान पर तीन, चार दिन रहते हैं और पता लगाते हैं कि इस स्थान का प्रमुख महाजन कौन है, और भागने के रास्तों का भी सुभीता कर लेते हैं। जब महाजन का निश्चय होगया तब थोडा सी खरीदी हुई मदिरा को पृथ्वी पर देवी के नाम से छिड़कते हैं और कहते हैं कि हे देवी मैया यदि हम अपने काम में सफल हुये और हमें पर्याप्त लूट का धन प्राप्त हुआ तो हम आपकी खूब पूजा करेंगे और नारियल चढावेंगे।

सिर काट कर यह लोग ले जाते हैं ताकि गिरोह की पहचान न हो सके।

अपराध करने के पश्चात यह लोग टुकड़ियों में भाग निकलते हैं। जो लोग पहिले जाते हैं वह सड़क के चौराहों पर पत्थर रख कर ऐसा चिह्न बनाते हैं जिससे पीछे आने वाले साथी को मालूम हो जावे कि गिरोह किस ओर गया है। फिर जब टुकड़ियाँ मिल जाती हैं तो यह लूट के माल को गाड़ देते और जब डाके की चरचा समाप्त हो जाती है तब निकाल लेते हैं। स्त्रियाँ भी डाके के पश्चात् फौरन चल देती हैं और गिरोह में जा मिलती हैं।

बगाल पुलिस का बयान है कि सासी और कजड़ा की स्त्रियाँ पुलिस के काम म अड़चन डालती हैं और उनका मुकाबिला करती हैं और कभी २ कीचड़ और मैला भी फेंक देती हैं। चोरी की छोटी मोटी चीजों को स्त्रियाँ अपने मुँह या गुप्तेन्द्रिया म छिपा लेती हैं। चोरी का सामान और रुपया, पैसों को यह लोग गधा, घोड़ों के साज और चारपाइयों के पावों म, जो अन्दर से पोले होते हैं, धर लेते हैं। अपने बदन पर भी कपड़ों के भीतर चोरी का सामान रख लेती हैं, जिससे वे गर्भिणी मालूम पड़ें। चमड़े की छोटी थैलियों में थोड़ा सा खून रखती हैं और यदि चोरी करते समय पकड़ी जायें तो इस थैली को फोड़ कर खून निकालती हैं। और अपने कपड़ों को तर कर लेती हैं और यह जाहिर करती हैं कि पकड़ धकड़ म उनका पेट का बच्चा गिर गया है। बेचारे गाव वाले डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। मेलों में भी स्त्रियाँ जाती हैं, पाकेटमारी का काम करती हैं और बालकों के शरीरों से गहने चुरा लेती हैं। स्त्रियाँ

और लड़कियाँ सड़कों पर नाच कर भीख माँगती हैं और जो लोग दान देते हैं उन्हीं के जेब कतर लेती हैं। बड़े घरों के भीतर यह लोग चली जाती हैं और फिर अपने आदमियों को घर के अन्दर की सूचना देती हैं जो लोग फिर चोरी कर लेते हैं।

सेन्ध करने के इनके औज़ार चोरियों की ही भाँति होते हैं यद्यपि इनके औज़ार शक्ल में कुछ उनसे भिन्न होते हैं। इनके पास एक विशेष औज़ार होता है जिसका एक सिरा अर्द्धवृत्ताकार होता है और जिससे यह लोग कुन्डे और जंजीर को खोल लेते हैं। औज़ारों के अतिरिक्त यह लोग दो चाकू भी रखते हैं। इनके हथियारों के चित्र नीचे दिये जा रहे हैं।

स्त्रियाँ रंगीन घाँघरा या साड़ी पहिनती हैं, नाक कान, छिदे होते हैं जिनमें यह गहनें पहिनती हैं, गले में हार पहिनती हैं और बदन पर चोली। सोती स्त्रियों की बालियों को उतारने में यह लोग निपुण होती हैं।

१८४१ ई० में स्लीमैन साहब ने साँसियों को हिन्दुस्तान भर में फैला हुआ पाया था। यह लोग महाराष्ट्र, मद्रास प्रान्त में मिले थे और पूना, हैदराबाद, कृष्णा, विजयानगरम् में पाये गये थे। १८४० ई० में उन्होंने कृष्णा जिले का सरकारी खजाना लूट लिया था।

पंजाब में यह लोग १८६७ तक रिफार्मेटरी में भेजे जाते थे। फिर वहाँ भेजना नियम विरुद्ध समझा गया जिससे सांसियों द्वारा कृत अपराध बढ़ गये। कुछ दिनों बाद १८७१ का जरायम पेशा कानून इन पर लागू किया गया, फिर भी साँसियों के उपद्रव जारी हैं। १८८२ ई० में इनका एक गिरोह रेल द्वारा लाहौर से दिल्ली आ गया और आठ दिना में नौ डाके डाले। १६०० ई० में इनके एक गिरोह ने गोदावरी और विजगापट्टम के जिले में डाके डाले। १६०४ ई० मे कंजड़ों का एक गिरोह, नासिक जिला में डाका डालते पकड़ा गया। इस गिरोह में तीस पुरुष, २१ स्त्रियाँ और कुछ बच्चे थे। जब गिरोह पकड़ा गया तो चोरी व सामान के अतिरिक्त चोरी के जानवर भी इनके पास पकड़े गये। १६०७ ई० में उन लोगों ने कुरनूल जिले में डाके डाले जिसमें बहुत से पकड़े गये और जेल भेजे गये, कुछ काले पानी भेजे गये।

साँसियों की एक जाति है जो अवधिया कहलाती है। यह फतेहपुर जिले में रहती है और जौनपुर, इलाहाबाद, कानपुर और हमीरपुर के जिले म भी पाई जाती है। यह लोग भी पक्के चोर और जाली सिक्का बनानेवाले होते हैं। यह लोग गाँव म भीख माँगने जाते हैं और फिर पैसों के बदले म रुपया माँगते हैं। चाँदी के रुपये के बदले में १० आने देने का वायदा करते हैं, फिर यदि उन्हें कोई रुपया देता है तो उसे अपने खोटे रुपये से चालाकी से बदल देते हैं और किसी बहाने से खोटा रुपया लौटा देते हैं।

बरवार

उत्पत्ति—दक्षिण के भामना की तरह बरवार भी एक अपराधी जाति है। यह लोग घाट, मेले, त्योहारों, छावनियों और रेलवे स्टेशनों पर उठाइ गीरी करते हैं और अपना भेष बदल कर हिन्दुस्तान भर में चोरी करते हैं। कहा जाता है कि पटना और उसके नजदीक जिलों व कुर्मियों से इनकी उत्पत्ति हुई है। बाद में इनकी दो मुख्य उप जातियां हो गई हैं। एक जाति उत्तर की ओर गई और गोंडा, बरेली, सीतापुर और अन्य स्थानों में बस गई। दूसरी दक्षिण की ओर गई और ललितपुर, बिलासपुर और मध्यप्रान्त म बस गई और अब सोनारिया कहलाती है। इन उपजातियों के कई भाग हो गये हैं। असली जाति के लोग सुआग कहलाते हैं और जो लोग इनकी जाति में बगाल से आकर मिल गये हैं वह गुलाम कहलाते हैं और उनके नौकर और तिलरसी कहलाते हैं। जो गोंडा में जाकर बस गये थे उन्होंने गुलामों से विवाह कर लिया किन्तु जो लोग बरेली और हरदोई में बसे थे उन्होंने विवाह गुलामों से नहीं किया इससे इन लोगों में दो उप जातियां बनगईं। दक्षिण में जो लोग बसे थे उनमें कोई उप जातियां नहीं बनीं। उत्तर में बसने वाली जाति में गोंडा के रहने वाले बरवार अपराधी जाति कानून के अन्दर घोषित कर दिये गये हैं।

दक्षिण में जो लोग ललितपुर में बसे वे भी अपराधी जाति कानून के अन्दर घोषित कर दिये गये हैं।

सामाजिक रीति रवाज—बरवार लोग देवी और महावीर की पूजा करते हैं और अपने को हिन्दू कहते हैं लेकिन *मुसलमान* पीर, सैयद, सालार, मूसा, गाजी को भी मानते हैं। और बहराइच म इनके मकबरे के दर्शन करने जाते हैं। यह लोग शगुन को भी मानते हैं। और चोरी पर जाते समय मार्ग में यदि कोई सरकारी कर्मचारी मिल जाय तो वापस लौट आते हैं।

अपराध करने का तरीका —सबसे नीची जातियों के अतिरिक्त अन्य जातियों के लोग उनकी जाति में सम्मिलित हो सकते हैं। सम्मिलित करने की रीति यह है '—पहिले यह लोग अपनी जाति को बढ़ाने के लिये बंगाल से बालकों को चोरी करके लाते थे, लेकिन यह तरीका इन लोगों ने छोड़ दिया है क्योंकि इस प्रकार की चोरी में सजा अधिक हो जाती है। इनकी अपनी अलग बोली होती है, इस बोली और कुछ इशारों के द्वारा यह लोग बात चीत कर लेते हैं और इससे चोरी करने में सुविधा होती है। हिन्सा सम्बन्धी अपराध यह लोग नहीं करते हैं। डाका कभी नहीं डालते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में भी चोरी नहीं करते थे किन्तु अब कुछ लोगों ने ज्ञात कर लिया है कि अंधकार में चोरी करने में सुविधा मिलती है। पुरुष, स्त्री और बालक सभी चोरी करते हैं। छोटे बालक को चोरी करना सिखाया जाता है, इशारे के द्वारा एक निपुण चोर उसे शिक्षा देता है। जैसे ही वह किसी चीज को चुराता है वह उसे बहुत फुरती से अपने

साथी को दे देता है, वह तीसरे को और इस प्रकार चीज़ पहुँच जाती है जहां इनका गिरोह ठहरा होता है और जो स्थान दो, तीन मील की दूरी पर होती है। चोरी करने के पश्चात् इनका गिरोह उस स्थान से चल देता है।

स्त्रियाँ—करीब में मेलों और त्योहारों में स्त्रियाँ भी जाती हैं। अच्छी और बढ़िया पोशाक पहिनती हैं और आभूषणों से अपने को सुसज्जित कर लेती हैं। मन्दिरों में जो स्त्रियाँ पूजा करने को जाती हैं उनके साथ हो लेती हैं और जब वे लोग पूजा पाठ और आरती और फल फूल चढ़ाने में व्यस्त होती हैं या ध्यान में मग्न होती हैं तो यह लोग उनके आभूषणों को उतारने में लग जाती हैं। इन स्त्रियों का हाथ इतना साफ होता है और इस सफाई से गहना चुरातीहैं कि जिन स्त्रियों के शरीर से गहना उतारा जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। कान की बालियों और बुन्दे, नाक की बुलाक और नथनी और गले का हार इत्यादि यह स्त्रियां उतार लेतीं हैं।

यह स्त्रियां अपना चेहरा ढांके रखतीं हैं और सन्देह दूर करने के लिये ब्राह्मणी बन जातीं हैं, आदमी, साधू का भेष रखते हैं। भाम्ताओं की तरह चोरी करते हैं, चलती रेल की खिड़कियों से चोरी का माल बाहर फेंक देते हैं, और स्टेशन आने पर उतर पड़ते हैं और पैदल चल कर चोरी का माल जो उन्होंने फेंक दिया था उठा लाते हैं या अपने साथियों को उठाने के लिये भेज देते हैं।

यह लोग अपने को ब्राह्मण बताते हैं, जनेऊ पहिनते हैं और अपने पेशे को छिपाते भी नहीं हैं। अपने पेशे को धर्मानुकूल बताते हैं

और ब्राह्मण द्वारा लूटे जाने को श्रेयस्कर बताते हैं। जब बरवार पकड़े जाते हैं तो अपने रहने का स्थान बहुधा नैपाल बताते हैं।

बरवारों ने इधर काफी तरक्की की है। यह लोग गांव में बस गये हैं और खेती करते हैं। इनकी जाति के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति धारासभा के सदस्य भी हैं। सरकार ने इनकी गिनती परिगणित जातियों में की है, इसका इन्हें दुख है।

बरवारों की गुप्त बोली के कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं।

अकीती न कुराइस = अपने साथियों को न पकड़वाना

बान = स्त्री	किनारा = १०)
बैजाराइ = राजा	खोपड़ी = ढाल
चेनू = दरजी	मसकरा = नाई
बिसनी = धन	जटारू = बन्दूक
बिनार = गुलाम	नार = मंदिर
बैग = पैसा	पितारी = मिर्चा
ग्रजार = १०००)	सहना = सरदार
बूटादार = सोधा	सदजन = ब्योपारी
बेल = सिर	भर = घर
तुल = चेहरा	लूती = लूटना
भाभी = रकम	कालयाना = आगत गानो
बेताल = सोने का हार	नामुत = आदमी

सुरड़ा=तेल, घी
हलर=शराब
गफना=जूता
गुदारा=मंदिर
कुसर=ब्राह्मण
सुभागा=सुनार
थाद=नाग

नदक्चार=थानेदार
मगधर=कायस्थ
गराई डालना=चोरी का माल बेचना
देहान्=रिश्वत
सुटट्=चुप रहो
मुनरिया=रएडी
सुद्री=हाथी नाक

मल्लाह

अथवा चाँई मल्लाह

उत्पत्ति—यह लोग भी पाकिटमारी और रेल पर चोरी करते हैं। यह लोग मथुरा जिले में रहते हैं। प्राचीन निवासी यह लोग नलिया जिले के थे इसलिये यह लोग नलिया व चाँई मल्लाह कहलाते हैं। "चाँई" शब्द के माने चोर या पाकिटमार है।

सन् १६०० में मथुरा जिले के कलेक्टर मि० यल०सी० पार्टर ने शेरगढ थाने का निरीक्षण करते हुए चाँई मल्लाहों के विषय म निम्न लिखित नोट लिखा। 'सिगारा और चामागाडी में मल्लाहों की विचित्र बस्ती है। एक ठाकुर इस काम म इन लोगों की ढग स सहायता करता है। उसकी एक दूकान कलकत्ते म है। जिसमें जाहिरदारी में कपड़ा बिकता है। मल्लाह लोग उसकी दुकान पर आते जाते हैं और रात दिन लूट मार करते हैं। उसने अभी अपने घर १,५०० रुपया भेजा था। उनमें से एक आदमी माघ मेले में पकड़ा गया था और पहिचान लिया गया था। कलकत्ते की पुलिस को इनकी सूचना देनी चाहिये।'

उद्योग धन्धे—चाँई मल्लाह मथुरा जिले के मथुरा, महाबन, राधा, दिनायन, माठ, सुरीर, नाहे, भील, मकोई और शेरगढ के थाना म रहते हैं। यह लोग अपने को ठाकुर कहते हैं। धीमर और कहारों

से यह लोग अपने को पृथक् बताते हैं। यह अपने को बलिया जिले का आदि निवासी बताते हैं लेकिन यह कब और किस कारण बलिया से मथुरा आये इसका उल्लेख पता नहीं है। मथुरा के कुछ मल्लाह कहते हैं कि उनके पुरखे देहली और गुड़गाव के जिले से आये थे और उनकी बिरदरी के लोग अब भी वहां रहते हैं, जिनमें से कुछ लोग जमींदार भी हैं। मथुरा के मल्लाह चाहे बलिया के आदि निवासी हों या किसी अन्य स्थान के, किन्तु आज तक वे बलिया के जिले के मल्लाहों से अपने को भिन्न एवं श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि बलिया के मल्लाह, कहारों की तरह दूसरे की नौकरी करते हैं। मथुरा के मल्लाह अपराधी जाति नहीं कही जा सकती। बहुत जगह यह खेती-बारी करते हैं जैसे नोहझील और महगोई के स्थानों में। किन्तु शेरगढ़, सुरीर भट और राया के थानों में रहने वाले मल्लाह चोरी और उठाईगीरी करते हैं। और इसी काम के लिये इलाहाबाद, हरिद्वार, गढ़-मुक्तेश्वर और पजाब के मेलों में जाते हैं। अधिकाश लोग बगाल जाते हैं जहा चोरी भी करने में अधिक सुविधा है। चोरी और उठाईगीरी के अतिरिक्त कोई भारी अन्य अपराध यह लोग नहीं करते हैं।

अपराध करने की रीति—आगरा, अलीगढ़ जिले के मल्लाह भी यही काम करते हैं। इन लोगों की अपनी कोई भाषा नहीं है। यह लोग अपना भेष भी नहीं बदलते हैं। चार पाच आदमियों की टोली म यह लोग जाते हैं और साथ में दो तीन लड़के ले जाते हैं। टोली का एक सरदार होता है, जिसका कहना सब लोग मानते हैं। यही

दिन भर का सारा खर्चा करता है और टोली के सदस्यों के घरों को रुच भेजता है। यह लोग रेल या सड़क से सफर करते हैं और शहरों से वस्तुओं को चुराकर रास्ते के गांवों में बेचते हैं। बेचने के समय अपने को भूसा और रुपयों की जरूरत वाला बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर वे लोग जेब भी काटते हैं। बाहर निकलने के रास्ते पर और टिकट घर की खिड़की पर इन्हें अच्छा अवसर मिलता है। दूसरे मुसाफिर जब टिकट लेने या किसी अन्य काम से जाते हैं तो यह लोग इनके माल की हिफाजत की जिम्मेवारी ले लेते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि मुसाफिर को अपने सामान से हाथ धोना पड़ता है। यह भी सुना गया है कि मल्लाहों में से एक व्यक्ति स्टेशनों के मुसाफिर-खानों में साधू का भेष बनाकर बैठ जाता है और आग जला कर चिलिम सुलगाना शुरू कर देता है। अन्य मल्लाह अपरिचित की भाँति आते हैं और चिलिम पीने के लिये एक गोला लगा कर बैठ जाते हैं। आस पास के मुसाफिर उनकी देखा देखी मुफ्त की चिलिम पीने आ जाते हैं। अपनी एक पैसे की बचत करते हैं लेकिन मल्लाह लोग उनकी वस्तुयें गायब कर देते हैं। बनिया या ठाकुर अपने को यह लोग बताते हुये सफर करते हैं और अपनी जाति और पता कभी भी ठीक नहीं बताते हैं। यदि अभाग्यवश उनका कोई साथी पकड़ा जाता है तो रुपया देकर उसको छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं और चाहे उसे छुड़ाने में असफल हों या सफल अपनी यात्रा जारी रखते हैं।

कलकत्ता पहुँच कर यह लोग मिल कर एक मकान किराये पर

है तो इनकी स्त्रियां लड़ने पर प्रस्तुत हो जाती हैं और चाकू मारने तक की धमकी देती हैं।

किंगीरिया

यह एक भीख मांगने वाली जाति है। छोटे मोटे अपराध भी करती है। फतहपुर जिले में इस जाति के लोग रहते हैं। एक प्रकार का बाजा बजाकर भीख मांगते हैं।

अहेड़िया

अहेड़िया :—संस्कृत, आखेटिक = शिकारी।

उत्पत्ति—गंगा जमुना के मध्य में, दुआबा में, रहने वाली जाति है। इन लोगों का काम शिकार करना, चिड़िया पकड़ना और चोरी करना है। सर एच० एम० इलियट साहब इन्हें धानुकों की उपजाति बताते हैं। धानुक लोग मरे जानवर का मांस खाते हैं। पर यह लोग ऐसा मांस नहीं खाते। हेरी या हैरी नाम की जाति पहाड़ पर होती है, यह भी इन्हीं लोगों की भांति होती है। इन लोगों को दास बहादुर ने चौकीदारों की तरह तराई में बसाया था और यह लोग उस इलाके को तबाह करने लगे, लेकिन विलियम साहब का मत है कि देहरादून जिले के हेरी आदि निवासी हैं और भोक्सों से मिलते जुलते हैं। इन लोगों में और अलीगढ़ जिले के अहेड़ियों में कोई भी समानता नहीं है। गोरखपुर कमिश्नरी में अहिरिया या दहिरिया नाम की एक जाति है जो लोग घूमते फिरते हैं और जानवरों की तिजारत करते हैं। ये सम्भवतः अहीर हैं और इनका अहेड़ियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। गोरखपुर में एक और अन्य जाति है जिसे अहिलवा कहते हैं जो धानुकों से फूटी है और जिसका पेशा सांप पकड़ना है और जो सांपको खाते भी हैं। पंजाब में अहेरी नाम की एक जाति है जो अपने प्रान्त के अहेड़ियों से मिलती जुलती हैं। वे लोग अपना आदि स्थान राजपूताना मुख्यतः जोधपुर बताते हैं। यह लोग अवारा गर्द हैं किन्तु यदि इनको मजदूरी मिले तो गांव में बस जाते हैं। यह लोग हर

प्रकार के जानवर पकड़ते और खाते हैं और कुश और घास में काम करते है। इन कामों के अतिरिक्त मज़दूरी भी करते है। फसल कटने के समय गिरोह में मज़दूरी की तलाश में जाते हैं और सड़कों की खुदाई का काम भी करते है। मि० फैगन ने लिखा है कि यह लोग डलिया और सूप भी बनाते हैं। उनका यह विचार भी है कि यह लोग आदि काल में राजपूत रहे होंगे। किन्तु बाद को उन्होंने नीच जाति की स्त्रियों से विवाह किया और अहेड़ो उन्हीं की मिश्रित सन्तान हैं। सबसे सम्भावना इस बात की है कि अपने सूबे के अहेड़िये भील और उन्हीं से मिलते हुये बहेलियों के वंशज हैं। अलीगढ़ ज़िले के अहेड़ियों ने यह भी स्वीकार किया था कि पहिले ज़माने में यह लोग अन्य जाति की स्त्रियों को भी अपनी जाति में सम्मिलित कर लेते थे क्योंकि उस समय उनकी जाति में स्त्रियों की कमी थी। अब यह प्रथा बन्द कर दी गई है क्योंकि अब स्त्रियों की संख्या पर्याप्त हो गई है।

अलीगढ़ ज़िले में यह लोग अहेड़िया भील तथा करोल के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह लोग अपने को राजा पिरियावर्त के वंशज बताते हैं किन्तु उनके बारे में स्वयं कुछ नहीं जानते। सम्भवतः पिरियावर्त से उनका आशय राजा प्रियाव्रत से है जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और हिन्दूधर्म कथाओं के अनुसार जिन्होंने पृथ्वी पर रात्रि न रहने का प्रयत्न किया था और जिन स्थानों पर सूर्य की ज्योति नहीं पहुंचती वहां अपने रथ और घोड़ों से सूर्य की गति से और सूर्य ही के समान प्रकाश से परिक्रमा की थी किन्तु ब्रह्मा जी के कहने से छोड़ दी। उन्हीं के रथ

ये वहियों के वंशजों में पूरन दास ... महात्मा और भक्त महावीर थे। उन्होंने चित्रकूट को अपना निवास स्थान चुना और वे वहाँ अवैदिया कहलाये गये और आजकल के अवैदिया उन्हीं के वंशज हैं। चित्रकूट से यह लोग अयोध्या आये। अयोध्या से कानपुर और ... भी गये हुये तब ...पुर से अलीगढ़ आये। चित्रकूट और अयोध्या इनके तीर्थ स्थान हैं।

सामाजिक रीति रिवाज—इनकी जाति में एक पंचायत है। पंचायत के सदस्य कुछ निर्वाचित और कुछ जाति द्वारा मनोनीत होते हैं। जाति के सम्बन्धी सब मामलों पर यह पंचायत विचार करती है। केवल सामाजिक मामलों पर नहीं विचार करती। इनका सरपंच स्थायी और पुश्तैनी होता है। यदि सरपंच का बेटा नाबालिग हो तो सरपंच के मरने पर पंचायत का एक सदस्य उसकी नाबालिगी में सरपंच का काम करता है।

मिस्टर हुकम के कथनानुसार इनकी जाति में ऐसे विभाजन नहीं हैं जिनके भीतर या जिनके बाहर विवाह न किया जा सकता हो। सगे भाई बहनों की सन्तानों का आपस में विवाह नहीं हो सकता। जिस कुल में अपने कुल की बेटी याददाश्त में ब्याही गई हो उस कुल में भी विवाह नहीं हो सकता। धार्मिक मतभेद से विवाह में कोई बाधा नहीं पड़ती। एक आदमी चार स्त्रियों से विवाह कर सकता है और दो बहनों से भी विवाह कर सकता है। विवाह के सम्बन्ध में इनके यहाँ एक अजीब रिवाज चला आ रहा है जो विशाच विवाह का द्योतक है। वर वधू को एक तालाब के किनारे ले जाता है, वधू वर को बबूल

को डाल से मारती है फिर घर लाई जाती है और वर के सबंधी उसकी मुंह दिखाई करके उपहार देते हैं। जेठी स्त्री घर पर शासन करती है और उससे छोटी स्त्रियों को उसका कहना मानना पड़ता है। स्त्रियों में आपस में मेल रहता है और केवल कुछ ही स्थानों में उनके लिये पृथक् घरों की आवश्यकता होती है। विवाह के लिये आयु सात वर्ष से बीस वर्ष तक है। पचायत की मजूरी और स्त्री पुरुष की इच्छा से विवाह समाप्त भी किये जा सकते हैं। नाई ब्राह्मण की मदद से वर का मित्र विवाह पक्का करता है। यदि वर वधू आयु के होते हैं तो उनकी राय ली जाती है,, अन्यथा माता पिता ही विवाह सम्बन्ध पक्का करते हैं। वधू का मूल्य निश्चित नहीं है किन्तु यदि कन्या का पिता निर्धन होता है तो वर के सम्बन्धी उसे जेवनार देने का व्यय देदेते हैं अन्यथा कन्या के पिता को दहेज देना पड़ता है। स्त्री धन और मुंह दिखाई के उपहार, स्त्री की निजी सम्पति हो जाती है। कोढ़, नपुंसकता, पागलपन और अपाहिज दानों से विवाह विच्छेद हो सकता है। दूसरी स्त्री, पुरुष से सम्बन्ध करने की शिकायत पंचायत के सामने आती है और सिद्ध होजाने पर विवाह विच्छेद कर दिया जाता है। कराव की रस्म से इस प्रकार परित्यक्ता स्त्रियाँ पुनः विवाह कर सकती हैं किन्तु जिन स्त्रियों का विवाह विच्छेद अन्य पुरुष से सम्बन्ध रखने के कारण होता है वे कराव की रीति से विवाह नहीं कर पाती यद्यपि ऐसा करना रीति के अनुकूल ही है। यदि मां या बाप में से कोई अन्य जाति का हो तो उनकी सन्तान लेन्ढा कहलाती है और उनको जाति के समस्त अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। यदि कोई आदमी

विधवा से विवाह करना चाहता है तो उस स्त्री को वह एक जोड़ा कपड़ा, चूड़ियाँ और बिछुये भेजता है। फिर बिरादरी जमा की जाती है और स्त्री से पूछा जाता है कि उस पुरुष से विवाह करना चाहती है या नहीं। यदि वह स्वीकार कर लेती है तो फिर ब्राह्मण साइत विचारता है और नया पति उसे नये वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित करके अपने घर ले जाता है और फिर वह पुरुष बिरादरी को दावत देता है। इस प्रकार के विवाह को कराव या धरेजा कहते हैं। इसमें बारात नहीं जाती और न भाँवर होती है। विधवा का देवर यदि कुआँरा हो तो उसी से विवाह होता है अन्यथा किसी बाहरी व्यक्ति से। यदि वह बाहरी व्यक्ति से विवाह करती है तो प्रथम घर की जायदाद पर उसका कोई हक नहीं रहता। बच्चे पर भी उसका हक नहीं रहता है।

जब गर्भ का निश्चय होजाता है तो बिरादरी के लोग एकत्रित किये जाते हैं और चना और गेहूँ, महुये के साथ उबाल कर बाँटा जाता है। गर्भिणी स्त्री के पैर गंगाजी की ओर रक्खे जाते हैं और चारपाई ही पर बच्चा जनाया जाता है। यह रिवाज अन्य हिन्दू जातियों से विपरीत है। भंगिन, दाई का काम करती है और फिर, सोवर में नाइन रहती है। बालक उत्पन्न होने पर मित्रों में महुआ बाँटा जाता है और स्त्रियाँ ताली बजा कर गीत गाती हैं। छठी के दिन सती को पूजा करती हैं, बारहवें दिन माता को नहलाया जाता है, आटे का चौक बना कर ब्राह्मण पूजा करता है और मन्त्र पढ़कर बालक का नामकरण करता है। बिरादरी की दावत होती है और

स्त्रियाँ नाचती गाती हैं। उसको दशटौने कहते हैं। यदि बालक की उत्पत्ति मूल नक्षत्र में होती है तो दशटौन १६ या २१ दिन में होता है। २१ पत्तों के पत्ते, २१ कुओं का जल और २१ गाँव के कंकड़ जमा किये जाते हैं और इन वस्तुओं को एक घड़े में भर देते हैं। उसमें जल भरा जाता है और उस जल से नवजाति बालक की माँ को नहलाया जाता है। नाज और रुपया ब्राह्मण को दान दिया जाता है और तब शुद्धि होना माना जाता है।

अहेड़ियों में पुत्र न होने पर अन्य बालक का गोद लिया जाता है और इसकी भी अलग रस्म होती है। दत्तक पुत्र को नये कपड़े और मिठाई मिलती है और बिरादरी को दावत दी जाती है। दत्तक पुत्र की आयु दस वर्ष से कम होनी चाहिये।

विवाह की रस्म भी अन्य हिन्दू जातियों की तरह है। प्रथम सगाई होती है। वधू पक्ष का नाई वर को पान खिलाता है और फिर लगन होती है जिसमें वधू का पिता धन, आभूषण, वस्त्र, नारियल और मिठाई भेजता है। इसमें दूब घास भी रक्खी जाती है और शादी के लिये पत्र होता है। वर को यह वस्तुयें चौक पर बैठाल कर भेंट की जाती हैं। रात भर रतजगा होता है जिसमें स्त्रियाँ नाचती गाती हैं फिर वर, वधू के उबटन लगता है। इसके उपरान्त वर, वधू घर से नहीं निकलने पाते हैं। फिर मड़वा गाड़ा जाता है और मड़वे की दावत होती है। वर पीले रंग का जामा पहिनता है और मौर बाँधता है। वर का पिता एक नाई के हाथ वधू के लिये शरवत भेजता है और वह वापसी में भोजन सामग्री भेजते हैं। उसे बरौना कहते हैं।

फिर होम होता है, अग्निकुण्ड की वर, वधू सात बार परिक्रमा करते हैं और कन्यादान होता है। विवाह के पश्चात् वर, वधू एक कमरे में ले जाये जाते हैं और वहां दोनों साथ २ भात और मिठाई खाते हैं। वधू पक्ष की स्त्रियाँ वर से मज़ाक करती हैं और जूते को कपड़े में लपेट कर देवी देवता का बहाना करके जूते की पूजा वर से कराने की चेष्टा करते हैं। यदि वर जूते की पूजा करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। वर और वधू की गाँठ खोल दी जाती है और मौर उतार कर वर जनवासे को वापस जाता है। ग़रीब आदमियों में सगाई नहीं होती है और न लगन ही आती है। वधू के पिता को धन दिया जाता है और कन्या को वर के घर ले जाकर विवाह होता है। अग्नि की सात बार परिक्रमा करने से ही विवाह हो जाता है। जो लड़कियाँ भगा कर या फुसला कर लाई जाती हैं उनका भी विवाह इसी प्रकार होता है और उस रस्म को डोला कहते हैं।

धनी व्यक्ति मुर्दों को जलाते हैं। निर्धन गाड़ते हैं या जल में प्रवाह करते हैं। मुर्दों का मुँह नीचे रख कर दफनाया जाता है ताकि भूत बन कर न लौट सके। मुर्दे के पैर उत्तर दिशा में रक्खे जाते हैं। कुछ लोग बिना कफ़न ही गाड़ देते हैं। दाह क्रिया के बाद अस्थियाँ गंगाजी में प्रवाह की जाती हैं किन्तु कुछ लोग वहीं ही छोड़ देते हैं। दाह क्रिया के बाद लोग स्नान करके घर को लौटते हैं। दाह के तीसरे या सातवें दिन मृत व्यक्ति का पुत्र या जिसने आग लगाई हो हजामत बनवाता है। तेरहवीं पर बिरादरी की भी दावत होती है,

तेरह ब्राह्मणों को दान दिया जाता है और फिर हवन होता है। साधारणतया श्राद्ध नहीं होता किन्तु पितृपक्ष में पुरखों की पूजा होती है।

मृत्यु के पश्चात् तेरह दिन अशुद्धि रहती है। प्रसूति के पश्चात् दश दिन, रजस्वला के लिये तीन दिन अशुद्ध होते हैं।

अहेड़िये देवों की पूजा करते हैं। मेरासुर को कुल देवता मानते हैं। मेरासुर का मन्दिर ग्राम गगोरी, अतरौली तहसील में है। वैशाख की अष्टमी और नवमी को उसकी पूजा होती है। मिठाई और बकरे की भेंट चढ़ाई जाती है। एक अहीर चढ़ावा लेता है। जहीर पीर की भी पूजा की जाती है। भादों के कृष्ण पक्ष की नवमी को उनकी पूजा होती है और कपड़े, लौंग, घी और धन चढ़ाया जाता है जिसे एक मुसलमान लेता है। अमरोहे के मियाँ साहब को बुध और शनीचर को पूजा होती है और पाँच पैसे, लौंग, लोबान और रेवड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं जिसे वहाँ के रहनेवाले फकीर ले लेते हैं। यह लोग मुर्गे को भी चढ़ाते हैं और उसका मांस स्वयं खा लेते हैं। इगलास तहसील के कड़ा गाँव में मेहतर ने मकान के सामने उठाया या चौकोर चबूतरा है। माघ के कृष्ण पक्ष की छठी को उसकी पूजा होती है और दो पैसे, पान और मिठाई चढ़ाई जाती है जिसे मेहतर लेता है यह लोग सुअर भी चढ़ाते हैं। बरई इनका ग्राम देवता है। पेड़ के नीचे कुछ पत्थर डाल कर बरई की स्थापना होती है। उनकी पूजा में छः कौड़ियाँ, पान और मिठाई भेंट की जाती है जिसे ब्राह्मण ले लेता है। यही देवता इनके बच्चों और स्त्रियों की रक्षा करता है। चैत और

कुवार के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इसकी पूजा होती है। देवी, माता और मसानी की भी यह लोग पूजा करते हैं। सैर तहसील में नूदाराग की पूजा होती है। अलीगढ़ के समीप शाह जमाल जिनकी पाँचो पीर में गिनती होती है उनकी भी पूजा होती है। रामायण के रचयिता महा कवि बाल्मीक को यह लोग अपना देवता और सरक्षक मानते हैं क्योंकि इन लोगों का कहना है कि रामायण लिखने के पहिले बाल्मीक जो शिकारी और लुटेरे थे।

कुछ घरों के एक कमरे में मेसासुर की मूर्ति होती है। ब्याही स्त्रियाँ पूजा में सम्मिलित हो सकती हैं, अविवाहित या कराव वाली स्त्रियां पूजा से वर्जित होती हैं। यहाँ मेसासुर की पूजा घर वाल ही करते हैं और भेंट भी यही लोग चढ़ाते हैं। मियाँ साहेब और जगियों के लिये जिस बकरे को भेंट के लिये लाया जाता है बहुधा उसका कान काट कर छोड़ दिया जाता है। इनके त्यौहार अन्य हिन्दुओं की ही तरह हैं। सकट की पूजा होती है। मान का आदमी बनाया जाता है और उसकी गरदन काटी जाती है। पीपल और आंवले की पूजा स्त्रियां करती हैं। नागपचमी में साप की पूजा होती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है। सीता की रसोइ का गोदना गोदाते हैं। गऊ की शपथ खाते हैं। पीपल के पड़ के नीचे पीपल का पत्ता हाथ में लेकर गंगा की कसम अधिक मजबूत मानी जाती है। किसी अन्य जाति के साथ यह लोग खाते पीते नहीं हैं। अहीर, बढ़ई, जाट और कहारों तक की बनी हुई कच्ची रसोई खा लेते हैं। नाई की बनी पक्की रसोई खा लेते हैं पर नाई इनकी बनी पक्की नहीं खाता है।

अपराध करने की रीति—मुसहरों की भाँति यह लोग पत्तलें बनाते हैं डलियां बनाते हैं, शहद और गोंद जमा करते हैं जिसे यह लोग शहर में बेचते हैं। चोरी, रहजनी और नकबजनी इनका आम पेशा है। प्रान्त भर में सबसे साहसी मुजरिम अहेड़िये हैं। कर्नल मिलियम ने अहेड़ियों एक गिरोह ग्रान्डट्रन्क रोड पर राहजनी करते हुये पकड़ा था। इन लोगों में से कुछ ने निम्नलिखित बयान दिया था: हमारे बालकों को कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, छोटी आयु ही से वे चोरी करना सीख जाते हैं। आठ नौ वर्ष की उम्र में ही वे खेतों से चोरी करना शुरू कर देते हैं। फिर घरों से बर्तन चुराना सीखते हैं। पन्द्रह सोलह वर्ष की आयु में यह लोग निपुण हो जाते हैं और फिर बाहर हम लोगों में जाने योग्य हो जाते हैं। गिरोहों में दस, बीस मनुष्य होते हैं। कभी २ दो गिरोह मिलकर काम करते हैं। जमादार अपनी बुद्धिमता, साहस और चतुरता पर चुने जाते हैं। निपुण जमादार को साथियों की कमी नहीं है। जमादार आदमियों को इकट्ठा करता है और बनिये से रुपया उधार लेता है जिससे रास्ते का खर्च चलता है और कुटुम्बों का भरण पोषण होता है, बनिया का रुपया सूद समेत वापस होता है। गाव में गिरोह एक साथ रवाना होता है, पर दो तीन आदमियों की टुकड़ी साथ जाती है। यह लोग अपने को काछी लोग या ठाकुर बताते हैं और काशी के वासी अपने को कहते हैं। अहेड़ियों का नाम बदनाम है इसलिये जाति छिपानी पड़ती है। सराय में आम तौर से यह लोग नहीं ठहरते हैं। सड़क से सौ, दो सौ कदम के फासले पर पड़ाव डालते हैं ताकि वहां से

सड़क पर जाने वाले आदमियों और गाड़ियों पर निगाह पड़ गई। आम तौर पर लाठियां रखते हैं। एक, दो आदमी के पास तलवार भी रह सकती है। जिन गाड़ियों को लूटने का निश्चय किया जाता है गिरोह के कुछ लोग उनका पीछा करते हैं। सबसे चतुर लोग गाड़ियों के आगे जाते हैं और लूटने का स्थान निश्चय करते हैं। गाड़ियों पर पहिले ईंटें पत्थर फेंकते हैं, इससे उनमें सबवाले भाग जाते हैं। यदि नहीं भागते तो उन्हें लाठियों से घेर लेते हैं यदि वह लोग मुकाबला करते हैं तो यह लोग हमला नहीं करते, लेकिन विरला ही कोई इनका मुकाबला करता है। यदि कोई व्यक्ति पकड़ जाता है तो उसको छुड़ाने की भरसक कोशिश की जाती है। पुलिस तक आसानी से पहुँच हो जाता है। यदि यह लोग बिछुड़ जाते हैं तो स्यार की बोली बोल कर एक दूसरे को बता देते हैं। लेकिन इनकी निज की कोई बोली नहीं है। यह लोग शकुन विचारते हैं। यदि हमले के लिये जाते समय रास्ते में हिरन और सारस बायें हाथ, स्यार, गदहा सफेद चिड़िया, बायें हाथ मिलें तो अच्छा शकुन माना जाता है। अपशकुन मिलने से यात्रा स्थगित कर दी जाती है। लौटती समय यदि हिरन और सारस दाहिने ओर स्यार, गदहा इत्यादि बाँयें ओर मिलें तो शकुन बहुत अच्छा माना जाता है। बहादुर जमादार अपशकुन की परवाह नहीं करते। अढ़तिया द्वारा चोरी का माल बेचा जाता है। खरीदने वाले को मालूम होता है कि यह चोरी का माल है क्योंकि वे दाम कम लगाते हैं और फिर इन लोगों के पास रेशमी कपड़े और गहने आयें कहाँ से। इनके जमींदारों को भी पता रहता

है कि यह लोग चोरी, बदमाशी करते हैं और वे लोग भी चोरी के माल में चौथाई हिस्सा लेते हैं। कभी २ कपड़े लेलते हैं। लौटते समय बहुत फुर्ती की जाती है और रातों रात यात्रा की जाती है। दिन के समय चोरी का माल अंधे कुयें में छिपा दिया जाता है और यह लोग स्वयं खेत में छिप जाते हैं। दो तीन व्यक्ति गाँव में जाकर पक्का खाना ले आते हैं। अन्य बदमाशों से भी इन लोगों का मेल हो जाता है। सड़क पर जाने वाले यात्रियों के बारे में एक दूसरे का सूचना मिल जाती है। यह लोग चोरी और ठगहारी भी करते हैं, लेकिन राहजनी खास तौर से करते हैं। चोरी तो पुरखों से होती आई थी लेकिन १८३३ के पहिले राहजनी यह लोग नहीं करते थे। गुलवा, और सकुटवा बहेलियों ने सबसे पहले राहजनी डाली। यह दोनों मशहूर बहेलिये थे। और एटा जिले के मिरजापुर गाव के रहने वाले थे। मिरजापुर गाव के बहेलिये और अहेड़िये शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गये। यह लोग चोरी और राहजनी म निपुण हैं। अहेड़ियों ने अब रेलों पर चोरी करना शुरू कर दिया है। इनकी पहुँच पजाब, बगाल, बम्बई तथा मध्यभारत तक होने लगी है। एटा में इस जाति पर अपराधी जाति कानून लागू है।

इधर कुछ दिनों से अहेड़ियों ने अच्छी प्रगति की है। इस जाति के लोग किसानी करने लगे हैं। कुछ लोग पढ भी गये हैं। सरकार ने इनकी गणना परिगणित जाति में की है, इससे इस लोग खुश हैं। इनमें से कुछ लोग अपने को क्षत्रिय कहने लगे हैं और उनके विवाह सम्बन्ध भी क्षत्रियों में हो गये हैं। इनकी जाति की पचायत अच्छा काम कर रही है।

मेवाती

यह एक मुसलमानी जाति है, अलीगढ़ और बुलन्दशहर के जिलों में रहती है और लूटमार करती है। यह लोग अलवर और भरतपुर की रियासतों के रहने वाले हैं और बड़े उत्पाती और लड़ाकू होते हैं। इतिहास में इन्हीं कारणों से इनका वर्णन आया है।

घोसी

अलीगढ़, मथुरा और बुलन्दशहर के कुछ घोसियों की गणना जरायम पेशा जाति में की गई है। यह लोग जानवरों की चोरी करते हैं। घोसी मुसलमान और हिन्दू दोनों धर्म के होते हैं किन्तु केवल हिन्दू घोसी अपराधी जाति घोषित किये गये हैं।

डोम

उत्पत्ति—डोमों के लिये विचार किया जाता है कि यह लोग भारतवर्ष के आदि निवासी हैं। हिमालय की तराई में रोहणी नदी और बागमती नदी के बीच के इलाके में यह लोग अधिकतर रहते हैं। इसी इलाके में डोमपुरा, डोमिही, डोमिनगढ़ इत्यादि कस्बे हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आदिकाल में डोमों की सम्भवतः कोई रियासत रही हो। दूसरी ओर यह अनुमान लगाया जाता है कि जब आर्य लोग भारत में आये तो उन्हों ने डोम लोगों को दास बनाया और फिर उन्हीं कस्बों में रहने के लिये बाध्य किया और इसी कारण इन कस्बों के साथ डोमों का नाम सम्बन्धित है।

उपजातियाँ—डोमों की सूरत, शक्ल और बनावट, उनका भारत का आदि कालीन निवासी होना सिद्ध करती है। इन लोगों का कद छोटा और रंग गहरा काला होता है। चेहरे की आकृति चपटी होती है। डोम को देखते ही उसकी अनोखी आँखों की बनावट की ओर ध्यान आकर्षित होता है। लेकिन यह कहना ठीक न होगा कि डोम की आदि कालीन पवित्रता बनी हुई है और उनकी बनावट में तब से अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। डोम लोग अब भी अपनी जाति में अन्य जाति के लोगों को स्थान दे देते हैं। जो लोग अपनी

जाति से च्युत कर दिये जाते थे वे डोमों में मिल जाते थे और डोम लोग उन्हें प्रसन्नता से सम्मिलित कर लेते थे। डोम स्त्रियाँ इस काम में अगुआ होती थीं; डोम स्त्रियों का चरित्र अच्छा नहीं कहा जाता और अन्य जाति के लोगों से उनका आसानी से अनुचित सम्बन्ध भी हो जाता है। इन दो कारणों से डोमों की आदि कालीन पवित्रता नष्ट होगई है और उनके स्थान पर एक मिश्रित जाति होगई है और इन्हीं दोनों बातों ने उनकी बनावट और रूप रंग पर भी प्रभाव डाला है। डोमों की मुख्य तीन उपजातियाँ हैं :—मघय्या, बाँस फोड़, और धरकार। स्वपच को डोम लोग अपना पूर्वज मानते हैं। स्वपच के दो स्त्रियाँ थीं। एक स्त्री का पुत्र डलियाँ बनाने का काम करता था और वह और उसकी सन्तान बाँसफोड़ कहलाई। दूसरी स्त्री का पुत्र अपनी माँ के साथ मगध (बिहार) चला गया और इसी कारण मगधा कहलाया। धरकार, बाँसफोड़ से ही विभाजित हुये हैं। गोरखपुर जिले के बाँसफोड़ अपने को (घरभर) अथवा बसे हुये डोम कहते हैं। धरकार रस्सी बटने का काम करते हैं और धरकार अपराधी जाति नहीं है। मघय्या डोम आवारागर्द जाति है और अपराध करती है। बाँसफोड़ और धरकारों ने अपनी आवारागर्दी छोड़ दी है और शहर और कस्बों में मेहतरों का काम करते हैं या डलियाँ बनाते हैं और कस्बों के बाहर छोटी २ गन्दी झोपड़ियों में रहते हैं। इन लोगों ने अपनी सामाजिक दशा थोड़ी सी सम्हाल ली है और अन्य हरिजन जातियों की तरह यह लोग समाज के एक उपयोगी अंग माने जाते हैं। मघय्या डोमों ने सामाजिक उत्थान का बिलकुल ही प्रयत्न

नहीं किया बल्कि चोरी और आवारागर्दी से जो नाम कमाया है उसी पर घमड करते हैं।

कमायूँ कमिश्नरी में भी डोम लोग रहते हैं। यह लोग अपने को "बेरमपा" "तल्ली जाति" अथवा "बाहिर जाति" कहते हैं। इन लोगों का पूर्वीय डोम से कोई सम्बन्ध नहीं है और यह डोम इतने नीच भी नहीं माने जाते। इन डोमों की भी उपजातियाँ हैं। १. भोलो, जो सुअर और मुर्गी पालते हैं। २. तमता जो तांबे और पीतल के बर्तन बनाते हैं। ३. लोहार जो लोहारी करते हैं। ४. ओद, जो बढ़ई का काम करते हैं। ५ ढोली, जो गाते बजाते हैं। यह सब उप जातियाँ अच्छी तौर से बस गई हैं, खेती बारी करतीं हैं और अपराधी जाति नहीं हैं।

डोम अपनी उत्पत्ति के लिये बताते हैं कि उनके पुरखों में से एक ने गऊ हत्या की थी और इसलिये ईश्वर ने उन्हें शाप दे दिया कि उसकी सन्तान जीव हत्या करेगी और भीख माँगेगी। पंजाब में एक कहावत प्रचलित है कि डोमों के अग्रज मल्लदत नामक एक ब्राह्मण थे। यह अपने परिवार में सब से छोटे थे और इनके भाइयों ने घर से निकाल दिया था। उनकी गाय का बछड़ा एक दिन मर गया। भाइयों ने मल्लदत्त से उसका शव उठाने और गाड़ने को कहा उसका ऐसा करने पर उसे जाति से निकाल दिया गया और तब उसे जानवरों की खाल निकाल कर और उन्हें गाड़ कर अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा। तीसरी कहावत यह है कि वेनबरा एक राजा था। उससे ब्राह्मण लोग नाराज होगये थे क्योंकि वह ब्राह्मणों को नहीं

मानता था। ब्राह्मणों ने उसे कुशा पाश से मार डाला। उसकी मृत्यु होने पर देश में उत्पात होने लगे। पता चला कि राजा के न होने से लूट मार हो रहा है। क्योंकि वेन के कोई पुत्र नहीं था ब्राह्मणों ने उसकी जंघा मथी और उससे जली हुई लकड़ी की तरह काला नाटी आकृति का नाटा पुरुष उत्पन्न होगया। ब्राह्मणों ने उसे बैठने के लिये कहा और इस कारण निषाद कहलाया। और इसी निषाद के वंशज डोम हैं।

सामाजिक रीति रिवाज—मघय्या डोम अपना सम्बन्ध मगध से बताते हैं। किन्तु मिर्जापुर जिले में जो मघय्या डोम रहते हैं उन्हें मगध के सम्बन्ध का बिलकुल ही ज्ञान नहीं है। उनका कहना है कि उनका सम्बन्ध "मग" अथवा "मार्ग" से है क्योंकि वह सदा विचरते रहते हैं। मघय्या डोम बिलकुल आवारागर्द हैं। इनके पास बिछाने को चटाई तक नहीं होती और तम्बू ही होते हैं। मौंमियों और डाकुओं से भी यह लोग गये बीते हैं। यह लोग जंगलों में जाते हैं लेकिन शिकार करना या पकड़ना इन्हें नहीं आता है। यह लोग नकबजनी और चोरी करते हैं और इनकी स्त्रियां व्यभिचार। गर्मियों में यह मैदानों में सोते हैं। बरसात और जाड़ों में इधर उधर छिपते फिरते हैं। जहाँ स्थान मिलता है वहीं पड़े रहते हैं। नकबजनी में यह लोग "साबर" का प्रयोग नहीं करते। यह लोग एक हथियार रखते हैं जिसे "बाँका" कहते हैं। इसका फल टेढ़ा होता है और इससे वह लोग बाँस चीर लेते हैं। नकबजनी में यह लोग दरवाजा के खम्भों के पास दीवाल में छेद कर लेते हैं और फिर हाथ डाल कर

किवाड़ खोल लेते हैं। जाड़े में यह लोग अपने साथ अँगीठी रखते हैं जिससे यह लोग तापते हैं और जब इनके पकड़े जाने की सम्भावना होती है तो यह इसे ताककर पकड़नेवालों के ऊपर फेंक देते हैं जिससे उनके चोट आजाती है। मघय्या डोमों के सुधारने के लिये बहुत से उपाय सोचे गये हैं। डी र. रायट्स साहब ने पुलिस कमीशन के लिये एक विवरण तैयार किया था। उन्होंने लिखा था कि मघय्या डोमों को सुधारने और रोकने के लिये जितनी सम्भव योजनायें थी उनपर बार २ विचार किया गया। १८७३ और फिर १८८८ में डोमों के ऊपर अपराधी जाति कानून लागू करने के लिये विचार किया गया किन्तु अन्त में निष्कर्ष यह निकला कि किसी भी योजना से इनका सुधारा जाना असम्भव है क्योंकि किसी भी साधन से यह लोग ईमानदारी से जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं और इस कारण अपराधी जाति के कानून में इनकी घोषणा नहीं की गई। बस यही तय किया गया कि इन पर निगरानी कड़ी कर दी जाय और दोषी सिद्ध होने पर इन्हें सख्त दण्ड दिया जाये।

१८८४ में मिस्टर कनेडी गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने भी डोमों के सुधारने का प्रयत्न किया। कुछ डोमों को एकत्रित किया गया उन्हें मेहतरों का काम करने के लिये कहा गया, उन्हें ईंटों के भट्टे पर काम करने के लिये काम सिखाया गया, सड़कों की मरम्मत के काम पर लगाया गया, कुछ को गाँव और कस्बों में बसाया गया और उन्हें जमीन दी गई। १५०० रुपये इस काम पर खर्च मंजूर हुआ। क्रुक्स साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि

गन मग थे, जेल में मजा भोग रहे थे। भीख मागने के इलके डोमों में निश्चित होते हैं और उनके उलघन न मानने भी पचायन र मानने देता हाते हैं। भीख मागने के हलके दहेज में भी दिय जाते हैं। कोइ दूसरा डोम यदि उस इलके में चोरी कर या भीख मागे तो वह बिरादरी से अलग किया जा सकता है और उस हलके वाला डोम उसे चोरी के अपराध में पुलिस के हवाले कर सकता है।

डोम लोग धोबी से विशेष रूप स घृणा करते हैं। इसका कारण यह बताते हैं कि एक बार डोमों के पुरखा स्वरथ, भगत धोबी के घर ठहरे थे। जब वह नशे में चूर होगये तो धोबी न उन्हें गधे की लीद खिला दी। स्वरथ भगत ने धोबी और उसके गदह को शाप दिया तब से डोम लाग धोबी और गदहे दोनो से घृणा करने लगे।

अपराध करने की रीति—डोमों में पास कोइ उचित उद्यम नहीं है। भूमि के ऊपर अधिक लोगा के खिलान के भार के कारण डोमों को बड़ी हानि हुइ है। मघ्यमडोम प्राय आवारागर्द होते हैं कभी कभी वह मेहतर का काम करने लगते हैं या बनारस श्मशान घाट पर नोकरी कर लेते हैं। गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेटमिस्टर कनैडी ने १८८४ म लिखा था कि डोम अरहर के खेत में उत्पन्न होता है। बचपन ही से उसे चोरी करन की शिक्षा मिलती है। शुरू स ही वह आवारागर्द और समाज स बहिष्कृत रहता है। उसके पास न तो रहने को घर और न खाने को भोजन रहता है। एक स्थान स दूसरे स्थान को भागा भागा फिरता है। पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती है, गाव वाले उसे खदेड़ते हैं। सफल नकबजनी उसकी महत्वाकाक्षा है, [illegible]

पान अथवा अथवा पारितोषिक है। नवीन सभ्यता ने उसे और गहरे गड्ढे में गिरा दिया है। नवयुवकों के सोडे के पत्तों का प्रयोग करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है और वह अब गांजा भी पीने लगा है। इसके अतिरिक्त किसी बात में भी नवीन सभ्यता उसे छू भी नहीं गई है। २० वर्ष बाद मिस्टर रोलिन्स ने अपनी पुस्तक में लिखा कि डोम के उपरोक्त वर्णन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वह समाज द्वारा बहिष्कृत है और लोग उसे घृणा और भय की दृष्टि से देखते हैं चोरी और नवयुवको इसका पेशा है किन्तु इससे अधिक भयकर अपराध नहीं करेगा। चोरी करने की नियत से किसी घर में घुस कर रोशनी जलाता है और जो वस्तु मिलती है उसे ले भागता है। सोती हुई स्त्रियों और बच्चों के शरीर के गहने उतार लेता है और शोर गुल मचने के पूर्व ही भाग खड़ा होता है। जेल से उसको बिलकुल डर नहीं लगता। किन्तु कोड़ों की मार से बहुत डरता है। डोम स्त्रियां दुश्चरित्र होती हैं और आदमियों के लिये जासूसी का काम करती हैं। उनके शरीर का गठन अच्छा होता है और बुद्धि प्रखर होती है। अधेड़ स्त्रियां चोरी का माल बेचने में निपुण होती है। सर एडवर्ड हेनरी ने जो एक समय में चम्पारन के कलेक्टर थे और बाद को लन्दन के पुलिस कमिश्नर हुये डोमों की खेतिहार बस्तियों की एक योजना बनाई थी। गोरखपुर जिले में एक खेतिहर बस्ती डोमों की बसाई गई थी किन्तु योजना विफल हुई, उनकी इमारतें टूटफूट गई और जमीन बिना जुती ही रह गई।

होलिन्स साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि डोम बंगाल में भी

अपराध करते थे। घर से दूर जाकर वे केवल चोरी या नकबजनी ही नहीं करते वरन राहजनी और डकैती भी करते हैं। मिस्टरब्रम्फे ने १६०४ में अन्तर प्रान्तीय अपराधी रिपोर्ट में डोमों के अपराधों का अच्छा वर्णन किया है। इस बारे में डोम, भर और बरवारों से मिलते जुलते हैं। अपने प्रान्त में मामूली अपराध करते हैं। बाहर जाकर गुरुतर अपराध करते हैं।

डोम लोग आम तौर पर पूर्वी हिन्दी बोलते हैं किन्तु इनकी अपनी भाषा भी होती है जिनमें कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अफ्बर जो	पक दो	जिठौना	पलग
चाका	चाकू	बिसबत है	वे आ रहे हैं
मुसबर सो	जमीन में गाड़ना	गोभी	पका आम
भगवर जो	भागो	ग्वोल	चादर
मीता	कुआ	लिमासो	लेकर भागो
चीफ	कुत्ता	लबना	ईंधन
चीलू	आओ	मत्री	आदमी
लूपडा घर ले	चोरी के लिये मकान न चूदा	मौचसों	चुराओ
चदरी	रोशनी	रती	हार
माटू	डंडा	मुस्रारमों	मोना है
गुप्ती	चाकू	टिकोरी	जवान लड़की
जैना	डंडा	हल्दुवानी	चोरी का माल
नो लिपू आओ	जाओ चोरी करो		

भांतू

यह लोग एक उद्दंड खानाबदोश जाति है। यह लोग कंजड़ सांसियों और हाबूड़ों से सम्बन्धित माने जाते हैं। इनके रीति रिवाज भी उसी प्रकार के हैं। बरवाल और बेड़ियों से तो इनके विवाह सम्बन्ध भी होते हैं। रुहेलखंड के जिलों में यह लोग खास तौर पर रहते थे। १६२५ के लगभग सुलताना नामक डाकू ने इन लोगों का एक भयानक संगठन बनाकर बिजनौर, नैनीताल, मुरादाबाद, रामपुर रियासत में अनगिनती डाके डाले। इनके डर से सारा इलाका भय ग्रस्त हो गया था। मिस्टर यंग की अध्यक्षता में स्पेशल डैकती पुलिस तैनात की गई। उसने सुलताना और उसके साथियों को बड़ी दिक्कत, मेहनत और बहादुरी के बाद गिरफ्तार किया। सुलताना को आगरा जेल में फांसी की सजा दी गई। और उसके बहुत से साथी अंडमान भेज दिये गये और बाकी भांतू लोग फ़तेहपुर, अलीनगर, कांथ के सेटिलमैन्टों में बन्द कर दिए गए। सुलताना डाकू को भांतू लोग अवतार मानते हैं। और उसकी पूजा करने लगे हैं। सुलताना डाकू पर किताबें लिखी गई हैं। और उसके बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हो गई हैं।

मुसहर

उत्पत्ति—मुसहर एक जंगली द्रविड़ जाति है और प्रान्त के पूर्वीय जिले में रहती है। मुसहर शब्द की उत्पत्ति कुछ लोग मूसा+आहार से करते हैं जिसका अर्थ चूहा खाने वाली जाति से हुआ। किन्तु मि० नेसफील्ड का कहना है कि उपरोक्त व्याख्या ठीक नहीं है क्योंकि केवल मुसहर ही चूहों को नहीं खाते हैं अन्य इसी प्रकार की जातियाँ भी खाती हैं। नेसफील्ड साहब स्वयं मुसहर की व्याख्या मास+हेर करते हैं। जिसका अर्थ मांस को खोज करने वाला हुआ। क्रुक्स साहब का कहना है कि दोनों ही व्याख्या सम्भवतः ठीक नहीं हैं और मुसहर हिन्दी शब्द ही नहीं है। मुसहर लोगों को वनमानुष भी कहा जाता है। जाति की उत्पत्ति के विषय में बहुत सी कहावतें हैं। एक इस प्रकार है। शिवजी पार्वती जी के साथ एक वन में भेष बदल कर घूम रहे थे। उनकी दृष्टि एक कुमारी पर पड़ गई जिससे वह गर्भवती हो गई और उसके एक लड़का और एक लड़की जुड़वाँ पैदा हुये। इसी लड़की लड़के से मुसहर लोग उत्पन्न हुये। कुछ मुसहर अपने को अहीरों से सम्बन्धित बताते हैं। किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि मुसहर और अहीरों में सदा लाग डाट रही है। मि० नेसफील्ड ने इनकी तीन उप जातियां बताई हैं जो आपस में रोटी बेटी का सम्बन्ध नहीं रखतीं। उपजातियों के नाम यह हैं।

१. जगली या पहाड़ी=यह लोग अभी तक जगलों और पहाड़ों में रहते हैं, पुरानी बोली और रीति रिवाज मानते और गाँव में रहने वाले मुसहरों को दीन दृष्टि स देखते हैं।

२ देहाती=यह लोग बहुत कुछ हिन्दू धर्म में आगये हैं।

३ दोलगढ़ा=यह लोग पालकी उठाते हैं और इसलिये नीच समझे जाते हैं।

मिर्ज़ापुर जिले में मुसहरों की निम्नलिखित उपजातियां हैं —

१ खादिया=जो खाद उठाते हैं।

२ भेड़िया=जो भेड़ पालते हैं।

३ घसियार=जो घास छीलते हैं।

४ कुचबंधिया=जो कूची बनाते हैं।

५ रगैया=जो जाड़े के दिनों में राख शरीर पर मल कर रहते हैं।

सामाजिक रीति रिवाज—मुसाहिरों में भी जातीय पंचायत होती है। पंचायत जातीय झगड़ों का निपटारा करती है। विवाह की रस्म धूमधाम स होती है। घरेजा की प्रथा को बहुत बुरा समझा जाता है। तलाक की प्रथा है किन्तु तलाक को अच्छा नहीं समझा जाता। परित्यक्त स्त्रियों का पुनर्विवाह कठिनाई से होता है। विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार है। व्यभिचार को बहुत बुरा समझा जाता है और दोनों व्यक्तियों को भारी जुर्माना देना पड़ता है। मृतकों का आमतौर पर दाह कर्म होता है। कभी २ उन्हें गाड़ा भी जाता है या जगल में छोड़ दिया जाता है। मृत पुरखों का श्राद्ध होता है। यह

लोग बीमारी और मौत को भूतों की कृपा मानते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे सुअर की बलि और मदिरा चढ़ाकर उन्हें तृप्त करने की कोशिश करते हैं। इनके जाति देवता बनस्पति माने जाते हैं लेकिन यह लोग हनुमान भगत और घनश्याम की भी पूजा करते हैं।

मुसहर लोग शगुन अपशगुन का बहुत विचार करते हैं। शुक्रवार और पाँच की संख्या शुभ मानी जाती है। मार्ग में लोमड़ी मिले तो शुभ और सियार मिले तो अशुभ, यह लोग बाघ और बनस्पति की को सौगन्ध खाते हैं। इन लोगों में जल परीक्षा भी होती है। दो आदमी जल के भीतर गोता लगाते हैं जो पहले निकलता है वह हारा माना जाता है। स्त्रियां अपनी कलाई गाल और नाक पर गुदना गुदाती हैं। उनका विचार है कि स्त्री जो गुदना नहीं गुदाती उसे मरने के पश्चात् परमेश्वर दंड देते हैं। गाव में रहने वाले देहाती मुसहर अब गाय का मास नहीं खाते। मुसहर छोटे भाई की स्त्री, बड़ी सलहज और समधिन को नहीं छूते हैं। पहाड़ी मुसहर गाय और भैंस का मास खाते हैं। और इसीलिये अक्सर गाय की चोरी करते हैं। यह लोग केवल लंगोटी लगा कर रहते हैं। मि० नेस्फील्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यह लोग पेड़ों की छाल से अपने तन ढकते हैं। लेकिन यह बात असत्य है।

मुसहर जाति विशेषतः अपराधी जाति नहीं है। मि० शेरिंग और मि० कुक्स की पुस्तकों में इनके अपराधी होने का वर्णन नहीं है। मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे यह लोग अपना पोषण करते हैं। कुछ लोग डोली उठाने पर धनी व्यक्तियों के यहा नौकर हो जाते हैं। कुछ

लोग शहद, गोंद, जड़ी, बूटियां जंगल से एकत्रित करके बेचते हैं। स्त्रियां घास, दोना बनाती और बेचती हैं। ईंटों के भट्टों में भी काम करती हैं। गाजीपुर जिले के मुसहर के पास निश्चित घर नहीं है। गाँव के बाहर झोपड़ों में रहते हैं और देहातों का चक्कर लगाते हैं। चोरी, नकबजनी, और राहजनी करते हैं। इनके पास जीवन निर्वाह करने के लिये कोई उचित साधन नहीं है और इसलिये गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, बनारस और शाहाबाद के जिलों में अपराध करते फिरते हैं। अपराध करने में भी निपुण नहीं हैं। इधर उधर घूमते हैं यदि कोई मुसाफिर अकेला मिलता है तो उसे लूट लेते हैं। यदि कोई घर बिना मालिक के बन्द मिला तो उसे नकबजनी करके खोल डालते हैं।

करवल

उत्पत्ति—करवल एक आवारागर्द जाति है जो प्रान्त के पूर्वीय जिलों में रहती है। करवाल शब्द प्रायः अरबी के करवल शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसके अर्थ शिकारी के होते हैं। पुराने जमाने में बादशाह के शिकारी करवल कहलाते थे। करवल लोग उन्हीं शिकारी लोगों के वंशज हैं। थोड़े दिनों बाद बादशाह के यहां से उनकी नौकरी छूट गई और उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिये अन्य उपाय ढूंढ़ने पड़े। चूंकि इन लोगों की आदत घूमने घामने की पड़ चुकी थी यह लोग देश में इधर उधर घूमने लगे। चिड़ियों और जानवरों को जंगलों से यह लोग पकड़ लाते थे और उन्हीं को बेच कर अपना निर्वाह करने लगे। कभी २ यह लोग बस कर खेती भी करने लगे थे। लेकिन खेती बारी की मेहनत से यह लोग जल्द ही ऊब गये और जंगलों में ही रहना और घूमना प्रारम्भ कर दिया। इनकी जाति का नाम करवाल, करवल अथवा करोल पड़ गया और इन्हीं नामों से यह लोग अभी तक पुकारे जाते हैं। अपराधी जाति कानून के अन्तर्गत इनकी गिनती सासियों के साथ ही कर ली गई है।

सामाजिक रीति रवाज—करवालों के रीति रिवाजों का वर्णन करना कठिन है। यह जाति हाबूड़ा, बेड़िया सासिया, से इतनी मिश्रित हैं कि इस जाति का निजी व्यक्तित्व लोप सा हो गया है। इन्होंने अन्य जातियों के रीति रिवाज अपना लिये हैं। करवाल

कहीं २ तो यह ही रुहिपन्थी हैं और अपने को क्षत्रिय बताते हैं। इनकी जाति में भी एक पंचायत है। इनकी उपजातियों में पारस्परिक विवाह सम्बन्ध हो सकता है। अन्य आवारागर्द जातियों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल अपराध करने के लिये मेल हो जाता है।

पश्चिमी जिले में यह लोग अपने को कोल से सम्बन्धित बताते हैं गोकि कोल लोग इनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानते हैं। करवालों से विवाह सम्बन्ध बेड़ियों से हो जाते हैं। किन्तु यह लोग बेड़ियों की तरह स्त्रियों से व्यभिचार नहीं कराते हैं। अहेड़िया, रहेलिया, भंगी और एक उपजाति है जो करवाल कहलाती है इससे इस जाति का मिश्रित होना सिद्ध होता है।

करवलों में भी पंचायत होती है जो जाति के समस्त झगड़े यहीं तय करती है। विवाह सम्बन्धों की स्वीकृति भी पंचायत हो करती है। तलाक की प्रथा है। विधवा और परित्यक्ता स्त्रियाँ पुनर्विवाह कर सकती हैं। विधवा से होने पर ३० रुपया और कुमारी से विवाह करने पर ६० रुपया वर को देना पड़ता है। पंचायत को २४ रुपया देकर और पति को पहिले विवाह का ६० रुपया खर्च देकर एक पुरुष दूसरे पुरुष की पत्नी खरीद सकता है। पति के देहान्त पर स्त्री अपने देवर के साथ रह सकती है। आम तौर पर शव गाड़े जाते हैं किन्तु जिनकी मृत्यु चेचक से होती है उनका दाह कर्म किया जाता है। यह लोग जहीर पीर की पूजा करते हैं जिनकी कब्र कहा जाता है कि ताजमहल के पास है। इसके अतिरिक्त पाँचों पीर, मदार साहब,

गाजी मियाँ, कालो माई, गंगाजी को पूजा करते हैं। यह लोग बकरी, भेड़, सुअर, स्याहो, छिपकली, मुर्गी कबूतर इत्यादि खाते हैं। चमार भंगी धोबी डोम कोरी और धानुकों की जूठन को छोड़ कर अन्य जातियों की जूठन भी ले लेते हैं। पीपल की शपथ लेते हैं। कञ्जड़ और सांसियों को तरह अग्नि परीक्षा को मानते हैं। यदि किसी स्त्री पर दुश्चरित्र होने का अभियोग हो और वह अभियोग स्वीकार न करे तो उसे अग्नि परीक्षा स्वीकार करनी पड़ती है। उसके हाथ पर कुछ पीपल के पत्ते रख दिये जाते हैं और उस पर एक गर्म लोहे का टुकड़ा रक्खा जाता है और पांच कदम चलने को कहा जाता है। यदि उसके हाथ नहीं जलते हैं तो वह निर्दोष मानी जाती है। जल परीक्षा भी यह लोग मानते हैं। अभियुक्त को जल के अन्दर अपना सर रखना पड़ता है जब तक कि दूसरा पुरुष दो सौ कदम न दौड़ ले यदि अपना सिर उसके पहिले ही निकाल ले तो वह दोषी माना जाता है।

अपराध करने की रीति—बहेलिया की तरह करवाल भी प्रारम्भ में शिकारी थे लेकिन इनकी आवारागर्द जिन्दगी ने इनको अपराध करने मे प्रेरणा दी। अब यह एक भयानक अपराधी जाति समझी जाती है। कुछ लोग अब भी केवल शिकार करते हैं और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ लोग खेती करते हैं मजदूरी करते हैं। किन्तु अधिकतर लोग आवारागर्द हैं और संयुक्त-प्रान्त और बंगाल का चक्कर लगाते हैं। यह लोग गिरोह बना कर चलते हैं, अपने को फ़कीर बताते हैं और

अपराध करने की धुन में रहते हैं। इस प्रान्त में सबसे पहिले इनकी ओर १८८६ में ध्यान आकर्षित हुआ जबकि इनके गिरोह बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, और सुल्तानपुर में चक्कर लगाते पाये गये। १९०५ में करवालों ने इस प्रान्त के पूर्वीय जिलों में चोरी के साथ डकैती और राहजनी करने लगे। इनके विरुद्ध सख्त कार्य-वाही की गई। और जिन लोगों पर पूरी तौर पर अपराध सिद्ध न हो सका उनसे दफा १०९ व ११० में जमानतें मांगी गई इसका परिणाम यह हुआ कि करवाल लोग बंगाल को भाग गये और दो वर्ष तक वहाँ पर अपराध करते रहे। समस्या यहाँ तक बढ़ी कि १९११ में बंगाल सरकार ने एक ही रोज में प्रान्त भर के घूमने वाले करवालों को पकड़ने का निश्चय किया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जाँच पड़ताल से पता चला कि केवल पाच दलों ने ३४६ अपराध किये थे। इन लोगों पर मुकदमा चला और काफी आद-मियों को दंड मिला। मुकदमे के दौरान में अजीब २ बातों का पता चला। जो लोग अपने को करवाल बताते थे वे यथार्थ में हबूड़ा, कंजड़, नट, सांसिय थे। यह भी साबित हुआ कि इनके दलों की स्त्रियां भीख मांगती थीं, भीख देने से इनकार किया जाता था तो गाली बकती थी और मैला घरों में फेंकती थीं। आदमी एक दिन में बहुत दूर तक पैदल चले जाते थे। दलों के सदस्य बराबर बदलते रहते थे। सियारकी बाली दलों का गुप्त चिह्न था। हमले किये जाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर पहिले पत्थरों की बौछार की जाती और फिर उन्हें पेड़ों से बांध दिया जाता था। इन दलों का मुख्य काम बकरी की चोरी

करना था। जब इन करवलों के अगूठों के निशाना की जांच पड़-ताल की गई तो पता चला कि उनमें बहुत से ऐसे थे कि जिन्हें पहिले सजा मिल चुकी थी और जिन्होंने पहिली सजा के समय अपनी जाति हबूड़ा, साँसिया, नट, इत्यादि बताई थी। इसलिये यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि करवल जाति में कितने लोग अपराध करते हैं। उन दिनों पश्चिमी जिलों में हबूड़ों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही थी। वे लोग नैपाल की तराई के जगलों में घुस कर फिर बृटिश राज्य में बस्ती के जिले में घुस आये और पूर्वीय जिले में करवलों के गिरोह में सम्मिलित होगये। मिस्टर हालिन्स ने अपनी किताब में लिखा है कि १९११ तक पन्द्रह वर्ष के दौरान में ८३६ करवलों को सजायें मिलीं। किन्तु इस संख्या में उन हबूड़ा, कजड़ों, नटों इत्यादि की भी संख्या सम्मिलित है जिन्होंने अपनी जाति करवल बताई थी इस कारण सजायाफ्ता करवलों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

दुसाध

उत्पत्ति—दुसाध संयुक्त प्रान्त के पूर्वीय जिलों में बसने वाली एक हरिजन जाति है। इसका रहन सहन धदलियों और पासियों से मिलता जुलता है। यह लोग अपने को धृतराष्ट्र के पुत्र दुश्शासन का वंशज बतलाते हैं। कुछ दुसाध अपने को भीमसेन का वंशज बताते हैं। जाति में एक कहावत है कि दुसाधों की उत्पत्ति ब्राह्मण और एक नीच जाति की स्त्री के सम्बन्ध से हुई है। इस जाति में भी बहुत सी उपजातियाँ हैं जिनमें दाही, गोंड़र, कनौजिया, मगहिक और कुरनिया मुख्य हैं। इन उपजातियों के नामों से विदित होता है कि इस जाति में दूसरी जातियों की उपजातियों से काफी मिश्रण हुआ है।

सामाजिक रीति रिवाज—जाति में एक पंचायत है जो जाति के सभी मुख्य विषयों पर निर्णय देती है। एक पुरुष एक पत्नी के होते हुये दूसरा विवाह कर सकता है यदि वह निःसन्तान हो, किन्तु दूसरी पत्नी की सन्तान को पिता की सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। दूसरी जाति की स्त्री को भी पत्नी की तरह रक्खा जा सकता है और यदि स्त्री दुसाधों से ऊँची जाति की हो तो उसकी सन्तान को जाति के पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। विधवाओं तथा परित्यक्ता स्त्रियों को पुनर्विवाह करने का हक है। दत्तक पुत्र गोद लेने की प्रथा है किन्तु दत्तक पुत्र किसी निकट सम्बन्धी ही का पुत्र

होता है। मृतकों के शव की दाह क्रिया होती है किन्तु अविवाहित और अल्पायु मृतकों के शव को गाड़ दिया जाता है। दुसाध अपने को सनातनी हिन्दू कहते हैं और यह लोग राहु को पूजा करते हैं। यह लोग छटवादी और गुनसादेव की भी पूजा करते हैं।

प्लासी की लड़ाई में क्लाइव की सेना में अधिकतर दुसाध थे किन्तु अब इस जाति के लोग नीच काम ही करते हैं। यह लोग या तो हल चलाते हैं या चौकीदारी करते हैं किन्तु इस जाति ने मदिरा सेवन की आदत होने के कारण कोई उन्नति नहीं की। यह लोग कोई हुनर नहीं जानते। कुछ लोग लकड़ी काट कर और जंगली वस्तुयें इकट्ठा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस जाति के कुछ लोग जिन्हें बलिया जिले में पलवर दुसाध कहते हैं आवारागर्द हैं। चोरी, बदमाशी, डकैती और राहजनी करने में उनका नाम निकल गया है। १८६३ तक इनके लिये मशहूर था कि यह लोग बंगाल के जिलों में जाकर डाका डाला करते थे। १८६७ में जब मिस्टर पानर बलिया जिले के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट थे तब उन्होंने पता लगाया था कि पलवर दुसाधों के गिरोह प्रति वर्ष बंगाल में डाका डालने और चोरी करने जाते हैं और कई महीने बाद बहुत सा चोरी और डाके का माल लेकर वापस आते हैं।

अपराध करने की रीति—पलवर दुसाधों की चोरी डकैती रोकने का प्रबन्ध करने के लिये १८६८ में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें बलिया जिले के कलेक्टर, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और डिप्टी इन्सपेक्टर, जेनरल पुलिस सदस्य थे। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में

वर्णन किया था कि निःसन्देह नदिया के पलवर दुसाध नक़बजनी और राहजनी व डकैती करने के लिये जिला छोड़कर चले जाते हैं। दक्षिणी बंगाल के जिलों में जाकर डकैती इत्यादि डालते हैं। जलपाईगिरि और कूचबिहार तक में इनकी पहुँच हो गई है। कुछ अपराधों में इन पर आसाम और नैपाल रियासत में भी सन्देह किया जाता है। यह लोग अपनी जाति के लोगों को इन जिलों में बसा देते हैं। यह लोग चोरी का माल लेते हैं और उसे बेचने का प्रबन्ध करते हैं साथ ही इस बात की सूचना देते रहते हैं कि किसके यहां चोरी की जाये या डाका डाला जाये।

मिस्टर गोलिस ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है कि अभीतक पलवर दुसाधों का यही हाल है। बहुत दुसाध अपने घरों से गायब हैं और बंगाल में चक्कर लगा रहे हैं। चोरी से लेकर डकैती तक सभी प्रकार के अपराध यह लोग करते हैं। यदि अकेले होते हैं तो चोरी या उठाईगिरी करते हैं। यदि गिरोह में हुये तो राहजनी या डकैती करते हैं। यह लोग अपने साथ वापसी में चोरी का बहुत सा माल लेकर आते हैं और मजे से मदिरा पान करके कुछ महीने स्वच्छन्दता से बिता देते हैं।

अपराध जाति कानून के अन्तर्गत कई बार इस जाति की घोषणा किये जाने पर विचार हुआ परन्तु उस समय यह समझा जाता था कि यह सम्भव नहीं है क्योंकि इस जाति के लोग स्थाई तौर से रहते हैं और उनका निर्वाह करने के लिये उचित साधनों का प्रयोग करते हैं। किन्तु यह सभी ने स्वीकार किया कि जीवन निर्वाह का उनका साधन

अपराध करने के लिये केवल बहाना मात्र होता है। अपराध करने में इस जाति की हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है।

दुसाधों म भो पचायत की प्रथा है। पचायत म एक सरदार होता है जो पचायत की सभाओं म सभापति का काम करता है। उसकी मातहती में एक छडीदार होता है जो पचायत का बुलावा लगाता है। जाति का प्रत्येक बालिग सदस्य पचायत का सदस्य होता है। नाबालिग व्यक्ति पचायत की सभा में उपस्थित नहीं हो सकता है। पचायत चोरी, व्यभिचार, पर जाति के साथ खान पान, पुत्री का अविवाहित रखना या विदा न करना या दूसरी स्त्री को बहका लाना, इत्यादि अपराधों का फैसला करती है। अपराधी को पाच से पचीस रुपये तक जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने के रुपय म पचायत क लिये मदिरा मगाई जाती है। यदि अपराधी निर्धन होता है और जुर्माना नहीं दे सकता तो उसे जूते पड़ते हैं। पचायत के सरदार का स्थान पुश्तैनी होता है।

दुसाध लोग जल में खड़े होकर और अपने लड़के के सर पर हाथ रख कर शपथ खाते हैं। यह लोग गाय का मास नहीं खाते किन्तु अन्य मास खाने में परहेज नहीं करते। मदिरा पान खूब करते हैं। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय क हाथ की पकी पक्की रसोई खा लेते हैं किन्तु डोम इत्यादि का छुआ नहीं खाते।

दलेरा

उत्पत्ति—दलेरा शब्द प्रायः डलिया शब्द से बना है। इस जाति का पेशा डलिया बनाना, मजदूरी करना, एवं चोरी करना है। यह लोग मुख्यतः बरेली जिले म बसते हैं। कुछ लोग बुलन्दशहर जिले में भी हैं। इस जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि एक बार एक गूजर ठाकुर ने एक कहार की स्त्री के साथ व्यभिचार किया और इस कारण जातिच्युत कर दिया गया। उसकी सन्तान दलेरा है। बरली के दलेरा अपने को मेरठ और बुलन्दशहर जिले के पुराने रहने वाले बताते हैं जो अकाल के कारण बरेली आकर बस गये। दलेरों की बहुत सी उपजातियां हैं।

अपराध करने की रीति—दलेरे केवल दिन की चोरी करते हैं, रात को चोरी नहीं करते। मेले, घाट इत्यादि पर ही चोरी करते हैं। दलेरा ऐसे स्थानपर किसी यात्री के पास बैठ जाता है और खाना पकाने का बहाना करता है। जब उस यात्री का ध्यान इधर उधर होता है तो दलेरा उसके बर्तन या अन्य सामान चुरा लेता है। यदि पीतल का बर्तन चुराता है तो उसे पानी के नीचे ले जाकर उसमें छेद कर देता है ताकि पहिचाना न जा सके। कभी कभी यह लोग बाजार में झूठ मूट का झगड़ा कर डालते हैं और उसी गड़बड़ी में दूकानों से सामान लूट या उठा लेते हैं और जल्दी से अपने साथियों

को देदेते हैं। कभी २ यह लोग ब्राह्मण या साधू का भेष बना लेते हैं और अच्छे कपडे पहिन कर बाजार में जाते हैं। अपने साथ छोटे लड़कों को भी ले जाते हैं, स्वयं दूकानदार को बातों में लगा लेते हैं और लड़कों से चोरी कराते हैं। यदि चोरी में लड़का पकड़ा जाता है तो स्वयं यह सुन कर छुड़ा लते हैं। लड़का यदि पकड़ा जाता है तो अपना ठीक नाम, पता नहीं बताता है। चोरी करने वाले को दूना हिस्सा मिलता है और चोरी का रुपया मदिरापान में उड़ाया जाता है। अपराध करने के तरीकों में यह लोग बघार और सौनाहरियों से मिलते जुलते हैं।

दलेरे अक्तूबर के महीने मे अपना घर छोड़कर चोरी करने के लिये बाहर चले जाते हैं और मई में वापस लौटते हैं। यह लोग आठ दस आदमियों के गिरोह में बाहर जाते हैं। इन गिरोहों को सोहबत कहते हैं। और गिरोह के सरदार को मुकद्दम कहते हैं। यह लोग चोरी करने के लिये बंगाल तक पहुँच जाते हैं। चोरी का माल जाति में बांटा जाता है।

अन्तर्प्रान्तीय अपराध कमेटी की रिपोर्ट में १६०४ में मिस्टर ब्रेमाले ने इस जाति के विषय में लिखा है:—

'दलेरा वर्णशंकर कहारों की एक छोटी जाति है जो बरेली जिले में रहती है। इन लोगों का मुख्य स्थान गुड़गाव ग्राम, गिरौली थाना जिला बरेली है। यह सम्भव है कि यह चैन, चाँई या करारों की सम्बन्धित जाति हो क्योंकि इनके अपराध करने का तरीका उन लोगों से बहुत मिलता जुलता है।'

बरेली के जिले अधिकारियों ने १८६० में प्रयत्न किया कि इस जाति की घोषणा अपराधी जाति में कर दी जाये किन्तु प्रान्तीय सरकार ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। १८६६ ई० में गुड़गांव में एक हेड कान्स्टेबिल और चार कान्स्टेबिलों की अतिरिक्त तैनाती की गई क्योंकि इन गांव के दलेरे बहुत उत्पात कर रहे थे। इस जाति के व्यक्तियों की काफी संख्या मजायाफ्ता है और उस समय ८७ आदमी अपने घरों से भगे हुये थे। इन जाति को अपराध करने से रोकने के लिये जाति के व्यक्तियों की निगरानी और अपराधियों को उचित दण्ड दिया जाना बहुत ही आवश्यक था। यह लोग भी नरवारा की भांति बंगाल तक अपराध करने के लिये धावा मारते थे।

१६१० ई० में ७६ दलेरों को अपने घरों से अनुपस्थित पाया गया और इन अनुपस्थित व्यक्तियों में से ७२ व्यक्तियों को ३६० मर्तबा दंड दिया जा चुका था।

गूजर

उत्पत्ति—गूजर प्रान्त के पश्चिमी जिलों में एक प्रमुख जाति है। खेती बारी करना और जानवर पालना इनका मुख्य काम है। गूजर शब्द संस्कृत शब्द गूर्जर से बना है जिसका अर्थ गुजरात से होता है। पहिले अनुमान किया जाता था कि गूजर गऊ चराना अथवा गाजर से सम्बन्धित है किन्तु अब ऐसा विचार नहीं किया जाता है। पंजाब में कहावत है कि गूजर, नन्दमिहिर की सन्तान हैं। इस नन्द मिहिर के लिये कहा जाता है कि इन्होंने सिकन्दर महान की प्यास को भैंस का दूध पिला कर शान्त किया था। जनरल कनिंघम का विचार है कि गूजर लोग पूर्वीय तातारों की एक जाति, कुशान या यूची या तोचारी के वंशज हैं। हजरत ईसा से एक शताब्दी पहिले इस जाति के एक राजा ने काबुल और पेशावर विजय कर लिये थे। उसी राजा के सुपुत्र हिम कदफीस ने जिसके सिक्के अभी तक मौजूद हैं, उत्तरी पंजाब, मथुरा और विन्ध्या तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इनका पुत्र प्रसिद्ध बौद्ध राजा, कनिष्क था जिसने काश्मीर विजय किया था। टालमी ने अपने इतिहास में कुशान राजाओं का वर्णन किया है। पंजाब का शहर मुलतान जिसे पहिले कसमेरा या कश्यपुर कहते थे इन्हीं लोगों का बसाया हुआ है। दो सौ वर्ष बाद श्वेत हूणों का आक्रमण हुआ। यूची राजा को उनसे मुकाबिला करने पश्चिम की ओर जाना पड़ा।

उसने अपने पुत्र को एक स्वतंत्र सूबे का गवर्नर बनाया जिसकी राजधानी पेशावर थी। तब से काबुल के यूची बड़े यूची और पंजाब के यूची छोटे यूची कहलाने लगे। १० वर्ष बाद गूजर लोग सिन्ध नदी के रास्ते से दक्षिण की ओर जाने लगे और हूणों के दूसरे आक्रमण के पश्चात् अपने उत्तरी भाइयों से पृथक होगए। ईसा की पांचवीं शताब्दी में दक्षिण पश्चिमी राजपूताने में एक गूजर रियासत थी। वहां से हूण लोगों ने आक्रमण करके गूजरों को गुजरात की ओर भगा दिया। नवीं शताब्दी में जम्मू के एक गूजर राजा ने जिसका नाम अलखाना था गूजर देश को जो आजकल गुजरात का जिला कहलाता है काश्मीर के राजा को सौंप दिया। अकबर के ज़माने में दूसरे अलखाना गूजर ने गुजरात शहर को बसाया था। जनरल कनिंघम ने गूजरों की आबादी के विषय में लिखा है कि गूजर लोग उत्तरी भारत में सिन्ध और गंगा नदी के बीच के इलाके में सभी जगह पाये जाते हैं। जगाधरा के पास यमुना नदी के किनारे तथा सहारनपुर के जिले में इनकी अच्छी आबादी है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड में समथर की रियासत गूजरों की है। ग्वालियर रियासत में भी एक उत्तरी जिला है जो अब भी गूजरगढ़ कहलाता है। रिवाड़ी के राजा भी गूजर हैं। पंजाब में गुजरान वाला, गुजरात, गुजरखाँ इत्यादि शहरों के नाम भी गूजरों के ऊपर ही पड़े हैं।

मिस्टर इबटसन ने गूजरों की वंश परम्परा के विषय में लिखा है कि कुछ व्यक्तियों की धारणा है और कहीं ऐसा विश्वास किया जाता है कि अहीर, जाट और गूजर एक ही वंश के हैं या इन तीनों जातियों

म अति निकट सम्बन्ध है। यह भी सम्भव है कि आदिकाल में इनके एक ही पूर्वज हों। किन्तु उनका मत था कि इन जातियों ने भारत में पृथक २ समय पर पदार्पण किया या और पृथक २ स्थानों पर बस गए थे। ऐसा समझने का उनका कारण यही था कि यह तीनों जातियाँ एक दूसरे के साथ खाती पीती हैं। जाट और राजपूतों में फर्क है, क्योंकि राजपूत सामाजिक रूप से अपने को ऊँचा मानते हैं, किन्तु जाट, गूजर और अहीरों की सामाजिक दशा लगभग एक ही सी है। और यदि यह लोग आदिकाल में एक ही थे तो उन्हें पृथक होने की क्या आवश्यकता पड़ी ? ऐसा सम्भव हो सकता है कि आदिकाल में जाट ऊँट पालने वाले व गूजर पहाड़ी चरवाहे और अहीर मैदान के चरवाहे हों और इस प्रकार केवल उद्यम ही के ऊपर इनका उचित विभाजन हो गया हो जैसा कि अन्य जातियों में हुआ है। इतिहास से यह भी पता चलता है कि राजपूत और गूजर दोनों ही ने साथ २ अपने स्थान परिवर्तन किये हैं। और यह क्रिया केवल आकस्मिक नहीं हो सकती। मिस्टर विलसन ने लिखा है कि बड़गूजर राजपूत और गूजर साथ २ रहते हैं और इनका सम्बन्ध कुछ अवश्य ही होगा।

हमारे प्रान्त में गूजर अपने को राजपूत नहीं कहते हैं बल्कि राजपूत पिता और नीच जाति की माता की सन्तान बताते हैं। सूबे में काफी गूजर मुसलमानों की भी संख्या है।

उपजातियाँ—गूजरों में ८४ उपजातियाँ कही जाती हैं। किन्तु उनके नामों का ठीक से विवरण नहीं मिलता। उपजातियों में भी ऊँचे नीचे का भेद भाव होता है। ऊँच जाति वाले अपनी लड़की

नीच जाति में नहीं व्याह सकते, लड़का व्याह सकते हैं। पहिले जमाने में गूजरों पर संदेह किया जाता था कि वह लड़कियां पैदा होने पर मार डालते थे किन्तु १८७० के कानून के बाद यह प्रथा बन्द होगई। राजा लक्ष्मणसिंह जी ने बुलन्दशहर ज़िले के गूजरों में बहुपति करने की प्रथा देखी थी। कई भाई मिलकर एक ही स्त्री से विवाह कर लेते थे किन्तु अब यह प्रथा भी खत्म होगई है। अविवाहित लड़कियों को अब आज़ादी नहीं मिलती है। ६ और १६ साल के बीच में विवाह होता है। पति के नपुंसक होने पर स्त्री को पति तलाक़ करने का अधिकार होता है। विधवा विवाह की प्रथा है। गूजर मृतकों का दाह कर्म करते हैं, श्राद्ध भी करते हैं और इसके लिए गया की यात्रा भी करते हैं।

धार्मिक रूप से गूजर शैव हैं और शीतला भवानी की पूजा करते हैं। उनके जात के देवता प्यारे जी और बाबा समाराम हैं। सहारनपुर के ज़िले के रणदेवा गाँव में प्यारे जी का मन्दिर है। अम्बाला ज़िले में यमुना नदी के किनारे समाराम बाबा का मन्दिर है।

गूजरों की जाति सदा उत्पाती समझी जाती रही है और जानवरों की चोरी में मशहूर है। सम्राट बाबर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उसके एक सेनापति ने सेना का पीछा करने वाले गूजरों को पकड़ा और उन्हें मौत की सज़ा दी। जब शेरशाह सूरी दिल्ली की सुरक्षा का प्रबन्ध कर रहा था तो पाली और पहल के गांव में गूजरों ने बड़ा उत्पात मचाया और उसने उनके विरुद्ध कार्यवाही की और

उनके गाव को नष्ट कर दिया। सम्राट जहांगीर ने लिखा है कि गूजर दूध और दही खाते हैं और शायद ही कभी खेती करते हों। बाबर ने लिखा है कि "जब जब मैंने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किये तब तब पहाड़ों से असंख्य गूजरों और जाटों ने हमले किये और बैल और भैंसे छीन ले गये। इन्हीं लोगों के कारण सबसे अधिक कठिनाई हुई और यही लोग देश पर अत्याचार करते रहे हैं।" १८५७ के गदर में भी इनका यही हाल रहा और इन्होंने अनगिनती चोरदारी की और अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की रक्षा में बेहद अड़चनें डालीं।

गूजरों के लिये निम्नलिखित कहावतें मशहूर हैं

१ कुत्ता, बिल्ली दो, गूजर राघड़ दो, यह चार न हों तो खुले किवाड़ सो।

२ यार डोम ने, कीन्हा गूजर। चूरा चूरा कर दिया घर।

३ हुक्का मक्का हुरकानी गूजर और जाट। इनमें अटक कहा, जगन्नाथ का भात।

गूजर गाय भैंस और जानवर पालते हैं। यह लोग शराब पीते हैं। सुअर का गोश्त खाते हैं। बकरे और चिड़ियों का मांस भी खाते हैं। अहीर और जाट के साथ खान पान करते हैं।

सहारनपुर जिले के कुछ गांव के गूजरों की घोषणा अपराधी जाति के अन्तर्गत की गई है। इन लोगों पर अभियोग था कि यह लोग जानवरों की चोरी करते हैं। कुछ लोगों पर डाके इत्यादि का भी सन्देह था।

भर

यह लोग राज भर भी कहलाते है। यह लोग किसानी करते हैं और चतुर कारीगर होते हैं। बंगाल के जिलों में भर जाकर बस गये हैं और अच्छा वेतन पाते हैं। पहिले इन पर जबरदस्त चोरी और राहजनी का सन्देह किया जाता था। मिस्टर ब्रेम्स ने इनका वर्णन अपनी रिपोर्ट में किया था। किन्तु यह रिपोर्ट १६०४ में लिखी गई थी। भरो के बारे में अब अपराध करने का अधिक शिकायत नहीं है। इनकी पञ्चायतें शक्तिशाली संस्थायें हैं और पञ्चायतों द्वारा इनकी जाति में अच्छा सुधार हुआ है।

भर अच्छे हिन्दू हैं। मिर्जापुर जिले के भरों को क्रुक्स साहेब ने भुईहार, दुसाध और राजभरा से सम्बन्धित माना है। इनके रीति रिवाज हिन्दुओं ही के हैं और कोई विशेषता नहीं है।

भर को आदि जाति भी माना जाता है। मिस्टर शेरिंग ने भर राजाओं की पुरानी मूर्तियों के कइ चित्र अपनी पुस्तक में दिये हैं। भर राजाओं के बनाये हुये गढ़ों का ध्वसावशेष अब भी मिलता है। भर जाति ने आधुनिक काल में अच्छी उन्नति की है।

औधिया

उत्पत्ति—यह जाति फतेहपुर जिले में पाई जाती है। यह लोग अपने को अयोध्यावासी भी कहते हैं। यह अपने को बनिया बताते हैं। इस बात का पता नहीं चलता है कि यह लोग अयोध्या से फतेहपुर कब आये। कोई लोग तो कहते हैं कि रामचन्द्रजी के समय ही में यह लोग अयोध्या से फतेहपुर आगये थे।

उपजातियाँ—इनकी दो उपजातियाँ हैं। ऊँच और नीच। ऊँच शुद्ध रक्त के हैं, नीच दूसरी जाति की स्त्रियों की सन्तान हैं। जाति में पंचायत भी है। सरपंच प्रत्येक सभा में चुना जाता है। एक आदमी दो स्त्रियाँ तक रख सकता है। क्वाँरी लड़की यदि व्यभिचार में पकड़ी जाये तो जाति से निकाल दी जाती है और उसके माता पिता भी अलग कर दिये जाते हैं लेकिन बिरादरी को भोज देने में फिर सम्मिलित कर लिए जाते हैं। विवाह में वधू के पिता को वर के पिता को धन देना पड़ता है। पति दुराचारिणी स्त्री को छोड़ सकता है।

सामाजिक रीति रिवाज—बच्चों के जन्म सम्बन्धी रिवाज इस जाति में भी अन्य हिन्दुओं की तरह हैं। गर्भिणी की पाँच मासे पर गोद भरी जाती है, नाइन नाखून कतरती है और पैरों पर महावर लगाती है, सेंदुर से माग भरी जाती है और गर्भिणी को अच्छे वस्त्र

पहिनने को दिये जाते हैं। छटमाशा और नतमास पर भी इसी प्रकार रस्म अदा की जाती है। इन अवसरों पर बिरादरी की दावत भी होती है और खीर पकती है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है और रात को नाच गाना होता है। बच्चा उत्पन्न होने पर भी तीन रोज तक गोबर में भंगिन या चमारिन रहती है, फिर एक महीने तक नाइन रहती है। तीसरे दिन नहान होता है और छठी की पूजा के उपरान्त सम्बन्धियों की दावत होती है। दुइया बच्चों को बुरा समझा जाता है। इस जाति में भी गोद लेने की प्रथा है। जो स्त्री, पुरुष बालक को गोद लेना चाहते हैं वह ब्राह्मण द्वारा बनाये हुये चौके के सामने पट्टे पर बैठते हैं और जिस बालक को गोद लिया जाने वाला होता है उसका पिता या अन्य निकट सम्बन्धी उस बालक को गोद लेने वाले पुरुष की गोदी में बिठाल देता है। ब्राह्मण फिर कलम की पूजा करता है, बाजा बजता है और गरीबों को दान दिया जाता है फिर बिरादरी की दावत होती है।

विवाह पक्का करने के लिये सगाई की प्रथा है। कन्या का पिता या अन्य सम्बन्धी वर देखने जाता है और उसे गुप्त रीति से धन भेंट करता है। फिर ब्राह्मण शुभ दिन नियत करता है और उस दिन कन्या का पिता ब्राह्मण या नाई द्वारा वर के लिये मिठाइ, वस्त्र, चावल, पान रुपये भेजता है और वर के सम्बन्धियों के सामने यह सब वस्तुयें वर को भेंट दी जाती हैं। नाई और ब्राह्मण को इनाम देकर विदा किया जाता है। विवाह की रीतियाँ भी अन्य हिन्दू जातियों की ही तरह हैं। अगवानी के पश्चात् द्वार पूजा फिर भाँवरें इत्यादि होती

है। निधन आदमी विवाह की सब रीतियाँ नहीं कर सकते। वे अपनी कन्या को लेकर वर के घर जाते हैं। कन्या वर के पास पूजती है और इसी रिवाज से विवाह हो जाता है।

साधारण रीति से मुर्दे जलाये जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु डूब कर या अन्य दुर्घटना से हुई हो या हैजे, चेचक, कोढ़ या विष-पान से हुई हो तो उसका क्रिया कर्म नहीं किया जाता है। इनके लिये जो कर्म होता है उसे नारायण बलि कहते हैं। लाश को गंगा जी में बहा दिया जाता है और एक ब्राह्मण की साल के भीतर नियुक्ति की जाती है, जो बेसन की उस मृत व्यक्ति की एक प्रतिमा बनाता है और फिर उसी प्रतिमा का क्रिया कर्म किया जाता है। प्रत्येक मास के अन्त में छ ब्राह्मणों को और एक वर्ष की समाप्ति पर १२ ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। बिना सन्तान के जो पुरखा मर गये उनका भी श्राद्ध इसी प्रकार होता है और कुछ लोग गया में श्राद्ध करने के लिये ब्राह्मण भेजते हैं।

यह जाति देवी की पूजा करती है। एकबार सन्तानों की मृत्यु होने लगी तब इन लोगों ने देवी से प्रार्थना की। उसने इनकी पुकार सुनी तब से देवी पूज्य होगई। देवी की पूजा के लिये यह लोग कलकत्ते भी जाते हैं। कनौजिया ब्राह्मण इनके यहां पूजा करते हैं और इनके यहां काम करके अपने को अपवित्र नहीं मानते। अपनी जाति के अतिरिक्त किसी के साथ यह लोग नहीं खाते। भंगी चमारों के अतिरिक्त सबको छू लेते हैं।

अपराध करने की रीति—औधिया प्रसिद्ध अपराधी जाति है। यह लोग जाली सिक्के बनाते हैं और झूठे जवाहरात बेचते हैं। यह लोग हिंसा के साथ कोई अपराध नहीं करते। उत्तरी भारत में यह फकीर के भेष में यात्रा करते हैं। इनकी यात्रा जून में आरम्भ और अप्रैल में समाप्त होती है। बहुधा यह लोग दो तीन वर्ष तक घूमा करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जेल की सजा होती है तो वह जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। घर को यह केवल रुपया ही लेकर लौटते हैं। जिस जिले में यह लोग रहते हैं वहां कोई अपराध नहीं करते। यह लोग भले मानुसों की भांति रहते हैं और इनकी आदतों को देखकर भला ही कहा जायगा। इनकी स्त्रियां अच्छे वस्त्र धारण करती हैं और गहनों से लदी रहती हैं। प्रत्यक्ष में इनका कोई उद्योग धन्धा नहीं है। यह लोग न खेती करते हैं न व्यापार। जाहिर में देखा जाता है कि कुछ वर्षा की समाप्ति पर बाहर चले जाते हैं और जाड़े की समाप्ति पर लौटते हैं। यदि पूछा जाय कि तुम लोग कैसे ज़िन्दगी बसर करते हो तो उत्तर देते हैं कि भीख मांग कर। इन लोगोंको जबलपुर, बनारस. पटना मुंगेर, कलकत्ता, ग्वालियर, सागर, मुर्शिदाबाद और नादिया में सजा मिली है। फतेहपुर जिले में इन पर अपराधी जाति का कानून लागू है। १८६० में कानपुर में ३७५ और फतेहपुर में १५६ औधिये थे। बालिग आदमियों की बहुसख्या गांव से गायब हो जाती है और चोरी तथा जाली सिक्का बनाने में लग जाती है। औधियों की गिनती अयोध्यावासी बनियों में १८६१ की जन गणना में होगई थी।

चैद

यह जाति केवल इलाहाबाद जिले में ग्मानायदोश मानी गई है। १८९१ की जन गणना के अनुसार यह लोग मुरादाबाद और पीली-भीत में रहते हैं। इन लोगों के बारे में अधिक पता नहीं चला। यह लोग सम्भवतः बैद बजारों की उपजाति हैं। पहिले यह लोग जानवरों पर सामान लादते और इधर उधर पहुँचाते थ। गुवार लोग टाट बनाते थे और जानवर चराते थे। मुसलमान हो जाने पर यह लोग बैदगुवार कहलाते हैं, लेकिन यह उपजातियाँ आपस में विवाह नहीं करती।

बांदी

यह एक छोटी जाति है जो हिमालय की तराई में रहती है। यह लोग ढोल बजाते हैं और चिड़ियाँ पकड़ते हैं और बेचते हैं। यह लोग चिड़िया पकड़ कर धार्मिक मनुष्यों जैसे जैनी बनिये के पास ले जाते हैं और कुछ दाम लेकर चिड़ियों को छोड़ देते हैं। आदतों में यह लोग बहेलियों से मिलते हैं।

बेलदार

अपराधी जाति कानून के भीतर यह जाति, इटावा और सहारन-पुर के जिले में अपराधी मानी गई है। लेकिन मिस्टर क्रुक्स ने अपनी किताब में इसे अपराधी नहीं बताया है। उन्होंने इसे नीच जाति माना है और इनका पेशा जमीन खोदना बताया है। स्त्री, पुरुष दोनों ही काम करते हैं। पुरुष जमीन खोदता है और स्त्री सर पर डलिया रख

घर उठा कर ले जाती है। यह लोग बंधे पर मिट्टी नहीं उठाते हैं। इनकी तीन उपजातियाँ हैं बघेल, चौहान और खरोट।

पहली दो राजपूत उपजातियों के नाम हैं। बेलदार अपने को राजपूत बताते हैं। कहते हैं किसी राजा ने उनसे नीच काम कराया तबसे यह लोग गिर गये। यह लोग लुनिया, ओढ़िया, बिंद जाति से मालूम पड़ते हैं। यह लोग जमीन खोदते हैं, मछली पकड़ते हैं, चूहे मार कर खाते हैं। और सूअर खाते हैं। गोरखपुर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनके हाथ का पानी पीते हैं। विधवाओं की शादी सगाई द्वारा होती है। पांचों पीर की पूजा करते हैं और पटका, चादर, मुर्गा चढ़ाते हैं। कुछ लोग शिवरात्रि पर महादेव जी की पूजा करते हैं।

औघड़

कनफ्टा

उत्पत्ति—जरायम पेशा कानून के अन्तर्गत औघड़ केवल इलाहाबाद जिले में अपराधी जाति घोषित की गई है। आगरा जिले में उसी कानून के अन्तर्गत कनफटा जाति अपराधि जाति घोषित की गई है। इन दोनों की खानाबदोश जाति में गणना की गई है। क्रुक्स साहब ने अपनी किताब में कनफट्टाओं और औघड़ों को जोगी जाति की शाखा बताया है। १८९१ की जनगणना के आधार पर औघड़ या अघोर पन्थियों की संख्या केवल ४,६४७ थी। इलाहाबाद और आगरा जिले में इनकी संख्या केवल १८ और ४५ थी। मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर के जिलों में इनकी संख्या ३०,००० के ऊपर है लेकिन उन जिलों में इनकी गणना अपराधी जातियों में नहीं है। इलाहाबाद और आगरा के जिले में इन्हें क्यों अपराधी घोषित किया गया उसका कारण ठीक से पता नहीं चला। यह संभव है कि इनका कोई खानाबदोश गिरोह इन जिलों में आया हो और उसने अपराध किये हों।

मैकलेगन साहब ने पंजाब की जनगणना रिपोर्ट में वर्णन किया है कि जोगियों की दो मुख्य उपशाखायें हैं, एक औघड़ और दूसरे कनफट्टे। कनफट्टे जैसे कि उनका नाम बताता है अपने कान

फटे रखते हैं और उसमें शीशे, लकड़ी या पत्थर के बाले पहिनते हैं जिन्हें मुद्रा कहते हैं। नये चेले के कान गुरू छेदता है और सवा रुपया चार सिवाई दक्षिणा लेता है। कनफटे आपस में अपने को कनफटा नहीं कहते बरन 'दर्शनी' कहते हैं जिसका मतलब 'बाली पहनने वाला' का होता है। औघड़ अपने कान नहीं चिराते हैं। ये कानों में एक सीटी डालते हैं जिसे नाद कहते और जिसे भोजन के पहले बजाते हैं। कनफटों के नाम नाथ और औघड़ के दास पर समाप्त होते हैं। जोगियों में कनफटे प्रमुख हैं। औघड़ आगे या पीछे किसी समय इनसे पृथक् हो गये हैं। कनफटों को कहा जाता है कि वे गोरखनाथ के शिष्य जलन्धर के चेले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह लोग पातञ्जलि शास्त्र के मानने वाले हैं।

सामाजिक रीतियाँ—औघड़ शैव मत के मानने वाले हैं। और उसमें भी सबसे हीन प्रकार के। इनके गुरु किना राम थे जो जाति के राजपूत थे और बनारस के पास रामगढ़ में हुए थे और बहुत पूजा पाठ से सिद्ध होगये थे। कहा जाता है कि दिल्ली के मुसलमान बादशाह ने बहुत से साधुओं को जेल में बन्द कर दिया था। यह उन्हें छुड़ाने के लिए गये तो इनको भी जेल में डलवा दिया गया और चक्की चलाने का काम दिया गया। इन्होंने अपने प्रभाव से चक्कियों को स्वयं ही चला दिया जिससे बादशाह ने इन्हें इनाम देकर छोड़ दिया। जेल से छूट कर इन्होंने रामगढ़ में अघोरी मत प्रतिपादित किया। अन्य साधू भी इनके चेले होगये। इनका मत है कि प्रत्येक वस्तु में केवल ब्रह्म है इसलिये न कोई शुद्ध है और न

अशुद्ध। यह सब प्रकार का वर्जित मांस और मैला खाते हैं। नर मास भी खाते हैं और खूब शराब पीते हैं "जय किना राम की" कहकर भीख मांगते हैं। किनाराम ने जो आग सुलगाई थी वह अभी तक जल रही है और उसी आग के सामने नये शिष्य को शपथ लेनी होती है। पेशाब से बाल भिगोकर मुड़वाते हैं। बारह वर्ष तक चेला रहना पड़ता है। इस बीच में उसे मल, मूत्र पेशाब इत्यादि के साथ खूब शराब पीनी पड़ती है। बारह वर्ष बाद उसे शराब छोड़नी पड़ती है। अन्य वस्तुओं का भक्षण जारी रहता है। विल्सन साहब का कहना है कि यह लोग पहिले जमाने के कापालिकों के वंशज हैं जिनका वर्णन भवभूति ने अपने नाटक "मालती माधव" में किया है।

बधक

बधिक : बधक = हत्यारा :

उत्पत्ति—यह एक खानाबदोश जाति है जो १८९१ की जन गणना के अनुसार मथुरा और पीलीभीत के जिलों में रहती है। किन्तु इस जन गणना पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बधिकों की गणना किसी अन्य जाति के साथ हो सकती है। यह लोग बौरियों और बहेलियों से बहुत मिलते जुलते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह लोग मुसलमानों से और हिन्दू जातियों में अधिकतर राजपूतों से बहिष्कृत जाति है।

मि० डी० टी० राबर्ट्स ने पुलिस कमीशन के सामने बधिकों के विषय में, यह बयान दिया था कि ठगों की तरह बधिक भी बदनाम डाकू थे, इनके सरदारों को पकड़ा गया और लम्बी सजायें दी गईं इससे यह लोग कुछ दब गये। १८४४ में गोरखपुर जिले में ऊसर जगह पर इनकी एक बस्ती बसाई गई। यह जमीन सरकारी थी। बहुत दिनों तक मेहनत और ईमानदारी का काम करने से इन्होंने घृणा दिखलाई और अपनी जमीन को अन्य जातियों को अधिक लगान पर दे दिया करते थे। इनको जमीन बहुत कम लगान पर दी गई थी। इस जमीन का मुनाफा बधिक डकैतों के कुटुम्बियों को मिलता था। एक जमाने में निगरानी बहुत सख्त थी किन्तु अब केवल

इनकी रजिस्ट्री होती है और कलेक्टर की आज्ञा के बिना यह लोग जिला नहीं छोड़ सकते। इस बस्ती के लोगों ने डाका मारना छोड़ दिया। १८७१ मे डिप्टी इन्स्पेक्टर जेनरल पुलिस ने इस बस्ती का मुआइना किया जिसके कारण जिले के अधिकारी गण भी दिलचस्पी लेने लगे। तब इसमें २०६ व्यक्ति रहते थे। डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल ने अपने मुआइने में लिखा है कि यह जाति निस्सन्देह चोरी करती है किन्तु कोई पकड़ा नहीं गया। २० वर्ष बाद यानी १८६१ में इन पर चोरी करने का सन्देह भी नहीं किया जाता। इस जाति ने अधिक उन्नति भी नहीं की और न मेहनत ही करती है। फिर भी अपराध करना लगभग छोड़ दिया है। इस बस्ती में गैरकानूनी शराब बनाना ही इनका एक मुख्य अपराध रह गया है।

अपराध करने की रीत—अपराध करने का तरीका इस प्रकार है कि यह लोग ब्राह्मण और बैरागियों का भेष बना लेते हैं। गंगा स्नान से लौटते हुये यात्रियों से यह मेल कर लेते हैं और उनके लिये झूठी पूजा पाठ करते हैं। फिर मौका पाकर धतूरा पिला देते हैं और बेहोश होजाने पर उनका माल लूट लेते हैं। यह लोग काली की पूजा करते हैं और औरियों की भांति बकरा चढ़ाते हैं। यह लोग भैंसे और गन्दे जानवरों का मांस जैसे सियार, लोमड़ी और छिपकली भी खा जाते हैं। इनका विचार है कि सियार का मांस खाने से जाड़ा नहीं लगता। इन लोगों का रिवाज था कि डाके डालने जाने के पूर्व ही यह डाके में मिलने वाली लूट के माल का हिस्सा लगा लेते थे और जो लोग डाका डालने में मर जायँ या मार डाले जांय उनको

दिखलाई गई हैं लेकिन यह पता नहा चलता कि इसम कितनी आवारागर्द बगाली जाति के हैं। हिन्दू बगाली जाति अपने को सिवाय राम राजपूत की बशज मानती है जो जाति के बगाली थे और महावत का काम करते थे और जिन्होंने औरंगजेब बादशाह के समय खून निकाल कर और सिंगी लगा कर इलाज करने के तरीके को एक हकीम से सीखा था और फिर अपनी सन्तान को सिखाया था। मुसलमान बगाली अपने को बगाल क लोधी पठान कहते है। यह लोग अपनी जाति म अन्य लोगों को सम्मिलित नहा करते। आपस में ही शादी करते हैं। मुसलमाना की शादी काजी कराता है लेकिन इनक रीति रिवाज अस्पष्ट हैं। मुसलमान बगाली, मुसलमानी नहीं कराते और ये और हिन्दू बगाली दोना ही देवी और पीर की पूजा करते हैं।

मेरठ से सूचना मिली थी कि हिन्दू जाति के लाग हर प्रकार के जानवर चाहे उनके खुद कटे हों या नहीं, खाते हैं। चिड़ियों, मछली, मगर इत्यादि का भी मास खाते हैं और दूसरे की जूठन भी खाते हैं। मुसलमानों के लिये ठीक तौर पर नहीं कहा जा सकता लेकिन सम्भवत सुअर का गोश्त भी खाते हैं।

बगाली उचक्का और आवारागर्द जाति है। छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं, भीख मागते हैं और देहाती डाक्टरी खून निकाल कर, सिंगी लगा कर करते हैं। तौर तरीकों म बगाल के भोल और बेड़ियों से मिलते हैं।

नर विज्ञान तथा रक्त विज्ञान के अनुसार
जरायम पेशा जातियों का स्थान

संसार में जीव विज्ञान के अनुसार मनुष्य भी एक प्रकार का पशु ही माना जाता है यह बात अवश्य है कि मनुष्य में अन्य पशुओं के मुकाबले बुद्धि अधिक है। मनुष्य सामाजिक पशु भी कहा जाता है। क्योंकि समाज बना कर रहना उसका प्राकृतिक स्वभाव है। संसार में जो मनुष्य रहते हैं। वे एक ही प्रकार के नहीं हैं। वे एक दूसरे से वर्ण, शारीरिक ऊँचाई, और गठन, बालों के रंग और मोटाई, नाक की लम्बाई चौड़ाई और ऊँचाई सिर और माथे की लम्बाई चौड़ाई, आँख के रंग इत्यादि बातों में विभिन्न पाये जाते हैं। बहुधा यह भी देखा गया है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र के रहने वाले मनुष्यों में लगभग एक ही से उपरोक्त शारीरिक चिह्न पाये जाते हैं। एसे मनुष्यों को एक ही वंश का माना जाता है। संसार के इतिहास से पता चलता है कि मनुष्य एक ही स्थान पर रहने का आदी नहीं है। आर्थिक और सामाजिक स्थिति से उसे अपने रहने का भौगोलिक स्थान छोड़ना पड़ता है और दूसरे स्थानों अथवा देशों में जाना पड़ता है। और वहाँ जाकर उन देश वालों के मेल से अथवा उनसे लड़ कर और विजय पाकर वहाँ बसना पड़ता है जहाँ दूसरे देश के लोग रहते थे। धीरे २ दोनों वंश के मनुष्य मिलने लगते हैं, शादी विवाह

क ो हैं और उनकी सन्तानें होती हैं। इन मिश्रित सन्तानों में दोनों ही न त । . चिह्नों का समावेश होता है। नर विज्ञान द्वारा यह अध्ययन किया जाता है कि कौन देश या जाति के मनुष्य किस नर वश के हैं या उनमें किन नर वशों के चिह्न मिलते हैं। नर विज्ञान शास्त्रियों ने वर्तमान मानव समाज को कई प्रकार से वर्गीकरण किया है। कुछ लोगों ने इसे तीन वशों में विभाजित किया है—यूरोपीय, नीग्रो और मगोलियन और कुछ लोगों ने ६ वशों में—आस्ट्रेलियन, नीग्रो, मगोल, नोर्डिक, अलपाइन और मेडीटरेनियन और यही विभाजन सर्व श्रेष्ठ माना गया है। नर विज्ञान में गणित के द्वारा भिन्न २ नर वश विशेष चिह्न अथवा विशेष गुणों को नापा अथवा उनकी परीक्षा की जाती है। यह चिह्न अथवा गुण दो प्रकार के होते हैं। एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित चिह्न वे चिह्न हैं जिनकी नाप तौल हो सकती है और जिन्हें आकड़ों में लिखा जा सकता है, जैसे सिर की लम्बाई, चौड़ाई या नासिका की लम्बाई, चौड़ाई और उ चाइ या कुल चेहरे का कोण। अनिश्चित वे गुण है जिनकी नाप तौल करना कठिन है और जो आकड़ों में न लिखे जा सकते हों जैसे त्वचा का वर्ण, नेत्रों का रग, बालों का रग अथवा घनत्व गो कि अब इनके नापने के पैमाने बन गये हैं।

भारतवर्ष के इतिहास से ज्ञात होता है कि दश हजार वर्ष से अब तक यहाँ नई २ जातियों ने बार २ आक्रमण किया और यहाँ आकर बस गये। आदि काल में कहा जाता है कि यहाँ निग्रोटी वश के लोग रहते थ जिनका रग काला, बाल काले और घुघरदार, मोटे होंठ

और शरीर नाटा और भद्दा था। यह लोग अब भारत में नहीं पाये जाते हैं, केवल अण्डमन टापू में पाये जाते हैं। उनके पश्चात आस्ट्रेलायड वंश के मनुष्य आये और इसी वंश के आदि निवासी छोटे नागपुर में पाये जाते हैं और द्रविड़ वंश के कहलाते हैं। फिर आर्य लोग आये। यह गोरे वर्ण के थे। शरीर में लम्बे, पतली, लम्बी नाक और इनका सर लम्बा, और कम चौड़ा था। इन्होंने सिन्ध और गंगा का इलाका विजय कर लिया और आदि निवासियों को छोटा नागपुर की ओर भगा दिया। फिर भारत पर यूनानी और सीथियन, हूण, तातार, मंगोल इत्यादि जातियों के लोगों ने आक्रमण किया और यहाँ आकर बस गये और पहिले रहने वालों में आकर मिल गये। यह सब आक्रमण उत्तर पश्चिम की ओर से हुये थे, किन्तु उत्तर पूर्व की ओर से भी मंगोल वंश के लोग जिनका रंग पीला नाक छोटी और चपटी, सिर कम लम्बा और माथा चौड़ा और शरीर कम लम्बा था, आये और बस गये। इस प्रकार भारत म तीन मुख्य नर वंश के मनुष्य हैं। द्रविड़, आर्य और मंगोल और यहाँ की समस्त जातियाँ इन्हीं के मिश्रण और सम्मिश्रण से बनी हैं। सूबा सरहद, पंजाब, काश्मीर में आर्य जातियों का प्रभुत्व मिलता है और आर्य और ईरानियों का सम्मिश्रण भी है। संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, राजपूताना बम्बई के कुछ भाग में आर्य और द्रविड़ नर वंशों का मिश्रण है। बंगाल, आसाम, नैपाल, भूटान, उड़ीसा में मंगोल और द्रविड़ वंश का मिश्रण है और दक्षिण में अधिकतर द्रविड़ वंश के ही मनुष्य रहते हैं या द्रविड़ और निग्राटो का मिश्रण है।

नर विज्ञान गणित में सिरचिह्न और नासिकाचिह्न सरलता से नापे जा सकते हैं। सिरचिह्न, सिर की लम्बाई और माथे की चौड़ाई के अनुपात को कहते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति के सिर की लम्बाई और माथे की चौड़ाई में सौ और अस्सी का अनुपात है तो उसका सिरचिह्न अस्सी कहलायेगा। इसी प्रकार नासिकाचिह्न नाक की लम्बाई और नाक की चौड़ाई में सौ और अस्सी का अनुपात हो तो उसका नासिका चिह्न अस्सी कहलायेगा। सर हरबर्ट रिज़्ले ने, जो वाइसराय की कौन्सिल के सदस्य थे और एक समय में भारत सरकार के नर विज्ञान विशेषज्ञ थे, भारतवर्ष की बहुत सी जातियों के सिरचिह्न और नासिकाचिह्न लिये थे और उनसे निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया था। इस प्रयोग को अब लगभग ५० वर्ष होगये और अब उनके निष्कर्षों पर अविश्वास भी प्रगट किया जाता है और कहा जाता है कि उनकी माप लेने के ढंग में बहुत गल्तियाँ थीं किन्तु फिर भी इस प्रयोग को सब प्रथम करने का उनको ही श्रेय मिलना चाहिये। उनका नासिकाचिह्न सम्बन्धी एक निष्कर्ष बहुत मनोरंजक था। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि यदि बंगाल, बिहार, उत्तरी पश्चिमी सूबा जो अब संयुक्त प्रान्त कहलाते हैं और पंजाब की जातियों की एक सूची नासिकाचिह्न के अनुसार बनाई जावे, यानी जिस जाति की नासिका चिह्न सबसे कम हो उसका नाम सर्व प्रथम और इसी प्रकार जिस जाति की नासिका चिह्न सबसे अधिक हो उसका नाम सबसे बाद को लिखा जाये तो जब ऐसी सूची तैयार हो जायेगी तो उससे यह ज्ञान हो जायेगा कि यदि जातियों की सूची

समाज में उनके प्रचलित सामाजिक पद के अनुसार बनाई जाती तो वह नासिका चिह्नानुसार जो सूची बनी है उसी प्रकार बनती। उदाहरणार्थ संयुक्त प्रान्त की जातियों की सूची जिसे सर हर्बर्ट रिज़ले ने नासिका चिह्नानुसार बनाया था नीचे दी जा रही है।

नाम जाति	नासिका चिन्ह का औसत
भुईहार	७३.०
ब्राह्मण	७४.६
कायस्थ	७४.८
खत्रिय	७७.७
पांजड़	७८.०
क्षत्रिय	७८.१
कुर्मी	७९.२
भार	७९.५
बनियाँ	७९.१
बढ़ई	७९.६
ग्वाला	८०.९
केवट	८१.४
मद	८१.९
कोल	८२.२
लोहार	८२.४
गुड़िया	८२.६
काछी	८२.९

डोम	८३.०
कोइरी	८३.६
पासी	८५.४
चमार	८६.८
मुसहर	८६.०

सर हरबर्ट रिजले के कथनानुसार किसी भी हिन्दू व्यक्ति की जो संयुक्त प्रान्त में रहता हो जाति या उसकी सम्मानिता उसकी नासिका चिन्ह की कमी या अधिकता से नापी जा सकती है। अन्य जातियों के नासिका चिन्ह के जो नाप अन्य विशेषज्ञों ने लिये और अधिक सचाई से लिये और उन्होंने जो तालिकायें बनाईं उन्होंने सर हरबर्ट रिजले के उपरोक्त कथन का खंडन कर दिया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त आँकड़े जातियों के औसत हैं। जाति व व्यक्ति विशेष सदस्यों का इन आँकड़ों से कम अधिक, बहुत अन्तर होता है और इस कारण इन आँकड़ों से किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के मूल नरवंश के विषय में असंदिग्ध रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

यही बात सिर चिन्ह की है। अपने यहाँ कहावत है कि सिर बड़ा सरदार का पैर बड़ा गंवार का। यह कहावत लोक अनुभव के अनुसार ही बनी है। देखा भी गया है कि ऊँची जात वालों के सिर बहुधा लम्बे और नीच जाति वालों के चौड़े होते हैं। किन्तु जब सर हर्बर्ट रिजले ने संयुक्त प्रान्त की भिन्न २ जातियों के औसत सिर चिन्ह नाप और उनकी तालिका बनाई तो देखा गया कि सिर चिन्ह के आंकड़ों में ऊँची और नीची जातियों में विशेष फर्क नहीं है और फिर, व्यक्ति

विशेष के सिर चिन्ह और उसी व्यक्ति के औसत जाति चिन्हों में बहुत अन्तर होता है।

सर हर्बर्ट रिज़ले के प्रयोगों के पश्चात् १९११, १९२१ की जन गणना के अवसर पर नर विज्ञान गणित सम्बन्धी कोई परीक्षा नहीं हुई। १९३१ में संयुक्त-प्रान्त की जन गणना के अवसर पर संयुक्त-प्रान्त की केवल एक ही जाति ब्राह्मणों की और उनमें भी केवल तीन उपजातियों सरवरिया, सरयूपारी, कान्यकुब्ज जो इलाहाबाद या उसके पास के ज़िलों में रहते थे, ही की नासिका, सिर इत्यादि की नाप की गई थी। केवल एक ही जाति या उपजाति की नाप से पूरे प्रान्त के लिये कोई सिद्धान्त नहीं प्रतिपादित किया जा सकता। इस जांच से केवल यही नतीजा निकला कि इन ब्राह्मणों से सिक्ख और पश्चिमी पंजाब के मुसलमान अधिक लम्बे, अधिक लम्बे सिर वाले, अधिक चौड़े माथे वाले और अधिक लम्बी नाक वाले हैं।

१९४१ की जन गणना के अवसर पर डा० डी० एन० मजूमदार ने प्रान्तीय सेनसस कमिश्नर के सहयोग से कुछ जातियों के सिर, नाक तथा रक्त की परीक्षा की थी। लड़ाई छिड़ जाने के कारण प्रान्तीय सेन्सस के केवल कुछ आंकड़े ही छपे किन्तु विस्तृत रिपोर्ट नहीं छपी। इस कारण यह आंकड़े भी नहीं छपे किन्तु डा० डी० एन० मजूमदार ने अपनी पुस्तक Fortunes of Primitive Tribes के पृष्ठ १८६, १८७ पर जरायम पेशा जातियों के कुछ आंकड़े दिये हैं वे नीचे उद्धृत किये जाते हैं।

"नर विज्ञान गणित के अनुसार ज्ञात होता है कि भिन्न भिन्न

जरायम पेशा जातिया भिन्न भिन्न नृवश की हैं। किन्तु कुछ जातिया एक नृवश स सम्बन्धित और कुछ जातिया दूसरे नृवश से सम्बन्धित प्रतीत होती हैं। किन्तु उनमें आपस में भी बहुत भिन्नता होती है। पूर्वीय जिलों के डोमों की सबसे अधिक औसत लम्बाई होती है जो १६६.५३ सेन्टीमीटर है, उसके बाद हबूडे, १६४.६१ और भाँतू १६३.१३। प्राय सभी जरायम पेशा जातियों क सिर लम्बे होते हैं। हबूड़ों का औसत सिर चिन्ह ७३.७१, डोम का ७३.७६ और भाँतू का ७४.८३ होता है। जरायम पेशा और आवारागर्द जातियों का माथा क्रमानुसार चौड़ा होता है, यदि हम उन्हें पूर्वी जिले में क्रमश चल कर पश्चिमी जिलों की ओर नापें। डोमा का आस्ट्रलायड वश का होना परीक्षकों को स्पष्ट-विदित हो जाता है जब वे उसकी नाक की सूरत शक्ल देखते हैं। भाँतू का औसत नासिका चिन्ह ६८ ४७, हबूड़ा का ७१ २१ और डोमा का ७५.७ है। चपटी नाक, अत्यन्त काले वर्ण और नाटे कद क व्यक्ति डोमों में अधिकतर मिलते हैं। किन्तु उनके अन्य शारीरिक अगों में काफी परिवर्तन होगया है क्योंकि डोम स्त्रियों का सम्बन्ध सदियों स उच्च जातिया से रहा है। भाँतू और सासियों में सुन्दर और तोते की सी नासिका देखन को बहुधा मिलती है, किन्तु किसी डोम की इस प्रकार की नाक देखने को भी नहीं मिली। डोमों क अन्य शारीरिक अगों की बनावट, मुडा सन्याल और इस प्रकार की छोटे नागपुर की अन्य जातियों से उनके सम्बन्धित होने की सम्भावना बताती है और कजड़, करवाल, सासिया और भाँतू से सम्बन्धित होने की कम सम्भावना प्रतीत होती है। कजड़, सासिया, भाँतू और

दयूड़े एक ही मूवंश के प्रतीत होते हैं। किन्तु यह जातियां आपस में, और अन्य जातियों से भिन्न अनुपात से मिश्रित हुई हैं इसलिये मि० मकुग ने सत्य ही लिखा था, "निस्सन्देह कंजड़ एक विस्तृत ख़ानाबदोश वंश के एक अंग हैं और जिनके निकट सम्बन्धी सांसिया, दयूड़ा, बेड़िये और भांतू हैं और नट, बंजारा और बहेलिये दूर के सम्बन्धी हैं। किन्तु उनका यह कहना अपर्याप्त प्रमाणों के आधार पर ही था कि अधिकतर आवारागर्द जातियां द्राविड़ वंश की हैं। यदि हम द्रविड़ वंश के वही अर्थ लगायें तथा वही चिन्ह मानें जो सर हर्बर्ट रिज़ले ने माने थे तो कहना पड़ेगा कि भांतू सांसिया, और करवाल तथा बिजोरी कंजड़ जो ग्वालियर, टोंक, बूंदी और कोटा की रियासतों में फैले हुये हैं उनके शरीर के अंगों में द्रविड़ वंश के किसी प्रकार के चिन्ह नहीं पाये जाते हैं।

रक्त विज्ञान के द्वारा भी जनसमुदाय को भिन्न-भिन्न भागों में विभाजित करने का प्रयत्न किया गया है। ४५ वर्ष पूर्व १८८६ में मिस्टर एस० जी० शटक ने घोड़े के रक्त में एक बूंद मनुष्य के रक्त 'रस' (सेरम) की मिला दी थी। उसका परिणाम यह हुआ कि घोड़े का रक्त गोंद की शकल का होगया। उन्हीं दिनों कुछ मनुष्यों के शरीर में बीमारी की हालत में भेड़, बकरी इत्यादि का रक्त चढ़ाया गया था इसका परिणाम बड़ा खेदजनक हुआ। मनुष्यों का रक्त जमने लगा, रक्त संचालन बन्द होगया और इसी कारण उनकी मृत्यु होगई। १९०० में लैन्ड स्टोनर के अन्वेषण से सिद्ध हुआ कि कुछ मनुष्यों का रक्त रस (सेरम) यदि दूसरे मनुष्यों के रक्त में मिलाया जाये तो कुछ देर में

गाद की तरह जम जाता है और शुद्ध में नहीं। इस खोज के परिणाम-स्वरूप एक मनुष्य का रक्त दूसरे मनुष्य के शरीर में चढ़ाये जाने की प्रथायें सुविधाजनक होगई। लैन्ड स्टीनर ने १९०१ में मनुष्यों के रक्त को तीन प्रकार में विभाजित किया और १९०७ में जेस्की ने चौथे प्रकार के रक्त को ढूढ निकाला। यह रक्त की किस्में क्रमश: ओ० ए० बी० और ए० बी० कहलाती हैं। रक्त विज्ञान से बहुत लाभ है। आधुनिक लड़ाई के अवसर पर रक्त बैंक स्थापित होगये हैं जहाँ कोई भी स्वस्थ व्यक्ति अपना रक्त दान कर सकता है। यह रक्त उसकी किस्म के अनुसार छाँट लिया जाता है और फिर समर क्षेत्र के अस्पतालों में भेज दिया जाता है और घायल सिपाहियों के शरीर में सुई द्वारा आवश्यकतानुसार चढ़ा दिया जाता था। केवल यही ध्यान रक्खा जाता है कि घायल सिपाही का रक्त विज्ञान के अनुसार जिस प्रकार रक्त हो उसी प्रकार का रक्त उसके शरीर में चढ़ाया जाये। इसके अतिरिक्त रक्त विज्ञान द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे बीमारियों का इलाज, पितृत्व की पहिचान तथा अपराधियों के अपराध सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है और इससे यह भी पता लगाया जाता है कि नरवंशों का किसी जाति में रक्तानुसार किस प्रकार से मिश्रण हुआ। रक्त विज्ञान से जो सिद्धान्त निकाले जाते हैं वे नर विज्ञान द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों से अधिक प्रमाणित होते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्यों के शरीर के रक्त में जो भेद हैं उनका कारण केवल जन्मपरम्परा ही है। वातावरण का उस पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता।

मनुष्य समुदाय में रक्त के चारों प्रकारों का किस अनुपात में वितरण हुआ है यह आसानी से सूत्रों द्वारा निकाला जा सकता है। किन्तु इसके ठीक आँकड़े तभी निकल सकते हैं जब एक ही स्थान के रहनेवालों में से कई व्यक्तियों के रक्त की परीक्षा की जावे।

डा० मजूमदार ने अपनी पुस्तक 'रेसेज एन्ड कल्चर्स इन इन्डिया' (Races and cultures in India) में रक्त विज्ञान के सम्बन्ध में कई प्रयोगों का वर्णन किया है। १६१६ में इर्डफल्ट ने कई देशों और जातियों के सैनिकों की रक्त परीक्षा की और उन में 'ओ' रक्त का बाहुल्य मिला। शुद्ध रक्त के अमरीकन इन्डियन तो १०० फी सदी 'ओ' रक्त के थे। 'ए०' और 'बी०' रक्तवाले अमरीकन इन्डियन बिल० कुल ही नहीं थे। आइनस जाति के लोगों में 'ए०' और 'बी०' रक्त का बाहुल्य था और 'ओ' रक्त नहीं था। इसी प्रकार गेट ने एस्कीमो जाति के रक्त की जाँच की। उसमें भी 'ओ०' अधिक मिला किन्तु इस्कीमों जिनके रक्त में एस्कीमों और गौर वर्ण वाली जातियों का समिश्रण था उनका रक्त 'ओ०' और 'ए०' प्रकार का था। आस्ट्रेलिया निवासियों का रक्त 'ओ०' और 'ए०' प्रकार का है। मावरी और हवाई द्वीप के निवासियों का रक्त भी 'ए' प्रकार का है। उपरोक्त से यह सिद्ध होता है कि अमरीका और आस्ट्रेलिया के आदि निवासियों और अन्य जातियों के सम्मिश्रण से आदि निवासी जातियों में 'ए' और 'ओ' रक्त का बाहुल्य है और आदि जातियों में 'बी' रक्त नहीं पाया जाता है। अन्य जातियों में भी जो आदि जातियों और अन्य जातियों के समिश्रण से उत्पन्न हुई हैं 'बी' रक्त बहुत कम पाया जाता है और

जो 'बी' रक्त मिलता भी है वह मिश्रण के कारण ही। भारतवर्ष की जातियों में अधिकतर 'बी' रक्त मिलता है। उत्तरी भारत के हिन्दुओं की हर्ज़फेल्ड ने रक्त परीक्षा की और उसे ४१ फी सदी 'बी' रक्त मिला। दक्षिण भारत के हिन्दुओं के रक्त परीक्षा में वैस और वेरहोप को ११·६ फी सदी और मलाने और तहरी को ३७·२ फी सदी 'बी' रक्त मिला। यहाँ यह बताने की आवश्यकता है कि इन परीक्षाओं में हिन्दू शब्द का अर्थ हिन्दुस्तान में रहनेवाली समस्त जातियों से है। 'बी' रक्त का बाहुल्य होने से कुछ लोगों ने धारणा बनाई है कि भारतवर्ष से ही 'बी' रक्त की उत्पत्ति हुई है।

मलोन और लाहिड़ी ने *उत्तरी भारत में २,००० से अधिक* व्यक्तियों के रक्त की परीक्षा ली। यह व्यक्ति भिन्न २ जातियों के थे किन्तु इन परीक्षकों ने उनकी जाति को नहीं लिखा और इसलिये इनकी परीक्षा से यह बात नहीं हो सका कि किस जाति में किस प्रकार के रक्त का बाहुल्य है। भारतवर्ष की जातियों में एक विशेषता है कि वे अपनी जाति ही में विवाह करती हैं और यह प्रथा कितनी ही सदियों से चली आ रही है और इस पर बड़ा जोर दिया जाता है। इसलिये यह आशा की जाती थी कि यदि जाति के अनुसार रक्त की परीक्षा की जाये तो भिन्न २ प्रकार के रक्त के अनुपात का कुछ अन्दाज लग सके। अन्य परीक्षकों ने बाद को जाति के अनुसार रक्त की परीक्षा की और सबको सभी जातियों में 'बी' रक्त का बाहुल्य मिला। डा० मजूमदार ने संयुक्त प्रान्त के चमार, भाँटू, करवाल, और डोमों की रक्तपरीक्षा की और इनमें भी 'बी' रक्त का बाहुल्य मिला।

खोज की है। उनका कहना है कि सदन्नी मर्दों में 'बी' रक्त भारत में है और सम्भवतः यहाँ के आदि निवासियों के रक्त ही में सबसे पहिले पाया गया है। इन आदि निवासियों में जो मगध उत्तर पूर्वीय भाग में रहते हैं उनमें अब तक 'बी' रक्त का बाहुल्य है। यह भी देखा गया है कि 'बी' रक्त उन जन समूहों में सबसे अधिक है जो द्राविड़ जातियों में परिगणित हो रही हैं। जो मिश्रित जातियाँ अपने पेशे के कारण अथवा अन्य किसी कारण से अपनी जाति की स्त्रियाँ अन्य जाति के पुरुषों से मिलने देते हैं या अन्य जाति के स्त्री, पुरुषों को अपनी जाति में शरीक कर लेते हैं उन जातियों में 'बी' रक्त का अनुपात और भी अधिक है। पनियम अन्गामी और कोन्यक नागा और भीलों में 'बी' रक्त का अनुपात कम है। डा० मजूमदार ने अपनी पुस्तक (Fortune of primitive tribes) में पृष्ठ १८७ में लिखा है कि भिन्न २ जशपुर पेशा जातियों के रक्त की परीक्षा करने से पता चला है कि इनके रक्त में कोई विशेष अन्तर नहीं है। 'बी' रक्त और 'ए बी' रक्तों का बाहुल्य है जिसका कारण उनके रक्त का मिश्रण या 'बी' रक्त का स्रोत होना ही है। हो सकता है कि बंगाल के मुसलमानों में भी 'बी' रक्त का बाहुल्य हो। भाँतू, बरवाल, और डोमों की रक्त परीक्षा का परिणाम डा० मजूमदार के अनुसार निम्न प्रकार है।

रक्त फ़ीसदी

नाम जाति	ओ	ए	बी	एबी
भाँतू	२७.४	२४.७	३६.८	७८

गढ़वाल	२५.७	२२.६	४०.६	१०.६
डोम	११.८	२२.८	३६.४	५.०

'बी' रक्त तो भारतवर्ष की समस्त जातियों में ही है। इसका बाहुल्य उन जातियों में अधिक होता है जो मिश्रण से बनी हैं। इसीलिये यह परिणाम यदि निकाला जाये कि जरायम पेशा जातियाँ शुद्ध जातियां नहीं है और अन्य जातियों के मिश्रण से बनी हैं तो ठीक ही होगा। यह भी एक दिलचस्प बात है कि जरायम पेशा डोम में "बी" रक्त का बाहुल्य और "ए" कम है।

नर विज्ञान और रक्त विज्ञान द्वारा जो भी आंकड़े जरायम पेशा जातियों से मिले हैं उनसे केवल यही पता चलता है कि वे शुद्ध जातियाँ नहीं है, अन्य जातियों के मिश्रण से बनी हैं और उनमें 'बी' रक्त का बाहुल्य है। इसके अतिरिक्त यदि उनके अपराध करने के कोई कारण हैं तो उनकी शारीरिक बनावट और शारीरिक रक्त का कोई दोष नहीं है क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट और शारीरिक रक्त में अन्य जातियों की अपेक्षा कोई विशेष अन्तर नहीं है। उनके अपराध करने के कारणों को अन्य स्थान ही पर खोजना पड़ेगा।

तीसरा भाग

जरायम पेशा जातियों का कानून और नियम

जरायम पेशा जातियों की भांति वे अपराधी समस्त ससार में कहीं नहीं मिलते। एक लेखक ने इनके विषय में लिखा है कि यह लोग अपराध करने में इतने ही निपुण होते हैं जितना कि तैरने में बतखें होती हैं "अर्थात इन्हें अपराध करने के लिये कोई विशेष शिक्षा नहीं ग्रहण करनी पड़ती। समाज के विरुद्ध अपराध करना ही इनका पेशा हो जाता है। जरायम पेशा जातियों, समाज और सरकार दोनों के विरुद्ध युद्ध घोषणा किये हुये हैं। एक ओर तो सरकार की समस्त शासन संस्थायें हैं। पुलिस, फौज, अदालतें, जेल और दूसरी ओर जरायम पेशा जातियाँ हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे, सगठित एवं अपराध करने में निपुण, ज."शक्ति का उत्तर चालाकी और बल का उत्तर धोखे बाजी से देते हैं। दण्ड का इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं होता। दण्ड से इनका सुधार होना तो दूर, उसका भय इन्हें छू भी नहीं गया है और न जेल की यातना ही इन्हे डराती है। यह लोग दर्जनों बार जेल जाते और वहाँ से छूटते, किन्तु इन्हे इस का बिलकुल ज्ञान ही नहीं होता कि उन्होंने कोई बुरा काम किया था जिसके कारण उन्हें यातना भोगनी पड़ी। जेल, से छूटने पर फिर अपनी जाति वालों के पास चले जाते हैं और फिर अपराध करना शुरु कर देते हैं। कोई सत्तर साल का अरसा हुआ तब लोगों को

धन इन सज्जनों ने इस कानून में किये, उससे यह कानून और भी सख्त हो गया और उसी का यह परिणाम निकला कि जरायमपेशा जातियों द्वारा अपराध भी कम होने लगे और कुछ हद तक उनका सुधार भी हुआ। इस कानून के द्वारा बसी हुई अथवा आवारागर्द जरायम पेशा जातियों पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गई थी, तथा इस बात का भी अधिकार सरकार को दिया गया था कि जरायम पेशा जातियों के सुधरे हुये व्यक्तियों को इन प्रतिबन्धों से मुक्त कर दे। १६१६ में भारतीय जेल कमेटी ने जिसके सभापति सर अलेकजेण्डर कारड्यू थे, जरायम पेशा जातियों के कानून में संशोधनों की शिफारिश की और उन्होंने सेटेलमेंटों के प्रबन्ध पर भी टीका टिप्पणी की। इस कमेटी की सिफ़ारिशों को सरकार ने मान लिया। १६२३ में केन्द्रीय असेम्बली में जरायम पेशा जातियों के लिये एक नया कानून सर जेम्स फ्रेरार ने पेश किया। इस कानून द्वारा जरायम पेशा जातियों की देख रेख और प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों को दे दिया गया। १६२४ मे माननीय खापर्डे ने यह राय दी कि जरायम पेशा जातियों से सम्बन्धित कानूनों का एकीकरण किया जावे जो स्वीकृत हो गई। १६३३ तक इसी कानून में कई छोटे-छोटे संशोधन हुये हैं।

जरायम पेशा जातियों का वर्तमान कानून १६२४ का छटा कानून कहलाता है। यह कानून समस्त बृटिश भारत मे लागू है। इस कानून के द्वारा प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उनके पास यह विश्वास करने के कारण मौजूद हों कि कोई कौम, दल, अथवा किसी श्रेणी के व्यक्ति या उनका कोई भाग

संगठित रूप से स्वभावानुकूल गैरजमानती अपराध करते हैं तो यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो प्रान्तीय गजट में घोषणा करके, उस ट्राइब, दल या श्रेणी के किसी विशेष भाग को, जरायम पेशा जाति के कानून के अन्तर्गत जरायम पेशा ट्राइब करार दे दे। प्रान्तीय सरकार को यह भी अधिकार है कि घोषित जाति या कौम के व्यक्तियों के नाम उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा जिसमें वे लोग रहते हों, एक रजिस्टर में दर्ज कर लिये जायें। जब जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रकार का आदेश मिलेगा तो वे उस स्थान पर जहाँ के व्यक्तियों के नाम रजिस्ट्री करनी है या उन स्थानों पर जहाँ वह उचित समझे, निश्चित रीति से जरायम पेशा जाति या उसके एक विशेष भाग को सूचना देगा कि वे नियत समय और स्थान पर अपने को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष उपस्थित करें और उसे वे सब सूचनायें जो रजिस्टर बनाने के लिये उसे आवश्यक हों, और अपने अंगूठे और उंगलियों की भी छाप दें। जिला मजिस्ट्रेट यदि चाहे तो किसी जरायम पेशा जाति के किसी भी सदस्य को इस कार्यवाही से मुक्त कर सकता है। जब यह रजिस्टर तैयार हो जाता है तो पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास रहता है। पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट समय-समय पर जिला मजिस्ट्रेट को इस रजिस्टर में संशोधन के लिये सिफारिश करते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति का नाम इसमें दर्ज कर लिया जाये और अमुक व्यक्ति का नाम इसमें से काट दिया जाये। बिना जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा के इस रजिस्टर में संशोधन नहीं किया जा सकता और जिस व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाने का

आदेश दिया जाता है उसे उसी प्रकार से सूचना दी जाती है जैसे प्रथम बार रजिस्टर बनाने के लिये समस्त जरायम पेशा जाति या उसमें एक भाग को दी गई थी। यदि किसी व्यक्ति का नाम इस रजिस्टर में लिखा लिया गया हो या दर्ज किये जाने का प्रस्ताव किया गया हो और उसे यदि इसमें कोई आपत्ति हो तो वह जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष इसकी उजुरदारी कर सकता है और जिला मजिस्ट्रेट ही उसकी सुनवाई करके यह निश्चय करेंगे कि उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में रहे, या लिखा जाये अथवा खारिज किया जावे। जिला मजिस्ट्रेट के फ़ैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। जिला मजिस्ट्रेट या अन्य किसी अफ़सर को जिसे यह अधिकार देदे, यह अधिकार होगा कि वह रजिस्ट्री शुदा जरायमपेशा जाति के किसी सदस्य की उंगली की छाप ले ले।

प्रान्तीय सरकार को यह भी अधिकार है कि यदि वह चाहे तो सरकारी गजट में घोषणा करके जरायम पेशा जाति या उसके किसी भी सदस्य के ऊपर निम्नलिखित पहिली अथवा दूसरी अथवा दोनों पाबन्दियाँ लगा दें कि वे अपनी उपस्थिति की नियमित समय बाद सूचना देंगे और अपने वासस्थान के प्रस्तावित परिवर्तन को और वासस्थान से या प्रस्तावित अनुपस्थिति की सूचना देंगे। यदि कोई रजिस्ट्री शुदा जरायम पेशा जाति का सदस्य अपने वासस्थान को परिवर्तित करता है तो उसकी रजिस्ट्री नये वासस्थान के जिले के रजिस्टर में कर ली जायेगी।

यदि किसी प्रान्तीय सरकार के विचार में किसी भी जरायम-

पेशा जाति या उसके एक भाग या उसके किसी सदस्य के परिभ्रमण को एक सीमित क्षेत्र में प्रतिबन्धित कर देना अथवा उसे किसी विशेष स्थान में बसाया जाना आवश्यक है तो वह इस प्रकार की घोषणा प्रान्तीय गजट में कर सकती है किन्तु यह आवश्यक है कि इस प्रकार की घोषणा करने के पूर्व यह विचार कर ले कि जरायमपेशा जाति या उसका भाग या उसके सदस्य किस प्रकार के अपराध और किन परिस्थितियों के कारण करते हैं, या उन पर करने का सन्देह किया जाता है। उस जरायमपेशा जाति या भाग या सदस्य के पास कोई कानूनी उद्यम या व्यवसाय है या नहीं अथवा वह उद्यम या व्यवसाय, अपराध करने के लिये केवल नाममात्र ही है। प्रान्तीय सरकार को यह भी विचार करना होगा कि जिस स्थान में इनके परिभ्रमण पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है या जहाँ वह बसाये जा रहे हैं वह स्थान इस कार्य के योग्य है या नहीं और वहाँ का प्रबन्ध पर्याप्त है या नहीं और उन स्थानों पर जरायमपेशा जाति के लोग किस प्रकार अपने जीवन निर्वाह का प्रबन्ध करेंगे। प्रान्तीय सरकार को परिभ्रमण प्रतिबंधित क्षेत्र और रहने के निवास स्थान को परिवर्तित करने का भी अधिकार है। जिन जरायमपेशा जातियों के वासस्थान अन्य प्रान्तों में हैं उन्हें उस प्रान्त की सरकार की स्वीकृति से उन्हीं के प्रान्तों में निर्वासित किया जा सकता है। इन लोगों को नियमित समय और स्थान पर हाजिरी देने का भी आदेश दिया जा सकता है।

प्रान्तीय सरकार को यह भी अधिकार है कि यदि वह चाहे तो औद्योगिक, कृषक अथवा सुधार के लिये सेटेलमेंट स्थापित कर सकती

है और इस प्रकार के सेटेलमेंट में किसी भी जरायम पेशा जाति या उसके भाग अथवा किसी भी सदस्य को रहने का आदेश दे सकती है, किन्तु इस प्रकार का आदेश तभी दिया जा सकता है जब प्रान्तीय सरकार को जाँच कराने के पश्चात विश्वास हो जावे कि इस प्रकार के आदेश की आवश्यकता है।

प्रान्तीय सरकार को यह भी अधिकार है कि यदि वह चाहे तो जरायम पेशा जातियों के बालकों को उनके माता पिता से पृथक करके बालकों के लिये औद्योगिक, कृषि अथवा सुधार के लिये स्थापित स्कूलों में रक्खे जाने का आदेश दे। इस प्रकार के स्कूलों के प्रबन्ध के लिये एक सुपरिन्टेन्डेन्ट की नियुक्ति अनिवार्य है और इन स्कूलों के नियम रिफार्मेटरी स्कूल, ५ रूल, १८६७, के अनुसार होंगे। बालकों की आयु छः वर्ष से अधिक और १८ वर्ष से कम मानी जायेगी। प्रान्तीय-सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अफसर का अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति को सेटेलमेंट या स्कूल से मुक्त कर दें अथवा उसका तबादला दूसरे सेटेलमेंट या स्कूल में कर दे। इस प्रकार का तबादला दूसरे प्रान्त को सेटेलमेंट या स्कूल को भी हो सकता है यदि उस प्रान्त की सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई हो। प्रान्तीय-सरकार को जरायमपेशा जातियों के कानून के अन्तर्गत नियम बनाने का भी अधिकार है।

यदि कोई जरायम पेशा जाति का सदस्य रजिस्टरी कराने की सूचना पाकर रजिस्टरी करने वाले अफसर के समक्ष ठीक समय या स्थान पर उपस्थित न हो या अपने विषय में सूचना न दे या जानबूझ कर

गलत सूचना दे, या अँगूठे या उँगलियों की छाप देने से इनकार करे, तो उस पर अपराध प्रमाणित होने पर उसे छः महीने की जेल और २००) जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। यदि कोई जरायम पेशा जाति का सदस्य, परिभ्रमण प्रतिबन्ध के विरुद्ध आचरण करे या सेटिलमेंट या स्कूल में न रहे या वहां के नियमों का पालन न करे तो पहिले अपराध पर एक साल तक की जेल, दूसरे अपराध पर दो वर्ष तक की जेल, तीसरे अपराध पर तीन वर्ष की जेल और ५००) तक जुर्माना हो सकता है। यदि प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुए किसी अन्य नियम के विरुद्ध कोई जरायमपेशा जाति का व्यक्ति आचरण करता है तो अपराध सिद्ध होने पर उसे पहिली बार छः महीने की जेल की सज़ा तथा १००) जुर्माना और तत्पश्चात् अपराधी पर एक साल की जेल की तथा ५००) जुर्माना की सज़ा दी जा सकती है। यदि रजिस्टरी शुदा जरायम पेशा जाति का कोई व्यक्ति किसी स्थान पर ऐसी परिस्थिति में गिरफ्तार किया जाय जिससे अदालत को यह विश्वास हो जाय कि वह कोई चोरी या राहजनी करने जा रहा था या उसमें सहायक होना चाहता था, या चोरी या राहजनी करने के लिए अग्रसर हो रहा था तो उसे ३ वर्ष तक की जेल की तथा १०००) तक जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। यदि कोई जरायम पेशा जाति का व्यक्ति जिसकी रजिस्टरी हो चुकी है और जिसके परिभ्रमण क्षेत्र प्रति बन्धित हों और यदि वह उस क्षेत्र के बाहर बिना आज्ञा या पास के मिले या वह सेटेलमेंट या रिफार्मेटरी से भाग जाये तो वह बिना वारंट के किसी भी पुलिस अफसर अथवा मुखिया

या चौकीदार द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किये जाने पर उसे फिर उसी प्रतिबन्धित क्षेत्र में रिफार्मेटरी या सटेलमेंट में फिर से रहने के लिए भेजा जा सकता है और इन व्यक्तियों के ले जाने के लिये वही नियम लागू होंगे जो मामूली कैदियों के लिये लागू होते हैं। गाँव के मुखिया और चौकीदार का फ़र्ज है कि अपने गाँव में रहने वाली जरायम पेशा जातियों के रजिस्टरी शुदा व्यक्तियों की देखभाल रखें और यदि वे हाजिरी न दें या बिना आज्ञा या इत्तिला के भाग जाय तो उसकी सूचना थाने में दें सूचना न देने पर उन्हें भी दण्ड दिया जा सकता है।

प्रान्तीय सरकार ने निश्चय किया है कि जरायमपेशा जातियों के नाम जिस रजिस्टर में दर्ज किये जायें वह अंग्रेजी भाषा में लिखा जाये और पृथक् पृथक् जाति के नाम अलग अलग फ़ाइलों में लिखे जायें। रजिस्टर बनाने की सूचना थानेदार के द्वारा कराई जाये और सूचना की एक प्रति थाने के बोर्ड पर चिपका दी जाये और प्रत्येक व्यक्ति के पास पुलिस के सिपाही या चौकीदार के जरिये इत्तिला भेजनी चाहिए। सेटेलमेंटों में रहने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सटेलमेंट के मनेजर की सलाह से बनायें। गाँव-गाँव की सूची की एक नकल गाँव के मुखिया के पास भेजनी चाहिये। जिस जाति के समस्त बालिग व्यक्तियों की रजिस्टरी होती है, उस जाति के कानूनी सरक्षकों का फ़र्ज है कि यदि उनके घराने का कोई बालक १५ वर्ष की आयु का हो जावे तो वे इस बात की सूचना थानेदार अथवा सेटलमेंट के मैनेजर को देवें और फिर इस सूचना के

पुरुष द्वारा भी भेज सकती है, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो और बीमारी के कारण हाजिरी देने में असमर्थ है तो उसे अपनी बीमारी की सूचना फौरन थानेदार के या अन्य अफसर के पास भेजनी होगी। पुलिस सुपरिंटेण्डेण्ट यदि वे चाहें तो किसी भी जरायम पेशा जाति के रजिस्टरी शुदा व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वह उनके अथवा अन्य किसी अफसर के समक्ष पुलिस के थाने में किसी नियत समय पर उपस्थित होवे।

यदि रजिस्टरी शुदा जरायम पेशा जाति का कोई व्यक्ति जिस पर अपने वासस्थान तथा उसके प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना देने का प्रतिबन्ध लगा हो अपना वासस्थान परिवर्तन करना चाहे तो उसे इसकी सूचना उस थाने में देनी होगी जिसमें वह रहता है और तब उसे उस थाने में उस इश्तहार की एक प्रति मिलेगी जिसके द्वारा उस पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया और एक प्रति उस थाने को भेज दी जायेगी जिसके क्षेत्र में उसका नवीन वासस्थान होगा। जिस दिन वह व्यक्ति अपने वासस्थान को जायेगा उस दिन फिर वह थानेदार अथवा मुखिया अथवा सेटेलमेंट के मैनेजर के समक्ष उपस्थित होगा और उनसे उपरोक्त प्रति पर अपनी रवानगी की तारीख और समय लिखा लेगा। उसी नवीन स्थान से यदि वह सात दिन के अन्दर अपने वासस्थान पर नहीं पहुँच सके तो उसे इस बात की सूचना थानेदार को देनी होगी जिसके क्षेत्र में वह रहा हो। दूसरे थाने के क्षेत्र में पहुँच कर घंटे के भीतर उसे अपने आने की सूचना थाने में देनी होगी और इश्तहार की नकल भी थाने में दे

देनी होगी। जहाँ जहाँ रात को इस कौम में वह ठहरेगा वहाँ के थाने में भी उसे सूचना देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर जाना चाहे जिससे उसे रात अपने घर के अतिरिक्त काटनी हो तो उसे अपने गाँव या शहर के अधिकारी को जाने के पहिले और लौटने के बाद अपनी उपस्थिति बतानी पड़ेगी और जिस स्थान को जायेगा वहाँ भी पहुँचने के फौरन बाद और लौटने के फौरन पहिले उस गाँव के मुखिया या हलके के थानेदार को अपनी आमद और रवानगी लिखानी पड़ेगी।

जरायम पेशा जाति का कोई व्यक्ति जिस का परिभ्रमण क्षेत्र सीमित कर दिया गया है, उसे रोज रात को अपनी उपस्थिति उस व्यक्ति के समक्ष लिखानी पड़ेगी जिसे जिले के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इस काम के लिये नियुक्त किया है। जरायम पेशा जाति के किसी भी व्यक्ति को सेटेलमेंट में भरती किया गया हो तो उसे प्रत्येक शाम को अपनी हाजिरी सेटेलमेंट के मेनजर के समक्ष देनी पड़ेगी। यदि इस प्रकार के किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक कार्य के लिये प्रतिबन्धित क्षेत्र अथवा सेटेलमेंट के बाहर जाना हो तो उचित कारण बताने से उसे थानेदार द्वारा दस दिन की और सेटलमेंट के मैनेजर द्वारा एक महीने तक की छुट्टी मिल सकती है। इससे अधिक दिनों की छुट्टी पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्ट द्वारा मिल सकती है। ऐसी छुट्टी के लिये इन्हीं अफसरों द्वारा पास मिलते हैं। ऐसे ही सेटेलमेंट में रहने वाले व्यक्ति जो कहीं बाहर काम करते हों या जिन्हें बाजार में सौदा बेचने या खरीदने को जाना हो तो सेटेलमेंट के मेनेजर से कार्य

पास अथवा बाजार पास मिल सकते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को इन प्रतिबन्धों से छूट मिल गई हो उसे भी एक मुक्ति पास दिया जाता है। सेटेलमेंट में रखे जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की हर तीसरे वर्ष, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट और सेटेलमेंट के मैनेजर द्वारा जाँच होती है और यदि तीनों व्यक्तियों की राय में किसी व्यक्ति ने अपनी नेकचलनी और परिश्रम का प्रमाण दिया है तो उसे बिना शर्त अथवा शर्तों के साथ सेटेलमेंट से मुक्ति मिल सकती है।

सेटेलमेंट और स्कूलों के प्रबन्ध का भार रिक्लेमेशन अफसर पर है और वे स्वयं अथवा अन्य पुलिस अफसर द्वारा उनका निरीक्षण करा या करवा सकते हैं। सेटेलमेंटों का प्रबन्ध मैनेजरों द्वारा किया जाता है। और इनकी अनुपस्थिति में उनका नायब करता है। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट भी अपने जिले में स्थित सेटेलमेंटों की निगरानी करते हैं! जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट, डिप्टी कलक्टर और पुलिस के गजटेड कर्मचारी सेटेलमेंट के सरकारी निरीक्षक होते हैं। सेटेलमेंट का मैनेजर यह भी निश्चय करता है कि जरायम पेशा जातियों के व्यक्ति कौन से जानवर पाल सकते हैं और उन जानवरों की सुरक्षा और सफाई का भी वही प्रबन्ध करता है। सेटेलमेंट में शराब पीने और झगड़ा करने की मुमानियत है। ६ वर्ष से १२ वर्ष तक के बालकों का पढ़ाना अनिवार्य है। प्रत्येक सदस्य को जब भी हाजिरी के लिये बुलाया जाय उपस्थित होना आवश्यक है।

इनके अलावा भी अन्य नियमों को सेटलमेंट के मैनेजर बना सकते हैं और उनका पालन प्रत्येक सदस्य को करना होता है।

सेटेलमेंट के मैनेजर की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक सदस्य के जीवन निर्वाह के साधनों का प्रबन्ध करे। और प्रत्येक सदस्य को मैनेजर द्वारा दिये गये काम को करना होगा। काम की मजदूरी रेट के काम के द्वारा होगी। सेटेलमेंट के किसी भी व्यक्ति से जो १५ वर्ष के ऊपर है एक सप्ताह में ५४ घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है और यदि उसकी आयु १२ और १५ साल के बीच में है तो उससे एक सप्ताह में ३६ घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति की आय उसके खर्च से अधिक है तो उसकी बचत का रुपया मैनेजर द्वारा बैंक या डाकखाने में जमा कर दिया जावेगा और बिना मैनेजर की आज्ञा के बैंक से रुपया नहीं निकाला जा सकेगा।

यदि सेटलमेंट का कोई बालिग निवासी सेटलमेंट का कोई नियम भंग करे तो सेटेलमेंट का मैनेजर निम्नलिखित दण्ड दे सकता है—

(१) चेतावनी

(२) जुर्माना

(३) यदि किसी की रजिस्टरी रद्द होगई है या किसी को मुक्ति पास मिला हो तो उसको फिर से कार्यवाही की सिफ़ारिश।

(४) ७५ घंटे तक कोठरी में बन्द करना।

(५) दूसरे सेटलमेंट को तबादला करने की सिफ़ारिश।

(६) दफ़ा २३ के अन्दर चालान।

लड़कों को

(१) चेतावनी (२) जुर्माना (३) १५ बेंत तक की सजा (४) ७२ घंटे तक कोठरी की सजा (५) अन्य सेटेलमेंट या स्कूल को तबादला (६) रजिस्टरी के लिये दरख्वास्त अथवा दफा २२ के अन्दर चालान।

लड़कियों को

(१) चेतावनी (२) जुर्माना (३) अन्य सेटेलमेंट या स्कूल को तबादला (४) रजिस्टरी के लिये दरख्वास्त अथवा दफा २२ में चालान।

पुलिस के थानेदार को या उससे बड़े अफसर को रजिस्टर्ड जरायम पेशा जाति के व्यक्ति के मकान की तलाशी लेने का अधिकार है और पुलिस सुपरिटेण्डेण्ट की आज्ञा से थानेदार या उससे बड़ा पुलिस अफसर किसी भी जरायम पेशा जाति के घर की तलाशी ले सकता है।

अपराध का विस्तार:—

कितना अपराध जरायम पेशा जातियों द्वारा किया जाता है और वे समाज को कितनी हानि पहुँचाते हैं इसका ठीक से पता नहीं। इसके कई कारण हैं। जरायम पेशा जाति के लोग अपराध करने में बहुत निपुण होते हैं। बहुत ही सफाई से अपराध करते हैं और बहुत ही मुश्किल से पकड़े जाते हैं। नौटिये तो चोरी में इतने होशियार हैं कि चोरी करते समय तो सम्भवत: कभी भी पकड़े नहीं गये

१९३८	१३८४ अपराधों की रिपोर्ट की गई और मुकद्दमा चलाया गया।	
१९३९	१५७५	,,
१९४०	१३५७	,,
१९४१	९८९	,,
१९४२	११००	,,
१९४३	११३३	,,

पुलिस की प्रत्येक साल की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया जाता है कि जरायम पेशा जाति के लोग इससे कहीं अधिक जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस का विचार है कि जरायम पेशा जाति के कानून की आवश्यकता नहीं है इसके स्थान पर आदतन अपराधियों के कानून बनाये जायें।

अपराध करने के कारण—जिस युग में प्रथम बार जरायम पेशा जाति का कानून बना था उन दिनों दण्डशास्त्र में इटालियन वैज्ञानिक और शास्त्रज्ञ लोम्ब्रोसो (Lombroso) ने अपराध सम्बन्धी मत प्रतिपादित किया था, वह सर्वमान्य था। उन्होंने इटली और आसपास के बहुत से देशों के जेलखानों के बन्दियों का निरीक्षण किया था और उनके शरीर के अंगों की नाप तौल की थी और वे इस निश्चय पर पहुँचे थे कि अपराधी पुरुष एक विचित्र प्रकार के होते हैं और शारीरिक बनावट के कुछ चिन्हों द्वारा यह बताया जा सकता है कि कौन अपराधी है और कौन नहीं। साथ ही यह भी माना जाता था कि जो शारीरिक बनावट के कारण अपराधी हैं वह जन्म भर

अपराधी रहेगा और किसी प्रकार भी सुधार नहीं हो सकता। सम्भव है कि जिन लोगों ने अपराधी जाति का कानून बनाया था वे भी लोम्ब्रोसोके मत पर विश्वास करते हों और ये समझते हों कि अपराधी जाति के व्यक्ति भी कुछ ऐसे शारीरिक चिन्ह या चिन्ह रखते हों और उन्हीं के कारण सुधारे नहीं जा सकते हैं और इसलिये उन्हें इस कठोर कानून के द्वारा वश में लाना चाहिये। लोम्ब्रोसो का मत अब सर्वमान्य नहीं है। गारिंग (Goring) ने इङ्गलैंड के कैदियों की नाप तौल की और अनपराधी व्यक्तियों की भी और इस निश्चय पर पहुँचे कि अपराधी और अनपराधी व्यक्तियों की शारीरिक बनावट में कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार पहिले यह भी समझा जाता था कि अपराधी व्यक्ति की बुद्धि में कुछ दोष होता है और अपराधी प्रायः मन्द बुद्धि होते हैं। किन्तु यह बात भी मिथ्या सिद्ध की जा चुकी है। पिछली लड़ाई में अमरीका में फौज में भरती करने के पहिले सिपाहियों की बुद्धि की परीक्षा डाक्टरों द्वारा की जाती थी। उन लोगों की बुद्धि परीक्षा का जो फल निकला वह जेलखाना में रहने वाले कैदियों का भी था। इसलिये जो अपराध करने के कारण अन्य देशों में गलत साबित हो चुके हैं वे जरायम पेशा जातियों के लिये भी सत्य न होंगे। अब तक जो कुछ भी नाप तौल शरीर की भारतवर्ष में हुई है उससे यही पता चलता है कि शरीर की बनावट अथवा रक्त की बनावट में जरायम पेशा जातियों और अन्य जातियों में कोई अन्तर नहीं है।

अच्छा तो फिर अपराधी जातियों के अपराध करने के क्या अन्य कारण हो सकते हैं। इस विषय पर अभी तक कोई जाँच नहीं की गई

हैं और यह जाँच का एक महत्वपूर्ण विषय है। फिर भी जिन कारणों से एक व्यक्ति अपराधी हो जाता है और समाज के प्रति घृणा और हिंसा का भाव रखता है, वे ही कारण जरायम पेशा जातियों के लिये भी लागू हो सकते हैं। अपराधी व्यक्ति समाज में अपने को ठीक से निभा नहीं पाता, समाज और उसके हित अलग अलग होते हैं और इसलिये अपना हित करने के लिये वह समाज को हानि करता है। अपराधी जातियाँ भी समाज में अपने को ठीक से निभा नहीं पातीं और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिये समाज की हानि करती हैं। वे समाज को अपना दुश्मन भी समझती हैं। अपराध करने का केवल कोई एक कारण नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों में व्यक्ति उलझ जाता है, वह परिस्थितियों का शिकार बन कर अपराध करने पर मजबूर हो जाता है, और इच्छा न होते हुए भी उसे अपराध करने पड़ते हैं। यही कारण अपराधी जातियों पर भी लागू होते हैं। आर्थिक कारणों ही को लीजिये जिनमें मुख्य हैं निर्धनता और बेकारी।

निर्धनता—अधिकतर जरायम पेशा जातियाँ निर्धन हैं और वह भी साधारण निर्धन नहीं, बल्कि बिलकुल ही निर्धन। न तो उनके पास खाने को पर्याप्त वस्तुयें, और न पहिनने के लिये कपड़ा और न रहने के लिये मकान ही होते हैं। न इनके पास खेत या जमीन होती है जिसके द्वारा मेहनत करके वह अपना तथा अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सकें।

बेकारी—अधिकतर अपराधी जातियों के पास कोई उद्यम नहीं

है। उनकी जमीनों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा जो कुछ छोटे उद्यम इनके पास रह भी गये हैं उनसे जीविका निर्वाह नहीं हो सकता। यह उद्यम इस प्रकार हैं, मजदूरी, जानवर पालना या चराना, डलिया बनाना, रस्सी बनाना, जंगल से चिड़ियाँ पकड़कर खाना या बेचना, शहद, लकड़ी, फल, जड़ी बूटी इत्यादि एकत्रित करना। इन उद्यमों से उनका जीवन निर्वाह नहीं होता। निर्धनता और बेकारी का यह हाल है कि इनकी स्त्रियों को भी काम करना पड़ता है। नाचना, बजाना, गाना इत्यादि के अतिरिक्त वेश्यागिरी भी करनी पड़ती है।

सामाजिक कारण—हिन्दू समाज की विशेषता जाति है। जाति श्रेणी बद्ध है, अथवा कोई जाति ऊँची और कोई नीची। नीची जातियों को हरिजन भी कहा जाता है। अपराधी जातियाँ अधिकतर हरिजन जातियाँ हैं और हरिजनों में भी बहुत ही हीन। डोम तो सम्भवतः सबसे हीन समझा जाता है। हरिजन जातियों पर बहुत सी सामाजिक अयोग्यतायें हैं। यह लोग मन्दिरों में नहीं जा सकते, अन्य जातियों के साथ उठ बैठ नहीं सकते, खाना पीना तो दूर रहा। कुछ जातियों को छूना भी बुरा समझा जाता है। शिक्षा की बिलकुल ही सुविधा नहीं है ऐसी जातियों को समाज अपने से बहिष्कृत करता है और जैसा कि होना चाहिये यह लोग भी समाज को अपना दुश्मन समझते हैं।

कुछ जातियों के पास पहिले उद्यम थे किन्तु वे अब किन्हीं कारणों से छिन गये हैं। बजारे पहिले फौज का सामान ढोते थे किन्तु

यह काम उनसे छिन गया है और वे दूसरे काम में ठीक तौर पर जम नहीं पाये। कुछ जातियों के पुरखे किसी सामाजिक अपराध के कारण अपनी जाति या राज्य से बहिष्कृत कर दिये गये थे। उन्होंने अपराध करके अपनी जीविका निर्वाह की और समाज से बदला लिया और उनके वशज भी वही काम करते आ रहे हैं।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण:—गीता में लिखा है कि सब को अपना धर्म पालन करना चाहिए। धर्म चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो उसका पालन ही करना चाहिये चाहे उसका कुछ भी परिणाम क्यों न हो। अपराधी जातियाँ भी इसी मत को अपने पक्ष में लाती हैं और कहती हैं कि समाज के विरुद्ध अपराध करना ही उनका धर्म है और इसलिये यदि अपराध करने में उन्हें चाहे जो भी कठिनाई पड़े या जो भी दण्ड उन्हें मिले उसे उन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिये। बहुत दिनों से अपराध करते-करते यह लोग अपराध करने में निपुण होगये हैं अपने हुनर को बेटा बाप से सीखता है और उसमें निपुण हो जाता है। एक जाति आमतौर पर एक ही प्रकार का अपराध एक ही प्रकार से करती है। अपराधी जातियाँ अशिक्षित, अज्ञानी तथा धर्मभीरु हैं। भूत प्रेत, जादू टोनों, शगुन, अपशगुन में विश्वास करती हैं। यह लोग बहुत ही जल्दबाज होते हैं। प्रत्येक कार्य का तुरन्त फल चाहते हैं। खेती इसलिये नहीं पसन्द करते कि उसमें बहुत दिनों के परिश्रम के पश्चात फल मिलता है। खेती भी उसी को करेंगे जो जल्द ही कर सकें। यदि माहवारी तनख्वाह की नौकरी उन्हें नापसद

चौथा भाग *

जातीय संगठन

प्रत्येक जाति में एक ऐसी संस्था होती है जो जाति के प्रत्येक व्यक्ति से जाति के नियमों का पालन कराती है। उच्च जातियों में ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य इत्यादि में यह संस्था केवल लोकमत ही होता है किन्तु अन्य जातियों में एक शासन प्रणाली होती है और उस शासन को पंचायत कहते हैं। पंचायत के अधिकार जाति जाति में भिन्न होते हैं। किन्तु जिन जातियों में पंचायत होती है उसे झगड़ों को निपटाने का अधिकार होता है, जाति के नियमों का उल्लंघन करने के अभियोगों की जांच करना तथा अपराधी को दंड देना भी पंचायत के अधिकार में होता है। पंचायत को यह भी अधिकार होता है कि उन कार्यों को करने की अनुमति या स्वीकृति प्रदान करे जिनके विषय में जाति के नियमानुसार पंचायत का मत लिया जाना चाहिये।

कुछ बातें समस्त पंचायतों के लिये लागू होती हैं। जिस समूह पर पंचायत शासन करती है, वह समस्त जाति नहीं होती वह केवल जाति या उपजाति का उतना भाग होता है जिसके भीतर विवाह हो सकता है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कन्या के संग विवाह

कर सकता है तो निस्संदेह वह उसका बनाया हुआ भोजन भी कर सकता है इसी प्रकार वह दोनों एक ही पंचायत में बैठ भी सकते हैं। इस कारण यह सम्भव है कि एक जाति में बहुत सी पंचायतें हों, क्योंकि एक पंचायत का अधिकार उसके एक ही भाग तक सीमित रहता है, जिसके व्यक्ति आपस में विवाह कर सकते हैं। किन्तु पंचायत का निष्केन्द्रीयकरण इससे भी अधिक होता है। पंचायत जाति के केवल एक भाग ही की नहीं होती वरन् उप-जाति के स्थानीय भाग की भी होती है अथवा पंचायत जाति की नहीं, बिरादरी की होती है। प्रत्येक पंचायत की सीमा निर्धारित होती है। कुछ पंचायतें केवल एक ही गाँव की अथवा एक ग्राम समूह की होती हैं, नगरों में तो बहुधा एक ही उप-जाति की कई पचायतें होती हैं। पचायतों की सीमा को इलाका, धुआर, टाट, चटाई, या गोल कहते हैं। यह पंचाय स्वतंत्र होते हुये भी अन्य पचायतों के निर्णय को शिरोधार्य मानती है। पंचायत के अर्थ "पान्च" व्यक्तियों से होते हैं किन्तु यह कहना बिलकुल सही न होगा कि प्रत्येक जाति की पंचायत में केवल पान्च ही व्यक्ति होते हैं। बिरला किसी ही पंचायत में केवल पांच व्यक्ति होते हों। पंचायत में बोलने और राय देने का अधिकार बिरादरी के प्रत्येक बालिग पुरुष को होता है। पचायत इसी बिरादरी द्वारा चुनी जाती है। प्रत्येक जाति की पंचायत के विधान में कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है, किन्तु मुख्य भेद केवल एक ही होता है, यानी पंचायत स्थाई है या अस्थाई। स्थाई पंचायत की पहिचान है कि उसका कम से कम एक अफसर स्थाई हो जिसका फर्ज यह

होता है कि जातीय अपराधों की सूचना पचायत को दे और पचायत की बैठक बुलाये। पचायत की बैठक में वही व्यक्ति सभापति का आसन ग्रहण करता है। अस्थाई पचायत मे इस प्रकार का कोई अवसर नहीं होता। और जब कोई विवादग्रस्त प्रश्न उपस्थित होता है तो बिरादरी केवल उसी प्रश्न को निपटाने के लिये एक पचायत चुन लेती है।

आम तौर पर यह देखा गया है कि स्थाई पचायतें उन जातियों में हैं जो या तो नीच जाति की हैं, या कोई विशेष उद्यम करती हैं। ऊँची जातियों में या तो पचायत होती ही नहीं अथवा अस्थाई पचायत होती हैं। जरायम पेशा जातियाँ आम तौर पर हर नीच जाति की हैं या उनका कोई विशेष उद्यम है, इसलिये उनमें स्थाई पचायतें होती हैं। निम्नलिखित जरायम पेशा जातियों में स्थाई पचायतें हैं।

वे जातियाँ जिनमें कोई विशेष उद्यम है —अहेडिया, बहेलिया, बनारा, गीधिया, सासिया, कलन्दर फकीर।

वे जातियाँ जो किसी व्यापार से सम्बन्धित हैं—खटिक।

वे जातियाँ जो सम्मानित मानी जाती हैं और जिनका कोई उद्यम या व्यापार नहीं हैः—गूजर। वे जातियाँ जो नीच मानी जाती हैं और जिनका कोई विशेष उद्यम या व्यापार न हो —भर, डोम, दुसाध, कनड़, मुसहर, नट और पासी।

पचायत के प्रधान को सरपच कहते हैं, किन्तु उसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे—चौधरी, प्रधान, महतो, जमादार, तख्त, मुकद्दम, बादशाह, मेहतर, महती, साकी इत्यादि। कुछ जातियों में

सरपंच चुना जाता है और कुछ में यह पद पुश्तैनी होता है। यदि चुना हुआ पद होता है तो भी उस व्यक्ति के जीवन पर्यन्त तक होता है और दूसरा चुनाव उसकी मृत्यु पर ही होता है। कुछ जातियों में सरपंच के अतिरिक्त एक दो और स्थायी पदाधिकारी होते हैं। वे नायक, सरपंच, मुन्सिफ, दरोगा, दीवान, मुख्तार, चौधरी, छड़ीदार, दाढ़ी, सिपाही, अथवा प्यादा के नामों से पुकारे जाते हैं। यदि सरपंच का आसन पुश्तैनी होता है तो सरपंच की मृत्यु पर उसका बड़ा बेटा यदि वह सच्चरित्र और दिमाग का तीव्र हो तो सरपंच बना दिया जाता है। यदि किसी सरपंच के बेटा न हो या उपरोक्त कारणों से अयोग्य हो तो यह पद उसके दूसरे वारिस को मिलता है या उसी परिवार का कोई योग्य व्यक्ति चुन लिया जाता है। यदि बेटा कम उम्र का हो तो उसकी नाबालिगी में अन्य बड़ा सम्बन्धी उसके स्थान पर काम करता है। कुछ जातियों में तो पंचायत के निर्णय को नाबालिग सरपंच के मुँह से ही कहलाते हैं। जब नया सरपंच चुना जाता है तो उसके सिर पर पगड़ी बाँधी जाती है। पंचायतों की मीटिंगें तीन अवसरों पर होती हैं—एक तो बिरादरी के भोज के अवसर पर, दूसरे जब विशेष प्रयोजन से सभा बुलाई जाय, तीसरे निश्चित अवसरों पर। बिरादरी के भोज के अवसर पर यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत करना होता है तो वह खड़ा होकर अपनी शिकायत पेश करता है और पंचायत उस पर अपना निर्णय देती है। किन्तु विवाह इत्यादि शुभ अवसरों पर झगड़े के प्रश्न कम उठाये जाते हैं क्योंकि किसी के उत्सव के समय विघ्न

डालना पचायत पसंद नहीं करती है। सरपच स्वय अपनी इच्छा से या बिरादरी के कुछ व्यक्तियो की इच्छा से पचायत की बैठक बुला सकता है। कुछ जातियों की पचायतें मेलों या त्योहारों पर अवश्य ही बुलाई जाती हैं, पचायतो की कार्य प्रणाली अदालतों से मिलती जुलती है। पहिले अभियुक्त पर अभियोग लगाया जाता है और अभियुक्त से पूछा जाता है कि वह दोषी है या निर्दोष। यदि वह दोष स्वीकार कर लेता है तो उसे फौरन ही दड सुना दिया जाता है। यदि वह अपने को निर्दोष कहता है तो पक्ष और विपक्ष की गवाहियाँ सुनी जाती हैं। दोनों ओर से बहस होती है। पचायत म फिर मत लिया जाता है और पचायत का निर्णय तथा दड सुना दिया जाता है। सारी कार्यवाही जबानी ही होती है। बिरादरी और पचायत का प्रत्येक सदस्य गवाहियों के अतिरिक्त अपनी निजी जानकारी और धारणा को भी काम म लाता है। कुछ जातियो में पचायत का निर्णय एक मत से होना चाहिये, कुछ म बहुमत से। दड क भी कई रूप होते हैं। किन्तु यदि किसी कारण स अपराधी को तुरन्त ही दड दिया नहीं जाता या नहो दिया जा सकता तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है जब तक कि वह पचायत की दी हुई सजा को भोग न ले। और यदि अपराधी व्यक्ति पचायत द्वारा निधारित दड को भोगने क लिये प्रस्तुत न हो तो वह जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

पचायत के समक्ष निम्नलिखित जातीय अपराधों क मामले पेश हो सकते हैं।

१ जाति क खान-पान क नियमों का उल्लघन।

२. जाति के विवाह सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन या न पालन करना जैसे—

अ. दूसरे की स्त्री को फुसलाना या उसके साथ व्यभिचार करना।

ब. चरित्रहीनता अथवा किसी अन्य स्त्री को अपने यहाँ रखैली बना कर रखना।

स. विवाह करने का वचन देने के पश्चात विवाह न करना।

द. गौना न रखना यानी विवाह हो जाने के पश्चात उचित आयु होने पर भी लड़की को सुसराल न भेजना।

क. पत्नी को न रखना और न खर्चा देना।

ज. पंचायत की बिना आज्ञा के विधवा से विवाह करना जब कि पंचायत की आज्ञा लेना अनिवार्य हो।

३. भोज देने में बिरादरी के किसी नियम का उल्लंघन।

४. बिरादरी के उद्यम या व्यापार सम्बन्धी किसी नियम का उल्लंघन।

५. वर्जित पशुओं की हत्या। जैसे— गाय, बिल्ली, कुत्ता या बन्दर।

६. ब्राह्मणों का अपमान करना।

७. मारपीट या ऋण सम्बन्धी मामले जिन्हें फौजदारी या दीवानी की अदालत में जाना चाहिये।

८. दीवानी या फौजदारी के मुकदमे जिनका निर्णय अदालतों द्वारा हो गया हो उनका फिर से पंचायत द्वारा निर्णय।

केवल अदालती मामलों को छोड़कर शेष बातों के फैसले आम तौर पर सभी पंचायतें करती हैं किन्तु मुरादाबाद जिले की कजड, सासिया और नट की पंचायतें सभी मामलों पर निर्णय देती हैं।

पंचायत द्वारा निम्नलिखित सज़ायें दी जा सकती हैं।

१. जुर्माना।

२. बिरादरी या ब्राह्मणों को भोज।

३. जाति से थोड़े दिनों या सदा के लिये बहिष्कृत करना।

कुछ विशेष अपराधों में भीख मागना, तीर्थ करना अथवा अन्य प्रकार से असम्मानित करने का दंड दिया जाता है। पहिले कुछ अपराधों पर मार पड सकती थी। किन्तु इस प्रकार का दंड अब कम दिया जाता है। जुर्माने की रकम से मिठाई या मदिरा मँगाई जाती है जो बिरादरी को बाँटी जाती है, यदि जुर्माने की रकम अधिक होती है तो उसका एक भाग कोष मे जाता है जिससे कथा कहलाई जाती है।

पचायतो के अधिकार सब जातियों मे एक से नहीं होते। पंचायत के समक्ष कौन और किस प्रकार के अपराधो की सुनवाई हो सकती है, यह बहुधा जाति की आर्थिक और सामाजिक दशा पर निर्भर होता है। सत और असत और गुण और दुर्गुण का निर्णय करना भी मुश्किल होता है। प्रत्येक जाति के लिये इसका एक ही नाप तौल नहीं है। बहादुरी एक जाति मे गुण और दूसरे में दुर्गुण मानी जा सकती है। दूसरी जाति की स्त्री भगाना एक जाति में निन्दनीय और दूसरी मे स्तुत्य माना जाता है। इसी प्रकार अपराधी जातियों का गुण, दोष नापने का पैमाना अन्य जातियों से अलग है। अन्य जातियाँ चोरी, धोखाधड़ी, राहजनी, सेंध लगाना, औरतें भगाना बुरा समझती हैं, ऐसे व्यक्तियों को बुरा

गुनाहियों की उन्हें सूचना देती है। यह सूचना स्त्रियों द्वारा भेजी जाती है। यही अपराध करने वाले दलों का सगठन करती हैं, भेष बदलने की तरकीब निकालती हैं और अपराध करने के लिये उचित जिल चुनती हैं। यदि जाति का कोई व्यक्ति पुलिस का मुखबिर हो जाता है तो उसे सजा देती हैं। जाति के बालक बालिकाओं को अपराध करने की शिक्षा की व्यवस्था करती हैं। चोरी और लूट के माल का हिसाब रखती हैं और दल•के सदस्यों में हिस्सा बाँटती हैं। यदि चोरी या लूट के माल के बँटवारे मे कोई झगड़ा हो तो पचायत ही इसका निर्णय करती है। यदि कोइ व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसका हिस्सा उसकी स्त्री को दिलवाया जाता है और उसके मुकदमे का पचायत ही प्रबन्ध करती है।

पचायतो का प्रभुत्व पहिले के मुकाबिले म बहुत कम हो गई है, इसके कई कारण हैं। एक तो यातायात के साधन, रेल और मोटर के कारण गाँव के लोग शहर आने जाने लगे हैं और शहरा से नये नये विचार लेकर जाते हैं जो गाव में फैल जाते हैं जिसके कारण जाति के पुराने नियम बहुत कुछ ढीले होते जाते हैं। गाँव की पचायत का बहिष्कृत व्यक्ति शहर म आकर बस जाता है, शहर की पचायत मे शामिल हो जाता है और गाँव की पचायत उसका कुछ भी नही कर सकती। पहले पचायत के द्वारा शादी विवाह तय होते थ और गाँव या गाँव के समूह मे शादी विवाह हो जाते थे, अब शादी विवाह तय करने का क्षेत्र विस्तृत हो गया है और उसम पचायत की सहायता की कम आवश्यकता है। कांग्रेस के आन्दोलन का भी प्रभाव पड़ा है,

[इसमें पंचायतों की धाक कम हो गई है । आर्य समाज के जाति-पाँति तोड़क आन्दोलन का भी प्रभाव पड़ा है जिसने जाति से बहिष्कृत व्यक्तियों को जाति के बाहर आने में सहायता दिया है । पंचायतों में जो मामले पेश हो सकने से उनका लाभ अदालतों में आ जाने लगे हैं, जहाँ पर पंचायतों के निर्णय को कोई महत्व नहीं दिया जाता । पहले यहाँ पहले इस बात पर ज़ोर देती थीं कि उस जाति का प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने जातीय पेशे पर ही काम करे । किन्तु आर्थिक कारणों से इस प्रकार के पेशों को छोड़ना पड़ा और पंचायतों ने इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया । बहिष्कृत व्यक्ति को मुसलमान या ईसाई हो जाने की सुविधा है, जहाँ बहिष्कृत व्यक्ति की हालत उसकी जाति से भी अच्छी है । इसलिये पंचायतें किसी व्यक्ति को बहिष्कृत करने से हिचकती हैं । पहले सरकार द्वारा जाति के सरपंच को इज्जत होती थी और उसी के द्वारा बेगार ली जाती थी किन्तु यह प्रथा अब बन्द हो गई है और सरकार भी सरपंच या चौधरी को अब नहीं मानती । इसके अलावा नये किसान कानून ने किसानों की दशा और आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार किया है । पहले के आसामी जमींदार द्वारा बेदखल कर दिये जाते थे । जमींदारों से मुकाबला करने के लिए उन्हें अपनी जाति को संगठित करना पड़ता था जो पंचायतों द्वारा ही होता था किन्तु अब पंचायत द्वारा यह काम करने की आवश्यकता नहीं है ।

यह भी कहने योग्य बात है कि पंचायतों का प्रभुत्व ऊँची जातियों में अधिक कम हुआ है । प्रान्त के पश्चिमी जिलों में भी अधिक कम

हुई है, किन्तु प्रान्त के पूर्वीय जिले जहा के लोग अधिक निर्धन हैं तथा नीच जातियों, मे जहा शिक्षा कम पहुँच पाई है, पचायतो का प्रभुत्व अधिक कम नहीं हुआ है और पचायतो के आदेशो के सामने सबको सिर झुकाना पडता है। पचायत में परमेश्वर निवास करते हैं यह एक प्रचलित कहावत है तथा पचो के मुख से ईश्वर के वाक्य ही निकलते हैं ऐसा भी माना जाता है।

मिस्टर क्रूक ने अपनी पुस्तक मे अपराधी जातियो की पचायतों के विषय म निम्नलिखित विचित्र बातो का वर्णन किया है :—

बजारा—इनका सरपच नायक कहलाता है और उसका पद पुश्तैनी होती है। चादी बजारों की पूरी पचायत पुश्तैनी होती है।

बनमानुष—यह मुसहरों की एक उपजाति है इनका चौधरी पुश्तैनी होता है।

गिधिया—मुरादाबाद जिले म प्रत्येक उप-जाति की पृथक पृथक पुश्तैनी पचायतें हैं जिनका सरपच प्रधान कहलाता है। प्रधान जब पदासीन होता है तो उसे पाच रुपया की मिठाई खिलानी पडती है।

गूजर—प्रत्येक गाव म एक स्थाई पाच व्यक्तियों की पचायत होती है, सरपच पुश्तैनी होता है। यदि कोई भी जटिल मामला पचायत के सामने आता है तो उसका निर्णय कइ गावों की पचायत द्वारा चुनी हुइ विशेष पचायत करती है।

खटिक—अलीगढ जिले मे सरपच पुश्तैनी होता है और चौधरी कहलाता है। शेष पच तीन अथवा चार होते हैं और प्रत्येक अवसर पर चुने जाते हैं। किन्तु सदा वही लोग और उनकी मृत्यु पर उनके

पुत्र ही चुने जाते हैं। गोरखपुर ज़िले में गोरखार इस जाति में सरपंच चौधरी कहलाता है तथा अन्य पद भी पुश्तैनी होते हैं। पासदार उप-जातियों में चौधरी और प्रधान दोनों ही पुश्तैनी होते हैं। धरवा इस जाति में केवल एक ही चौधरी होता है जो एक वर्ष के लिये दशहरे पर चुना जाता है। बुलन्दशहर के प्रत्येक गांव में खटिकों की पंचायत है। सौ गांव के ऊपर एक बड़ी पंचायत है। छोटी पंचायत का सरपंच मुकद्दम और बड़ी का सरपंच चौधरी कहलाता है।

डोम—इनकी पंचायत में सरपंच की राय सर्वमान्य होती है।

बंजारा—बिजनौर ज़िले के मीर बजारे सगीन अपराधों में अभियुक्त को सज़ा देते हैं कि अपने घराने की एक लड़की बादी के खानदान में ब्याह दे। सम्भवतः बादी के नुकसान को पूरा करने का यही तरीका हो अथवा अभियुक्त को नीचा दिखाने का, किन्तु उस गरीब लड़की की इसमें कोई राय नहीं ली जाती है।

डोम—अलमोड़ा ज़िले का यदि कोई डोम गोहत्या करता है तो उसे तीर्थयात्रा करने के लिये जाना पड़ता है तथा मार्ग में भीख मांगना पड़ता है। और जिस हथियार से गोहत्या की गई थी उसका प्रदर्शन करना पड़ता है।

गिधिया—इनकी जाति में इस प्रकार दंड दिया जाता है।

अपराध	जुर्माना
अ. परस्त्री गमन (जाति में)	पांच रुपया
ब. व्यभिचार (जाति के बाहर)	
१. स्त्री द्वारा—	जाति के बाहर।

२. पुरुष द्वारा—	यदि स्त्री ऊँची जाति की हो तो जुर्माना पाच रुपया, यदि नीच हिन्दू जाति की हो या अन्य धर्म की हो तो जाति बहिष्कार।
स. गौहत्या—	भीख मागना, गगा स्नान करना और बिरादरी को भोज देना।
द. खान-पान के नियमो का उल्लघन—	गगास्नान और बिरादरी भोज।
ड. विवाह-सम्बन्धी वाचनों का पालन न करना—	ढाई रुपया से पाच रुपया तक जुर्माना।
प.मारपीट या कर्ज	एक रुपया या दो रुपया जुर्माना।

कंजड़—गौहत्या करने वाले को अन्य हरजाने के अतिरिक्त ब्राह्मण को बछिया दान करनी पडती है।

नट :—इनके यहाँ निम्नलिखित दण्ड मिलता है—

१. पर स्त्री गमन अथवा पर पुरुष से व्यभिचार, जुर्माना—	स्त्री को वापस करना अथवा उसकी बधू का मूल्य चुकता करना।
२ गौहत्या—	चालीस रोज भीख मागना, गगाजी में स्नान करना और ब्राह्मणों को भोज।
३. खान पान सम्बन्धी नियमों का उल्लघन—	पाँच रुपया या दस रुपया जुर्माना। गगास्नान, ब्राह्मण और बिरादरी को भोज।

४ विवाह सम्बन्धी वचन भंग करना— दूसरी ओर का समस्त खर्च देना।
५. कुत्ता, बिल्ली, गधे की हत्या करना— दो रुपये से चार रुपये तक जुर्माना।
६. मारपीट— एक रुपये से चार रुपये तक जुर्माना।

१६३१ की यू॰पी॰ की जनगणना के रिपोर्ट में फजलपुर सेटलमेन्ट में रहने वाली जरायम पेशा जातियों की पंचायत का निम्नप्रकार वर्णन किया गया है—

फजलपुर सेटलमेन्ट में भाँतू, डोम, हाबूड़ा और सांसिये रहते हैं। क्योंकि इस सेटलमेन्ट का प्रबन्ध मुक्ति फौज के आधीन है इस कारण यहाँ के रहने वालों ने अपनी असली जाति को छिपाकर हिन्दुस्तानी ईसाई दिखाया है। भाँतू और हाबूड़े जब सेटलमेन्ट में भर्ती नहीं किये गये थे तो जातीय झगड़ों का निपटारा करने के लिये साधारणतया जो सभा बैठती थी वह पूरी बिरादरी की सभा नहीं होती थी, वरन् पाँच व्यक्तियों की पंचायत होती थी जिसके द्वारा वृद्ध और अनुभवी व्यक्तियों को चुना जाता था। बिरादरी का चौधरी आमतौर पर उसका चौधरी होता था, बल्कि ऐसा होना आवश्यक न था बिरादरी के अन्य व्यक्ति पंचायत के समक्ष दर्शकों के रूप में इकट्ठा होते थे, और इस बात का प्रबन्ध करते थे कि पंचायत की आज्ञा का उसी दम पालन हो, चाहे पालन कराने के लिए बल ही का प्रयोग करना क्यों न पड़े।

"जरायम पेशा जातियों की पंचायत जीवित संस्थायें हैं। अन्य जातियों की पंचायतों के अधिकार और प्रभुत्व कम हो रहे हैं, किन्तु

जरायम पेशा जातियों की पंचायतों की शक्ति और महत्त्व दोनों ही बढ़ रहे हैं। इसका सम्भवतः कारण यह हो सकता है कि अपराध प्रवृत्ति जातियाँ सेटलमेन्टों में बन्द कर दी गई हैं और इस कारण उसकी दबी हुई भावना के उद्गार पंचायत की झूठी लड़ाइयों में बाहर निकलने का अवसर प्राप्त करती हैं। फज़लपुर सेटेलमेन्ट के मैनेजर की निगरानी में १६३० में कम से कम ४५ पंचायतें थीं और इनके द्वारा बहुत से फौज़दारी और दीवानी के मुकदमों का फैसला हुआ। मैनेजर साहब ने इस बात का प्रयत्न किया था कि पंचायतों का काम नियमित ढंग से हो और इसके लिये उन्होंने यह प्रबन्ध किया था कि पंचायत के सामने कोई शिकायत करनी हो तो वह अपनी अर्ज़ी को एक बम्बे में डाल दे जिसे सप्ताह में एक दिन मैनेजर साहब स्वयं खोलते थे और फिर पंचायत की सभा के लिये दिन निश्चित किया जाता था। वादी और प्रतिवादी दोनों दो-दो पंच नामज़द करते थे जो उसके हिमायती हो सकते थे किन्तु सम्बन्धी नहीं हो सकते। सरपंच को मैनेजर द्वारा नामजद कराते थे। प्रत्येक पंच को एक रुपया अपने काम की फीस मिलती थी और जिसमें से चार आने मैनेजर साहब फुटकर खर्च के लिये ले लेते थे। यदि कोई व्यक्ति या दल पंचायत के निर्णय से सतुष्ट न हो तो वह दूसरी पंचायत चुनवा सकता था। किन्तु तब उसको पचायत बुलाने का पूरा खर्च यानी पाँच रुपया देना पड़ता था। तीसरी बार भी इसी प्रकार से पचायत बुलाई जाती थी किन्तु तब मैनेजर साहब स्वयं मध्यस्थ बनाकर अपना निर्णय देते थे। पंचायत के निर्णय को

प्रत्येक व्यक्ति को मानना पड़ता था, न मानने वाले को जाति से बाहर निकाल दिया जाता था।

"पंचायत दोष अथवा निर्दोष का निर्णय आदि काल के उपायों द्वारा करती थी। जो कोई गरम लोहा छू ले और उसका हाथ न जले तो वह निर्दोष माना जाता था, जिसका हाथ गरम लोहे से जल जाता था वही दोषी माना जाता था। दूसरा तरीका जल का परीक्षा थी। सन्दिग्ध व्यक्ति पानी में डुबकी लगाते थे जो सबसे पहिले पानी से बाहर निकल आता था वही दोषी माना जाता था। पंचायत के द्वारा बेंतों के मार की सजा अथवा शारीरिक दण्ड भी दिया जाता था। एक मामले में सुना गया था कि पंचायत ने एक आदमी के कानों को काटने का आदेश दिया था यद्यपि आदमी के कान नहीं काटे गये तो भी उसकी इतनी दुर्गति बनाई गई कि जिसका प्रभाव उस पर जीवन पर्यन्त पड़ेगा। पर स्त्री गमन की एक सजा यह भी थी कि दोषी व्यक्ति के एक ओर के बाल, मूछें और दाढ़ी बनवा देते थे और पर पुरुष के साथ व्यभिचार करने पर स्त्री को जाँघों तक जमीन में गाड़ देते थे।

कुछ अपराधों के लिये जुर्माने की सजा दी जाती थी। भाँतू और हाबूड़ा धन को कमबख्त करते थे। क्योंकि दोनों ही जातियाँ जब अपराध करती थीं तो बिना परिश्रम के अधिक धन प्राप्त कर लेती थीं। इसलिये उनकी पंचायतें जुर्माने में अधिक रुपयों की सजा देती थीं जो कि अब जब कि वह सेटलमेन्ट में रहने के कारण और अपराध करने की इतनी सुविधा नहीं रह गई थी भुगताना कठिन

होजाता था। इसी कारण वह पचायत के सामने कर्ज सम्बन्धी बहुत से ऐसे मुकदमे लाते थे जिनमें रुपया मिलने की बिलकुल आशा नहीं होता और पचायत ऐसे कर्ज के मुकदमों का निर्णय करती थी और भारी दर से व्याज दिलवाती थी।

जुर्माने की जो दर १६३१ में सेटलमन्टों की पचायतों में प्रचलित थी वह नीचे दीजाती है।

अनैतिकता

१ जवान लड़की के साथ बदचलनी।

जुर्माना

भातू ८० रुपये से १२५ रुपये तक

साँसिया १० रुपये से ३० रुपये तक

डोम १० रुपया

हाबूड़ा यदि लड़की की स्वीकृति से हो तो ५ रुपया

हाबूडा बलात्कार १२० रुपया

२ पर स्त्री के साथ बदचलनी।

भातू २५० रुपया

साँसिया स्त्री की स्वीकृति से २ रुपया

साँसिया बलात्कार पाच रुपया

डोम १० रुपया

हाबूडा १५० रुपया

विवाह सम्बन्धी क़रारदाद

विवाह सम्बन्धी करारदाद के रुपया पर सूद नहीं चढ़ता। यदि

विवाह में ५०० रुपये ठहरे हों और केवल २०० रुपये दिये गये हों तो शेष रुपया २० वर्ष तक न दिया जावे तो उस पर सूद नहीं चढ़ सकता। किन्तु अक्सर ऐसा होता है कि यदि पति ने पूरी रकम नहीं दी हो तो पिता को अधिकार होता है कि अपनी पुत्री को वापस लेले और उसे दूसरे को बेचकर ब्याह कर दे और अपनी हानि पूरी कर ले।

सूद की दर

भोंतू और हानूड़ों में २५ फीसदी से ७५ रुपया फीसदी सालाना सूद लिया जाता था। कुछ मामला म १०० फीसदी भी सूद लिया गया था। डोम चार आने प्रति मास प्रति रुपया और खासिया एक आना प्रति मास प्रति रुपया सूद देते थ।

हर्जाना

अ. दात टूटने पर—यदि आपस में झगड़ा हो और एक का दात टूट जाये तो वह दूसरे से हर्जाना वसूल कर सकता था। भोंतू म यह जुर्माना ३० रुपया फी दांत होता था। खासियों में दो रुपया फी दांत। डोम और हानूडा म दात टूटने पर कोई हर्जाना नहीं मिलता था।

ब साप काटने पर—यदि दो भोंतू सग-सग यात्रा कर रहे हो और यदि एक को साँप काट ले और उसकी मृत्यु हो जाय तो जीवित रहने वाले को मृतक की आयु क अनुसार मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों को हर्जाना देना पडेगा। जा ४०० रुपया तक हो सकता था। यदि

मृत व्यक्ति बालक या बालिका हो तो हरजाना १०० रुपये से २०० रुपये तक दिलवाया जा सकता था। डोमों में २०० रुपया हर्जाना दिलवाया जाता था। सांसियों में १०० रुपया हाबूड़ा में यह रिवाज नहीं था।

स अंग-भंग होने पर—यदि लड़ाई में चोट लगे वह चोट की भीषणता के अनुसार १०० रु० से २५० रु० तक जुर्माना मांग सकता था। हाबूड़ा में इस प्रकार के अवसरों पर इलाज के खर्च के अतिरिक्त चार आना रोज हर्जाना मांगा जाता था। डोम और सांसियों में केवल अपनी मजदूरी की हानि के बराबर धन मांगा जासकता था।

दूसरों को बदनाम करना

बदनाम करने पर हाबूड़ा, डोम और सांसिया में पांच रुपया से २५ रु० तक जुर्माना हो सकता था। १६३० में बहुत-सी पंचायतों ने जुर्माना या कर्जा या हर्जाने की डिग्रियों में एक मुकदमें में १००रु० से अधिक रकम दिलवाई। विवाह के करारदाद के मुकदमों में २०० रु० से अधिक रकम दिलवाई।

हाबूड़ा की पंचायत का वर्णन किया जा चुका है। १६३० में हाबूड़ा की पंचायत के समक्ष एक भयंकर मुकदमा पेश हुआ था। हाबूड़ा के एक दल का पीछा पुलिस ने किया। एक हाबूड़ा भागते समय नदी में गिरकर मर गया शेष हाबूड़े पकड़े गये और उन पर मुकदमा चला और उन्हें लम्बी सजायें होगई। जो हाबूड़ा मर गया था उसकी विधवा ने पंचायत के सामने अपने पति की मृत्यु के हर्जाने

का दावा शेष दल वालों पर किया और आशा की जाती थी कि यह स्त्री अपना मुकदमा जीत जायेगी।

इतना भारी जुर्माना करने और इतनी बड़ी रकम के पूरी करने का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति पर लम्बे लम्बे कर्ज हो गये जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र और पौत्रों को अदा करना पड़ता है। एक युवक को अपने दादा परदादों के ऐसे ही कर्जों को अदा करना पड़ता है जिन कर्जों के मूलधन और मूल कारण का उसे बिलकुल ही ज्ञान नहीं होता और न उसे यही पता चलता है कि उसे कुल कितनी रकम अदा करनी है और कितने सालों में अदा हो जायेगी। पचायतें दहेज की रकमों को भी इतनी बड़ी तादाद में नियत करती हैं जिनका भुगतान असम्भव होता है।

पच लोग बिरादरी के वृद्ध होते हैं और इस कारण उन पर सुधार के प्रचार का बिलकुल प्रभाव नहीं पड़ता। अक्सर पचायतें सेटलमेन्ट के मैनेजर की जानकारी के बिना ही अपना काम करती हैं और जो युवक लोग अपने को पुराने वातावरण से पृथक् करना चाहते हैं वे पचायत के भय के कारण नहीं कर पाते।

रिक्लेमेशन विभाग का काम

१६३८ ई० में कांग्रेस सरकार सूबे में हुकूमत करती थी। तब उसने जरायम पेशा जातियों की हालत की जाँच करने के लिये एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में निम्नलिखित सदस्य थे।

१. श्री वेंकटेशनारायण तिवारी एम० एल० ए० — चेयरमैन
२. श्री रहसबिहारी तिवारी — — सदस्य
३. श्री बी० जी० पी० टामस ओ० बी० ई० आई० पी० ,,
४. बेगम एजाज रसूल एम० एल० सी० ,,
५. श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव एम० एल० ए० ,,
६. मिस्टर जी० ए० हेग आई० सी० एस० ,,
७. श्री टी० पी० मल्ला एम०ए०, एल०एल०बी०, आई० पी० मंत्री

इस कमेटी को निम्नलिखित बातों पर विचार करने का आदेश मिला था।

१. जरायम पेशा ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार ने जो-जो घोषणाएँ कीं और जो जो इश्तहार जारी किये उनमें क्या-क्या परिवर्तन जरूरी हैं।

. सेटलमेन्टों के बाहर जरायम पेशा जातियों के सगठन और उनके सुधार और पुनरुद्धार के लिये कौन से साधन काम में लाने चाहिये।

३. सेटलमेन्टों में रहनेवालों का अच्छी तरह सुधार करने और अन्त में समाज का अंग बनाने के लिये सेटलमेन्टों की प्रथा और शासन प्रबन्ध में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है।

४. सेटलमेन्टों और उनके बाहर जो जरायम पेशा जातियाँ जिलों में रहती हैं उनका सुधार करने और उनकी निगरानी करने का काम किसको सौंपा जाय।

५. प्रस्तावित सुधारों में अन्दाज से कितना खर्च होगा।

कमेटी की आठ बैठकें हुई उसने प्रश्नों की एक सूची बनाकर सरकारी और गैरसरकारी कर्मचारियों के पास भेजीं जिन्होंने जरायम पेशा जातियों के साथ काम किया था। उन लोगों के जो उत्तर आये उन्हें भी अध्ययन किया गया। अन्य प्रान्तों में जरायम पेशा जातियों के नियमों, कार्य प्रणालियों और रिपोर्टों का अध्ययन किया। कमेटी ने एक मत होकर सरकार को रिपोर्ट दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि समाज की बुरी प्रथाओं की वजह से और पिछले कई सालों तक उनके साथ अनुचित व्यवहार होने से जरायम पेशा कौमें चली आती हैं। वे उतनी अपराधी नहीं हैं जितना उनके साथ अपराध किया गया है। अभी तक यही समझा जाता था कि जरायम पेशा जातियों का प्रबन्ध केवल पुलिस ही कर सकती है। किन्तु कमेटी के दृष्टिकोण से यह प्रश्न उनके सुधारने और उन्हें अपनाने का ही प्रश्न है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को २६ जुलाई १९३८ को पेश कर दी। कमटी की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं।

१. भिन्न-भिन्न जरायम पेशा जातियों के बारे में सरकारी इश्तहार हर मामले पर अलग अलग विचार करके नीचे दिये हुए तरीके पर सशोधित किये जायँ।

क. उस रक्बे को इश्तहार में से अलग करके जिसमें कोई ट्राइब रहती हो या

ख. किसी खास नाम के परिवारों को बरी करके या

ग. इश्तहार को बिलकुल रद्द करके सिर्फ जरायम पेशा जातियों के परिवारों के नामों की घोषणा करके।

२. भिन्न-भिन्न जरायम पेशा जातियों में सुधार की पचायतें बनाई जानी चाहिये। पहली पचायत गाँव की होनी चाहिये और फिर थाने की पचायत और जिला कमेटी। सरकारी और गैरसरकारी दोनों तरह के लोग और दान देनेवाली सस्थायें व जरायम पेशा जातियों के निर्वाचित मेम्बर जिला कमेटी में शामिल होंगे। और उस कमेटी का कलेक्टर सभापति, पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्ट उपसभापति, कोई डिप्टी कलेक्टर सेक्रेटरी और कोई वेतन पानेवाला पचायत अफसर असिस्टेण्ट सेक्रेटरी होगा।

३. जरायम पेशा जातियों के सब इन्सपेक्टरों की जगहों को तोड देना चाहिये और उनकी जगह पर पुलिस के कागजात रखने के लिये पढे लिखे कानिस्टेबिल रखने चाहिये और सुधार के काम के लिये पचायत अफसरों की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशनों को करना चाहिये इसके सिवाय जरायम पेशा जातियों में सुधार का प्रचार करने के लिये वेतन पानेवाले प्रचारक नियुक्त करने चाहियें

और किसी और भी संस्था से जो मिल सके वह काम लेना चाहिये।

४. पंचों और सरपंचों को कुछ रियायतें देकर उनका उत्साह बढ़ाना चाहिये।

५. पंचायतें स्थापित करने के लिये १८ हजार रुपया और जरायम पेशा जातियों के बच्चों को वजीफा देने के लिये १५ हजार रुपये की आर्थिक सहायता देनी चाहिये। वर्तमान सेटेलमेन्टों की जगह जो सब एक तरीके की हैं, ऐसे सेटेलमेन्ट बनाने चाहियें जिनमें एक सिर पर रिफार्मेटरी हों और उसके बाद नीचे की खेती-बारी की कोलोनियाँ, मजदूरी को देने वाले सेटेलमेन्ट, उद्योग धन्धों और खेती बारी के सेटेलमेन्ट और आखिर में स्वतन्त्र खेती-बारी की कोलोनी हों। यह जरूरी नहीं है कि सेटेलमटों के रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को इन सेटेलमेंटों में रहना पड़े लेकिन यह इरादा किया जाता है कि सेटेलमेन्टों में रहनेवाले हर व्यक्ति को क्रम से एक के बाद दूसरे अच्छे सेटेलमेन्टों में रक्खा जायगा। और आखिर में उसको खेती बारी कालोनी में छोड़ दिया जाये जिसके बाद वह आम लोगों की कालोनी म शरीक हो सके।

७. रिफार्मेटरी जिला जेल इलाहाबाद में रखना चाहिये।

८. सेटेलमेन्टों का प्रबन्ध सरकारी और गैरसरकारी दोनों तरह का होना चाहिये लेकिन इस पर सरकारी निगरानी रक्खी जानी चाहिये। रिफार्मेटरी का प्रबन्ध सरकार द्वारा होना जरूरी है और सेटेलमेन्टों में से कम से कम एक का प्रबन्ध सरकार द्वारा होना

चाहिये। सेटेलमेन्टों का प्रबन्ध केवल एक ही दानशील संस्था के हाथ नहीं सौंपना चाहिये। और अगर दूसरी संस्थायें, जैसे हरिजन सेवक संघ, इस काम को करना चाहे तो उस पर विचार किया जाना चाहिये।

९. जरायम पेशा जातियों की शुद्धि का कोई प्रयत्न न होना चाहिये। लेकिन ऐसे धर्म प्रचारक जो सेटेलमेन्टो में रहनेवाली जरायम पेशा जातियो के ही धर्म के हो अगर स्वय अपनी इच्छा से धार्मिक शिक्षा देना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं।

१०. जरायम पेशा जातियों के अफसर इन्चार्ज को खुफिया विभाग के बदले गवर्नमेन्ट के सदर मुकाम पर रहना चाहिये और उसके आधीन काफी क्लर्क और शासन प्रबन्ध करने के लिये कर्मचारी भी होने चाहियें। जिसमें एक गजटेड आफिसर और ऐसे इन्स्पेक्टर शामिल होंगे जो ६ से ८ तक जिलों के इन्चार्ज हों। आफिसर इन्चार्ज सेटेलमेन्टों और उनके बाहर रहनेवाली जरायम पेशा कौमों के सुधार के लिये जिम्मेदार होगा। वह एक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट होगा। इन्स्पेक्टरो का काम अपने इलाको के जिला में जरायम पेशा जातियों में पचायतों का सगठन और दूसरे सुधार का काम करना और जिले के पुलिस के दफ्तर के जरायम पेशा जातियो के बारे में कागजात की जाचें करना होगा। साराश यह है कि इन्स्पेक्टर विशेषज्ञ होगे। और वे जिला अफसरो के सुधार के काम में और जरायम पेशा जातियो के एक्ट को प्रयोग में लाने में सहायता देंगे।

११. जिन सुधारों की तजवीज की गई है उसमें लगभग एक लाख रुपया सालाना खर्च होगा।

कमेटी की उपरोक्त तजवीजों पर यू० पी० सरकार ने विचार किया और कई तजवीजें मान भी ली गई हैं। अपराधी जातियों के सुधार का प्रबन्ध खुफिया पुलिस विभाग से अलग कर दिया गया है। और सरकार के सदर मुकाम ही पर ले आया गया है। यह दफ्तर रिक्लेमेशन आफिस कहलाता है। रिक्लेमेशन आफिसर इन्डियन पुलिस के अफसर नहीं वरन् प्रान्तीय पुलिस के होते हैं। उस समय रिक्लेमेशन अफसर रायबहादुर चौधरी रिसालसिंह थे। आप अनुभवी अफसर थे और पुलिस के महकमें में भी जरायम पेशा जातियों की देख भाल का काम किया था। गोरखपुर के डोमों की सेटेलमेन्ट का प्रबन्ध हरिजन सेवक संघ को दे दिया गया है जरायम पेशा जातियों की पंचायतों के संगठन का काम भी हो रहा है। सेटेलमेन्टों में भी कुछ सुधार हुये हैं। किन्तु कांग्रेस सरकार के इस्तीफा देने के कारण तथा लड़ाई छिड़ जाने की वजह से कमेटी की अन्य तजवीजों को अमल में नहीं लाया जा सका। आशा है कि अब जब कि लड़ाई समाप्त होगई है इन तजवीजों को अमल में लाया जा सकेगा।

रिक्लेमेशन विभाग १६३६ में स्थापित किया गया था तब से यह विभाग जरायम पेशा जातियों के सुधार तथा हरिजन जातियों के उत्थान के लिये प्रयत्नशील है। यह समझ में नहीं आता कि जरायम पेशा जातियों तथा हरिजन जातियों को एक ही विभाग के अन्तर्गत क्यों रक्खा गया है। कुछ हरिजन जातियों की गणना जरायम पेशा

जातियों में होती है किन्तु अधिकतर हरिजन जातियाँ बिलकुल अपराध नहीं करतीं इसके अलावा बहुत सी जरायम पेशा जातियाँ हरिजन नहीं हैं और कई तो इस बात से रुष्ट हैं कि उनकी गणना हरिजनों में की गई है। जरायम पेशा जातियों तथा हरिजन जातियों की समस्या भिन्न भिन्न हैं और यह अधिक अच्छा होता कि अलग अलग विभाग द्वारा उनका सुधार का काम किया जाता। इस पुस्तक में रिक्लेमेशन डिपार्टमेन्ट के केवल जरायम पेशा जातियों के सुधार के कार्यों का सिंहावलोकन किया गया है।

रायबहादुर चौधरी रिसालसिंह जी इस विभाग के अफसर पांच साल तक रहे। इसलिये जो कुछ कार्य इस विभाग ने इस अरसे में किया है उसकी आप ही की जिम्मेदारी है और आपको ही उसका श्रेय मिलना चाहिये।

जरायम पेशा जातियों को रजिस्ट्री करने तथा उससे माफी देने का काम अभी तक पुलिस विभाग ही के पास है।

सन् १६३६ में श्री वेंकटेशनारायण तिवारी की कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात् जरायम पेशा जातियों के इश्तहार निकालने तथा रजिस्ट्री करने की कार्य प्रणाली में परिवर्तन कर दिया गया। बौरिया, बरवार, और डोमों के अतिरिक्त अन्य जरायम पेशा जातियों के उन्हीं व्यक्तियों के लिये इश्तहार जारी किये गये तथा रजिस्ट्री करने का आदेश दिया गया, जो पेशेवर अपराधी थे जो बार-बार जेल जाते थे।

इश्तहार निकालने और रजिस्ट्री के तरीके में उपरोक्त परिवर्तन के कारण जरायम पेशा जातियों के सुधार की कार्यप्रणाली में दो

प्रकार से पास किया गया। जो जातियाँ अभी तक अपराधी जातियाँ ऐक्ट के अनुसार अपराधी घोषित रही हैं उनके सुधार के लिये सख्त तरीकों की आवश्यकता थी। जिन जातियों पर से अपराधी जाति होने की घोषणा हटा ली गई थी उनके सुधार का कार्य तुलनात्मक रूप से सरल था। किन्तु यह भी इस बात पर निर्भर था कि उनके बसाने के लिये उपयुक्त स्थान मिल सके और वे वहाँ बसने के लिये राजी कर लिये जायँ।

रिक्लेमेशन विभाग के लिये सरकार ने प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित धन खर्च के लिये मंजूर किया।

सन्	धन खर्च के लिये	धन इमारत बनाने इत्यादि के लिये
१६४१	२,५८,६७४ रुपये	६,८६० रुपये
१६४२	२,२७,७७७ रुपये	७,३६० रुपये
१६४३	२,२६,३०० रुपये	६,४१६ रुपये
१६४४	२,६६,२०० रुपये	१२,७०० रुपये
कुल जोड़	६,८४,६५१ रुपये	३६,४३६ रुपये

रिक्लेमेशन अफसर के अतिरिक्त इस विभाग में निम्नलिखित अफसर रहे। १६४० से १६४४ तक इन अफसरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

ग्रुप अफसर	४
पचायतसंगठनकर्ता	१५
कालोनाईजेशन अफसर	१

कुल सूबे की जरायम पेशा जातियों के सुधार के लिये उपरोक्त अफ्सरों की संख्या बेहद कम है।

रिक्लेमेशन विभाग ने जरायम पेशा जातियों के सुधार के लिये निम्नलिखित कार्य प्रणाली पर कार्य किया है।

पचायतों की वृद्धि।

जरायम पेशा जातियों के सुधरे हुए सदस्यों के लिये कॉलोनियाँ बनाना।

३. वर्तमान सेटेलमेन्ट तथा चोरियों की कॉलोनियों में सुधार करना।

पंचायतें

१९४० ई० में पचायतों के संगठन का काम १२ जिलों में प्रारम्भ किया गया था। १९४१ ई० में यह काम मुजफ्फरनगर, उन्नाव, कानपुर और सीतापुर के जिलों में बढ़ा दिया गया। १९४४ ई० तक पचायतों के संगठन का काम केवल १६ जिलों में हो रहा था जहाँ पचायत संगठनकर्ता नियुक्त थे। अन्य जिलों में भी पचायतों का काम जरायम पेशा जाति के सब इन्सपेक्टर की जिम्मेवारी पर किया गया। जिला अफ्सरों की राय है कि ३० जिलों में पचायत का काम अच्छा है। ११ जिलों में अभी तक सन्तोषजनक नहीं है और पाँच जिलों में जरायम पेशा जातियों की संख्या इतनी बिखरी हुई है या इतनी कम है कि पचायतों का संगठन करना सम्भव नहीं है। गढ़वाल और अलमोड़े के जिलों में जरायम पेशा जातियाँ नहीं रहती।

पचायतें ४ प्रकार की हैं—

प्रारम्भिक, ग्रूप, थाना और जिला।

प्रारम्भिक पचायत के सदस्य सभी बालिग व्यक्ति होते हैं और वे अपने म से पाँच पच चुनते हैं और पच अपने में से एक को सरपच चुनते हैं। बैठक हर १५ दिन पर होती है अथवा होनी चाहिये। पचायत, जाति के सामाजिक जीवन का केन्द्र बनने की कोशिश करती है। गाँव के अनुकूल मनोरंजक खेल-कूद और कथाओं और त्योहारों के उत्सव के लिये ऐसा प्रबन्ध करते हैं ताकि वे अधिक दिलचस्प हो सकें। पचायत के सदस्य पचायत के समक्ष अपनी शिकायतें पेश करते हैं और पंचायत उसे दूर करने का प्रयत्न करती है। यदि नहीं कर सकती तो उसे थाना पचायत के पास भेज देती है। प्रारम्भिक पचायत दोषी व्यक्तियों पर पाँच रुपया तक जुर्माना कर सकती है और अच्छे काम करनेवाले को इनाम भी दे सकती है और इन जुर्मानों और इनामों की सार्वजनिक घोषणा भी कर सकती है।

थाना पंचायत

थाना पचायत म भी पाँच व्यक्ति होते हैं। इसके चार व्यक्ति तो प्रारम्भिक पचायतों द्वारा चुने जाते हैं और सरपच उसी थाने का दरोगा होता है। थाना पचायत की भी मीटिंगें तीन महीने में एक बार होती हैं। थाना पंचायत द्वारा लोगों को सुधारने तथा समझाने के लिये भाषण दिया जाता है और यह एलान किया जाता है क

अच्छे चाल-चलनवाले सदस्यों की निगरानी कट जायगी या उन पर कम सख्ती हो जायगी। अच्छे काम के लिये सनदें या इनाम भी थाना पचायतो के द्वारा बाँटा जाता है। सदस्यों की शिकायतों पर भी विचार होता है। जरायम पेशा जातियो के सुधार के लिये शिक्षा, दस्तकारी, उद्योग धन्धों की सुविधा या खेती-बारी की सुविधा भी थाना पचायत दिलाती है।

रिक्लेमेशन विभाग द्वारा पाँच वर्ष के अन्दर यानी १६४० ई० से १६४५ तक २१,६५४ पचायतो का सगठन किया गया है जिसमे १८,७०६ प्रारम्भिक पचायतें हैं, २,५७१ ग्रूप पचायतें हैं और ३७२ थाना पचायतें तथा केवल दो जिला पचायतें हैं। पचायतो के नियमानुकूल जिन जिलों मे पचायत सगठनकर्ता नहीं हैं उन जिलों मे जरायम पेशा जातियों के इन्चार्ज पुलिस सबइन्सपक्टरो पर पचायत के काम की जिम्मेदारी डाल दी गई है। जब तक कि हर जिले मे पचायत सगठनकर्ता नहीं रक्खे जाते तब तक पचायतो की सफलता पुलिस सबइन्सपेक्टरो की दिलचस्पी पर निर्भर है। श्री वेंकटेश नारायण तिवारी की कमेटी ने तजबीज की थी कि सबइन्सपेक्टरों की यह जगह तोड़ दी जाय और उनका काम कान्स्टेबिलों से लिया जाय और पचायत अफ्सर हर जिले म नियुक्त किये जाँय। किन्तु यह तजवीज अभी तक गवर्नमेंट ने लागू नहीं की है। कुछ जिलों से जिनमें पंचायतों का सगठन अच्छा है यह सूचना पुलिस के द्वारा प्राप्त हुई है कि जरायम पेशा जातियों के अपराधों म कुछ कमी हुई है। इन वर्षों मे अन्य विविध अपराधों की सख्या मे प्रान्त भर मे कमी

हुई है इस कारण यह ठीक तौर पर निश्चय नहीं किया जा सकता कि पंचायतों का अपराध कम होने के लिए कितना श्रेय देना चाहिये।

रिक्लेमेशन विभाग की १९४२ की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि कई जिला अफसरों ने पंचायतों की प्रशंसा की है कि उन्होंने १९४२ के अगस्त आन्दोलन के अवसर पर सरकार की सहायता की थी और कुछ कार्य कर्ताओं को गिरफ्तार कराया था तथा रेलवे लाइनों की रक्षा उनकी मारफत कराई गई थी। पंचायतों द्वारा युद्ध सम्बन्धी समाचारों का भी वितरण कराया गया। यह प्रश्नात्मक विषय है कि पंचायतों के सदस्यों से इस प्रकार का काम लिया जाना चाहिए था या नहीं। बलिया जिले से ज्ञात हुआ है कि पंचायतों द्वारा दुसाधों में बहुत सुधार हुआ है। पहिले रजिस्ट्री शुदा दुसाधों की संख्या २२७६ थी किन्तु अब केवल १२२ रह गए हैं। दुसाध खेती बारी करने लगे हैं और शान्ति पूर्वक जीवन बिता रहे हैं। गैर कानूनी शराब बनाना भी कम हो गया है। रसड़ा के मुसहरों ने और नरही थाने के डोमों ने अगस्त आन्दोलन के समय में पुलिस की मदद दी थी।

जौनपुर जिले के जरायम पेशा जातियों ने भी अगस्त आन्दोलन के अवसर पर रेलों की रक्षा का काम किया। एक भर की सूचना पर श्री केशवसिंह जो ग्राम लोहरानी थाना चन्दवक के रहने वाले थे और जिनकी तलाश बहुत दिनों से पुलिस कर रही थी गिरफ्तार किये गये। रामस्वरूप पासी ने जो कनीरपुर गाँव थाना बादशाहपुर का सरपंच है तीन व्यक्तियों को जो नीमापुर रेलवे स्टेशन को दूसरी बार

लूटना चाहते थे पकड़वा दिया और स्टेशन को लूटने से बचा लिया। रिक्लेमेशन अफसर महोदय ने इन लोगों के उचित पुरस्कार के लिये सिफारिश की थी।

अलीगढ़ जिले में भी पंचायतों ने अच्छा काम किया है और वहाँ अपराधों की संख्या में कमी आगई है। मुजफ्फरनगर की बौरिया पचायतों ने १०० मामलों का फैसला किया और अपराधियों के बहिष्कार का आदेश दिया तथा पंचायत के नियमानुसार जुरमाने किये। सीतापुर में पचायतों ने ११ अपराधियों का पता लगाया जो कि अदालतों ` सिपुर्द कर दिये गये। बस्ती जिले मे पंचायतों द्वारा केंचटों के लिए डलिया बनाने का काम शुरू किया गया। करवालों मे मुर्गी और भेड़ों के पालने का कार्य आरम्भ किया गया। गोंडा के खटिक और पासियो का सुधार पचायतों द्वारा संभव बताया गया है किन्तु बरवारों की इससे सुधरने की आशा नहीं की जाती। बिजनौर जिले की भी पचायतों ने अच्छा काम किया है और रजिस्ट्री शुदा नटों की सख्या जो कि १६३८ मे १३५ थी घट कर ५४ आ गई।

कुछ जिलों की जरायम पेशा जातियों के पास खेती के लिये बिलकुल जमीन नहीं है यदि उनके लिये जमीन का प्रबन्ध हो जाय तो वे निस्सन्देह अपराध करना छोड दें। कुछ जरायम पेशा जातियों के सदस्य जेलों के भीतर उपयोगी दस्तकारी सीख कर निकलते हैं, यदि इस बात का प्रबन्ध हो कि जो हुनर उन लोगों ने जेल में सीखा है उसके द्वारा वे बाहर भी जीवन निर्वाह कर सकें तो वे भी अपराध करना छोड़ देवें।

पंचायतों द्वारा उपर्युक्त कार्य कर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। इनके द्वारा जरायम पेशा जातियों के सुधार की आशा की जा सकती है रिक्लेमेशन विभाग की राय है कि उसने १९४३ तक एक लाख उनहत्तर हजार आठ सौ चालीस अवैतनिक कार्यकर्ता पंच और सरपंच तैयार कर लिये हैं किन्तु यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस संख्या में कितने उपयुक्त कार्यकर्ता हैं और कितने केवल नाम मात्र के लिये।

पंचायत समाचार

रिक्लेमेशन विभाग ने १९४१ अगस्त में एक हिन्दी समाचार पत्र निकाला जिसका नाम पंचायत आर्गन था। यह समाचार पत्र इसलिये निकाला गया था कि इसके द्वारा पंचायत संगठन कर्ता सरपंच और पंचों तक विभाग की आज्ञायें तथा आदेशों का ज्ञान हो सके। इसके द्वारा युद्ध सम्बन्धी सही सूचनाओं के पहुँचाने का भी प्रयत्न किया गया था। समाचार पत्र पंचायतों ने खूब पसन्द किया किन्तु वह समाचार पत्र नियमित रूप से प्रकाशित न हो सका। पहिले तो बजट में इसके लिये धन निश्चित नहीं किया गया। १९४३ में केवल एक ही अंक निकल सका। क्योंकि सरकार की अनुमति देर से आई। १९४४ में केवल ६ अंक निकल सके क्योंकि सरकार की अनुमति अगस्त १९४४ में मिली। सरकार ने इस पत्र के लिये केवल ६० रुपये महीने का खर्च स्वीकार किया जिसमें डाक महसूल भी शामिल था। यह रकम बहुत ही कम थी इसलिये समाचार पत्र की उपयोगिता अधिक नहीं बढ़ने पाती।

कॉलिनी बसाने की योजना

१६४० में सरकार ने उपर्युक्त योजना के लिये ४८६४ रुपया स्वीकृत किये। इतनी कम रकम के अन्दर रिक्लेमेशन विभाग कोई बड़ी योजना नहीं बना सकता था। यद्यपि रायबरेली, फर्रुखाबाद, लखनऊ, सहारनपुर, इटावा और इलाहाबाद के जिलों में जमीन मिलने का सुभीता था फिर भी केवल एक ही कॉलोनी अथवा बस्ती बसाई जा सकी। फर्रुखाबाद जिले के तकीपुर ग्राम में दस सुधरे हुये हाबूड़ों को बसाया गया। यह लोग कलियानपुर, जिला कानपुर की जरायम पेशा जाति की सेटेलमेन्ट से लाये गये थे। इस बात का प्रयत्न किया गया कि इन लोगों को समस्त प्रकार की सुविधायें दी जाँय फिर भी वे लोग यह महसूस करते थे कि जो सुविधायें और जीवन निर्वाह के साधन उन्हें सेटेलमेन्ट में प्राप्त थे वे यहाँ प्राप्त नहीं हो सके। रुपया कम होने के कारण मकान बनाने की सुविधा के अतिरिक्त उन्हें और कोई विशेष सहायता न दी जा सकी।

इस नई कॉलोनी के अतिरिक्त मुरादाबाद और फर्रुखाबाद के जिले में सुधरे हुये हाबूड़ों की छोटी छोटी कई कॉलोनियाँ हैं। यह आशा की जाती है कि ऐसी कॉलोनियों की संख्या बढ़ेगी और फिर उनके प्रबन्ध और निरीक्षण का प्रश्न उठेगा। रिक्लेमेशन विभाग के पास केवल एक ही कॉलोनेजिशन अफसर है जो साल भर काम में फंसा रहता है और जिसका मुख्य काम नई कॉलोनियाँ बसाना है। अत्यन्त व्यस्त होने के कारण वह प्रबन्ध और निरीक्षण कार्य ठीक तौर

गे नहीं कर सकता इसलिये इस कार्य के लिये अन्य अफसरों की आवश्यकता है। १६४२ में भी इस कार्य के लिये केवल ८८६४ रुपये सरकार ने स्वीकृत किया। इस साल केवल एक छोटी कॉलोनी बनाई जा सकी। यह रायबरेली जिले के ग्राम अइहर में स्थापित की गई और २८ सुधरे हुये करमाल परिवारों में से जो आर्यनगर लखनऊ की सेटेलमेन्ट में रहते थे केवल चार परिवार वहाँ बसाये जा सके। उस ग्राम के जमींदार ने तीन सौ बीघे जमीन दी है। जो अभी तक खेती के काम में नहीं लाई जाती थी, और पहिले पाँच साल तक लगान न लेने का वचन दिया है। तीस बीघे अच्छी जमीन भी उन्हें दी गई है जिससे वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। सरकार की ओर से उन्हें खेती के लिये बैल, गाड़ियाँ और भूसे इत्यादि का प्रबन्ध कर दिया गया है।

तकीपुर की कॉलोनी में मकानों के सामने चबूतरे बनवा दिये गये हैं और पानी पीने के लिये एक कुआँ खुदवा दिया गया है। १६४२ में केवल पांच कॉलोनियाँ थीं। तकीपुर, अइहर, सतारन, विष्णुनगर, और अलीहसनपुर, नौरिया कॉलोनियाँ इनके अतिरिक्त थीं। कानपुर में जरायम पेशा जातियों की एक मजदूर बस्ती स्थापित करने की भी योजना थी, किन्तु उसके लिये जमीन की समस्या इम्प्रूवमेंट ट्रस्टी से तय नहीं हो सकी।

१६४३ में भी सरकार ने ४८६४ रुपया इस योजना के लिये मंजूर किया। यह रकम कानपुर की मजदूर कॉलोनी के लिये निश्चित कर दी गई थी किन्तु यह योजना इस साल भी कार्यान्वित न हो सकी। क्योंकि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन की शर्तों के सम्बन्ध में निरसा पड़ी

जारी रही, कोई नई कॉलोनी नहीं बसाई गई और पुरानी कॉलोनियाँ ठीक से काम करती रहीं। जो रकम सरकार ने इस मद में देने की स्वीकृति दी थी यह खर्च न की जा सकी।

१६४४ मे सरकार ने इस कार्य के लिये ६७२८ रुपये खर्च के लिये स्वीकृत किये। इस रकम से जरायम पेशा जातियों के सुधरे हुये व्यक्तियों के लिये सेटेलमेन्ट के बाहर क्वार्टर बनवाने का निश्चय किया गया। यह काम पी० डब्लू० डी० को सौंपा गया था किन्तु वे साल भर म भी यह काम प्रारम्भ न कर सके और रकम फिर सरकार को वापस लौटा दी गई।

जरायम पेशा जातिया के सुधरे हुये व्यक्तियों की कॉलोनियाँ परम आवश्यक हैं। प्रत्येक जिले के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस हर साल तजवीज करते हैं कि उनके जिले के जरायम पेशा जातियों के उद्दन्ड व्यक्तियों को सेटेलमेन्ट म भरती कर दिया जाय। किन्तु सेटेलमेन्ट म बिलकुल स्थान नहीं है। परिणाम यह होता है कि उद्दन्ड व्यक्तियों को उसमें भरती नहीं किया जा सकता और उद्दन्ड व्यक्ति अधिक दिलेर होकर अपराध करते हैं और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की धमकी को कोरी धमकी ही समझते हैं, दूसरी ओर जो व्यक्ति सेटलमेन्ट म भरती किये गये हैं अपना चाल चलन चाहे जितना सुधार लें वहाँ से निकलने की आशा ही नहीं कर सकते। इस लिये जब वहाँ से बाहर निकलना सम्भव ही नहीं है तो सुधार करने की प्रेरणा ही क्या रह जाती है। इस कारण जरायम पेशा जातियों के सुधरे हुये व्यक्तियों के बसाने के लिये कॉलोनियों को स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है।

बौरिया कॉलोनी

भिनभिना, जिला मुजफ्फरनगर में सन् १८८३ में बौरिया के लिये कॉलोनी बनाई गई थी। बौरिया दुनिया भर में सबसे चतुर चोर माने जाते हैं। बौरिया को सब तरह से सुधारने की चेष्टा की गई किन्तु सभी प्रयत्न विफल हुये। पहिली जनवरी १६४१ को बौरिया कॉलोनी की जन-संख्या जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी थी ७७३ थी। एक साल के भीतर १२ की मृत्यु हो गयी, मान का अन्य स्थानों को तबादला हो गया, ३५ आदमियों की नई रजिस्ट्री हुई और पांच अन्य सेटेलमेन्टों से आये। पहिली जनवरी १६४२ को रजिस्ट्री शुदा बौरियों की संख्या ७८६ थी। जिसमें ५०१ उपस्थित थे, २३६ जिनमें पांच औरतें भी शामिल थीं भगे हुये थे और ५६ जेल में थे। रजिस्ट्री और गैर रजिस्ट्री शुदा जन-संख्या १६३१ थी। १६४१ के शुरू साल में सरकार ने घोषणा की थी कि जो बौरिये फरार हैं यदि वे हाजिर हो जायेंगे तो उन्हें कोई सजा नहीं दी जायेगी, इसके परिणामस्वरूप १६७ फरार बौरिये हाजिर हो गये। ६० बौरिये १६४१ में फरार हो गये जिसमें १४ ने अपने को पेश कर दिया और ८ पकड़े गये। एक एक करके सन् ४२ तक ३८ बौरिये फरार होगये जिनमें २६ सिंधीवाल और ११ देहलीवाल थे।

३१ दिसम्बर सन् ४२ को बौरिया कॉलोनी की रजिस्ट्री शुदा जन संख्या ८५२ थी। साल भर में ५५ बढ़ गई जिसका कारण केवल नई

रजिस्ट्रियाँ ही थीं। ८५१ में २४८ सिंधीवाल बौरिये थे, शेष देहलीवाल थे। ३०२ बौरिये फरार थे जिसमें १६५ सिंधीवाल बौरिये थे। १६४३ के अन्त में बौरिया कॉलोनी की जन-सख्या २१६७ थी जिसमे ८३४ रजिस्ट्रीशुदा और १३६३ गैर रजिस्ट्रीशुदा थे। २६१ सिंधीवाल बौरिये रजिस्ट्रीशुदा थे। शेष दिल्लीवाल थे। ३०६ बौरिये फरार थे जिनमे २४८ सिंधीवाल थे।

१६४४ के अन्त में बौरिया कालोनी की जन-सख्या २२२२ थी। इसमें ८२५ व्यक्ति रजिस्ट्रीशुदा थे १४६७ गैर रजिस्ट्रीशुदा थे। रजिस्ट्रीशुदा व्यक्तियों में २६१ सिंधीवाल थे और शेष दिल्लीवाल थे। कुल फरार व्यक्तियों की सख्या ३०७ थी जिसमे २४८ सिंधीवाल थे।

इस कॉलोनी में दो प्रकार के बौरिये रहते हैं एक सिंधीवाल और दूसरे देहलीवाल। दोनों अपने को चित्तौर के राजपूतो का वशज बताते हैं। जब १३०५ में चित्तौर का पतन हुआ और राजपूतों की शक्ति का ह्रास हुआ तभी से इन लोगों का भी पतन हुआ। यह लोग चित्तौर से भाग खडे हुये। कुछ लोग सिंध मे जाकर बसे और सिंधीवाल बौरिये कहलाये जो लोग दिल्ली की ओर भागे और वहाँ जाकर बस गये वे लोग दिल्लीवाल कहलाये। दिल्लीवाल बौरियों ने अपराध करने शुरू कर दिये। इसी की रोकथाम करने के लिये पहले चिटौली और फिर भिनभिना जिला मुजफ्फरनगर में १८६३ में इनकी कॉलोनी बसाई गई। सिंधीवाल सिंध मे रहते थे अपना घर वहीं पर बसा लिया था और अपने परिवार को वहीं रखते थे। अपने प्रान्त में शान्तिपूर्वक रहते थे, किन्तु आसपास के प्रान्त और रिया-

गतों में ग्रा अपराध करते थे। जब कभी यह लोग पकड़े जाते थे तो अपना असली पता नहीं बताते थे, बल्कि अपना पता भिनभिना जिला मुजफ्फरनगर का बता देते थे। इस कारण इनकी रजिस्ट्री सिंध में नहीं हो पाती थी और यहाँ ये लोग अपने ही परिवार के साथ शान्ति और सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने इनके बयान की पूरी पूरी तरह से जाँच नहीं की, वरन् इन सिंधीवाल बौरियों की अपने जिले में रजिस्ट्री करना शुरू कर दी। इन सिंधीवाल बौरियों की सख्या शुरू में बहुत थोड़ी थी किन्तु बाद को बहुत बढ़ गई और अन्त में उन व्यक्तियों में जो कॉलोनी से फरार थे अधिकतर सख्या सिंधीवाल बौरियों की हो गई। सिंधीवाल बौरियों की यह चाल थी। वे लोग जेल से छूटकर या वैसे ही मुजफ्फरनगर जिले में आते थे और कुछ दिन यहाँ रहकर अपने सबूनत की तसदीक कराकर भाग जाते थे और फिर अपने परिवारों के साथ सिंध में ही रहते थे। सिंधीवाल बौरियों की इस चालाकी को चौधरी रिसालसिंह साहब ने १९३६ में पकड़ा। उनको सरकार ने बौरियों के सम्बन्ध में पूरी जाँच करने सिंध और कई प्रान्तों में भेजा था। किन्तु सिंध की सरकार सिंधीवाल बौरियों को न तो सिंध का रहनेवाला मानती थी और न उनकी समस्या ही हल करने को तैयार थी। अगस्त १९४३ ई० में रायबहादुर रिसालसिंह जी को बौरियों के सम्बन्ध में जाँच करने के लिये फिर सिंध भेजा गया। अपने सूबे की सरकार चाहती थी कि सिंध में बसनेवाले सिंधीवाल बौरियों की जिम्मेदारी सिंध सरकार ले और उनको अपराध करने से रोके। सिंध सरकार

क खुफिया पुलिस की सहायता से काम किया गया तो १३ फरार सिन्धीवाल बौरिये अपने परिवारों के पास गिरफ्तार किये गये। ८ सिंधीवाल बौरियों को ले लेने के लिए सिंध सरकार को लिखा गया और वे उनमें से ६ को ले लेने के लिये सहमत हो गये। उन्होंने इस सिद्धान्त को भी मान लिया कि जिन सिंधीवाल बौरियों का जन्म स्थान सिंध है उनकी देखभाल सिंध सरकार करे सधीवाल बौरियों की जटिल समस्या इस प्रकार हल की गई। रिक्लेमेशन विभाग अब इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि कितने सिंधीवाल बौरिये मुजफ्फर-नगर में बसने दिये जाँय और कितनों को सिंध भेज दिया जाय।

१८६३ ई० से जब कि मुजफ्फरनगर जिले के भिन्न भिन्न ग्रामों में बौरियों की कॉलोनियाँ खोली गई थीं तब से अब तक बौरियों ने बहुत तंग किया है। इस सूबे और आस-पास के सूबे में अनगिनती अपराध,

न के सुधार तथा इनको दबाने और बस में लाने के जितने प्रयत्न किये गये हैं सब निष्फल रहे। इन्स्पेक्टर जेनरल पुलिस का विचार था कि बौरियों की समस्या सौ साल के भीतर भी हल नहीं हो सकती है और न उसके सुधारने की आशा ही की जाती थी। उनका मत था कि बौरियों को काला पानी भेजना पड़ेगा और तभी यह समस्या हल हो सकेगी, रिक्लेमेशन विभाग ने बौरियों के सुधारने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें आशा की सफलता भी मिली। कॉलोनी वालों को खेती करने के लिये जमीनें दी गईं। शिक्षा की व्यवस्था की गई। उद्योग धन्धों को स्थापित किया गया और अन्य प्रान्तों की सहायता से बौरियों का भागना रोका गया इस सबका

परिणाम अच्छा रहा। नौरिया कॉलोनी की पंचायतें शक्तिशाली पंचायतें हैं। ये नौरियों को अपराध करने और भागने से रोकती हैं। नौरियों की पंचायत प्रान्त भर में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और उसे तीन साल लगातार प्रान्तीय शील्ड इनाम में मिली। १६४४ ई० भर में नौरियों ने कॉलोनी या उसके आस पास कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया जिसमें पुलिस जाँच करती। जो तीस फरार व्यक्ति थे वे सब कॉलोनी में वापस आये। नौरिया कॉलोनी सुधार के लिये जो कार्य रिक्लेमेशन विभाग ने किया है वह वस्तुत प्रशंसनीय है।

१६४१ ई० में नौरियों के ६ परिवार उद्दंड थे वे कल्यानपुर सेटेल मेन्ट को भेज दिये गये। इससे अन्य परिवारों पर बहुत अच्छा असर पड़ा।

नौरिया कालोनी में रहने वालों का मुख्य उद्यम खेती-बारी है यद्यपि थोड़े नौरिये उद्योग धन्धों में भी लगे हुये हैं। कुछ लोग मजदूरी करके जीवन निर्वाह करते हैं। १६४१ ई० में ५ व्यक्ति मूँढा, दरी, और कपड़ा बनाने के काम म मजदूरी करते थे और एक हजार बीघे जमीन जगल काट कर खेती करने के काम में लाई गई। जमीन अब भी कम है। रगना क जमींदारों का ढाक का जगल मागा जा रहा है।

१६४२ ई० की रिपोर्ट से पता चलता है कि नौरिया कॉलोनी में पुरुषों की सख्या ८०६ थी। किन्तु केवल ३०२ पुरुष खेती के काम में लगे हुये थे। ५०४ नौरियों के पास जमीन नहीं थी। इनमें से २०० ऐसे हैं जिनके लौटने की आशा नहीं है। वे या तो फरार हैं या मर गये

हैं। २५ व्यक्तियों ने साझे में खेती करना शुरू कर दिया है। इस लिये १३० व्यक्तियों के लिये जमीन या अन्य कोई स्थायी उद्योग धन्धा चाहिये। जिससे वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें और इसी समस्या को हल करने के लिये रगना के जगल को सरकार की ओर से ले लेने पर विचार किया जा रहा था। किन्तु १६४३ में मुजफ्फरनगर के जिला अफ्सर ने इस जगल के लेने के प्रश्न को समाप्त कर दिया। १६४३ मे २२५३ बीघा जमीन खेती के लिये बौरिया कॉलोनी ने तैयार की। ७५५ बीघा जमीन जो पर्ती पड़ी हुई थी उसे बौरियों ने खेती के योग्य बना लिया। ७६८ मे से ३५० व्यक्ति खेती के काम मे लगे हुये थे। अतिरिक्त जमीन की बहुत आवश्यकता थी और रिक्लेमेशन विभाग इस बात की तजवीज कर रहा था कि रगना का जगल कॉलोनी के लिये ले लिया जाय।

खेती के लिये बौरिया कॉलोनी मे पानी नहर से आता था, किन्तु वह पानी कम पड़ता था। इसलिये सरकार ने पाच हजार रुपये की मजूर कुओं खोदने के लिये दी थी। १६४२ मे कुयें न खुद सके। १६४३ में जमींदारो की मदद से कुयें खोदने का प्रयत्न किया गया, किन्तु आवश्यक वस्तुओं के अभाव से काम बद कर देना पड़ा। १६४४ की रिपोर्ट से पता नहीं चलता कि ये कुयें बने या नहीं। किन्तु यह पता चलता है कि नहर विभाग के इजीनियर ने पानी की कठिनाई को हल करने मे बहुत मदद दी और रिक्लेमेशन विभाग इस प्रयत्न मे है कि बौरिया कॉलोनी में एक ट्यूब वेल बनवा लें।

शिक्षा

बौरिया कॉलोनी में पांच स्कूल हैं। एक मिडिल स्कूल, एक अपर प्राइमरी स्कूल और तीन लोअर प्राइमरी स्कूल। इन स्कूलों में २०० विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। मिडिल स्कूल जुलाई १६४३ में बौरिया पंचायत ने स्थापित किया था। उसे आशा थी कि सरकार इस स्कूल की सहायता करेगी किन्तु अभी तक सरकार ने सहायता नहीं दी है और रुपये की कमी के कारण स्कूल बन्द हो जाने की आशंका है।

पंचायतें

बौरिया पंचायतों का पहिले भी थोड़ा वर्णन हो चुका है। इस समय सात पंचायतें हैं। इनमें से ६ जीवन सुधार सभा के नियमानुकूल रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी के यहाँ रजिस्टर हो चुकी हैं। यह पंचायतें सुधार का बहुत अच्छा काम कर रही हैं। १६४३ में पंचायतों ने ६८ मुकदमों का निर्णय किया और ४६५ रु० १२ आ० जुरमाना वसूल किया। यह जुरमाना उन लोगों से वसूल किया गया जिन्होंने चोरी की थी या फरार कैदियों को शरण दी थी। पंचायतों द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जो व्यक्ति अपराध करते हैं उनसे घृणा की जाये। उनको इस कारण दंड दिया जाता है जिससे उन्हें मालूम हो कि पंचायत और बिरादरी में अब अपराध करने वालों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा।

बौरिया पंचायत ने दो उल्लेखनीय कार्य किये हैं। एक तो बौरिया स्त्रियों का भिनभिना जाना रोक दिया है। यह स्त्रियां भिनभिना

जाकर बदमाश व्यक्तियों से मिलती थी। दूसरा यह कि बौरिया स्त्रियाँ उस पुरुष को तलाक दे देती हैं जो अपराध करके कम धन लाता था और उन बौरियों के पास चली जाती थीं जो अपराध करके अधिक धन लाते थे और स्त्रियों को अधिक सुखी रखते थे। पंचायत ने इस प्रथा का अन्त कर दिया है।

बौरिया कॉलोनी में अन्य सुधार

१६४१ ई० में ७६७४ रुपया खर्च करके दो कुयें डेरा शीशा और डेरा ब्रालियान नामक गाँव में बनाये गये। ग्राम उद्योगों की उन्नति में १५४० रुपये खर्च किये गये। एक हजार रुपये के लगभग निर्धन और अपाहिज बौरियों को खाने और कपड़े की सहायता में, विद्यार्थियों की पुस्तकें तथा खेल के सामान में, पचों को इनाम देने में, बैन्ड मास्टर का वेतन, बेन्ड वालों को वर्दियाँ प्रदान करने में व्यय किया गया। विवाह उत्सवों में बैन्ड वाली पार्टी बाजा बजाती है।

बौरिया कॉलोनी में एक सबइन्स्पेक्टर पुलिस, ३ कानेस्टेबिल जो क्लर्क का काम करते हैं, एक मातहत अफसर और गारद के कानस्टेबिल रहते थे। १६४१ ई० में रिक्लेमेशन विभाग ने तजवीज की थी कि सबइन्स्पेक्टर की जगह तोड़ दी जाय और उसके स्थान पर एक मैनेजर की नियुक्ति की जाये। जो कि रिक्लेमेशन विभाग ही के मातहत हो। यह भी सिफारिश की गई थी कि सबइन्स्पेक्टर महोदय ही इस स्थान पर नियुक्त कर दिये जायें क्योंकि उन्होंने बौरिया कॉलोनी में अच्छा काम किया था। आशा है कि यह तजवीजें कार्यान्वित हो

गई होंगी। चौरिया कौलोनी कई गावों का एक समूह है इसकी देख-भाल और निगरानी के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है। सिपाहियों इत्यादि के लिये क्वार्टरों की भी आवश्यकता है और सबसे अधिक आवश्यकता है ज़मीन की। क्योंकि यदि जीवन निर्वाह के लिए औरियों को ज़मीन नहीं मिलती तो उनसे आशा करना व्यर्थ है कि वह अपराध न करेंगे।

सेटेलमेन्ट

अपराधी जातियों के कानून के अन्तर्गत सरकार को अधिकार है कि वह सेटेलमेन्ट बनावे और उसमें उदंड जरायम पेशा जातियों के रहने का आदेश दे। इस प्रकार के सेटेलमेन्ट अपने सूबे में १६१३ में स्थापित किये गये थे। इनका प्रबन्ध मुक्त फ़ौजियों के आधीन रक्खा गया था। संयुक्तप्रान्त की १६३१ ई० की जन-गणना रिपोर्ट के ६०७ सफे पर प्रान्त के जरायम पेशा जातियों के ६ सेटेलमेन्ट पर एक लेख है उससे पता चलता है कि १६३१ में अपने सूबे में केवल सेटेलमेन्ट थे। इनमें सिर्फ एक सेटेलमेन्ट का प्रबन्ध सरकार के हाथ में था। यह सेटेलमेन्ट कानपुर फ़र्रुखाबाद रोड पर कानपुर से सात मील की दूरी पर बसा था। पाच सेटेलमेन्ट जो बरेली, गोरखपुर, फ़ज़लपुर, कोच, दोनों मुरादाबाद ज़िले में हैं और साहबगंज ज़िला खीरी में हैं। इनका प्रबन्ध मुक्त फौज करती है। नवम्बर १६३१ ई० में एक सेटेलमेन्ट आर्यनगर ज़िला लखनऊ में खोला गया था और उसका प्रबन्ध आर्य प्रतिनिधि सभा करती थी।

कल्यानपुर सेटेलमेन्ट में १६३१ ई० में १२० परिवार थे जो निम्नलिखित जातियों के थे :—

जाति	उपस्थिति	फरार	जेल में	छुट्टी पर	कुल जोड़
हाबूड़ा	२८५	१८	३	२	३०८
भातू	१५४	२२	२५	४५	२४६
कजड़	८१	३०	१	५३	१६५
करवाल	६७	१८	१३	२५	१२३
अहेड़िया	६८	२	१	१	१०२
डोम	०	१	०	२	३
कुल जोड़	६८५	६१	४५	१२६	६४७

हाबूड़े पुरानी मेस्टन गंज सेटेलमेन्ट से कानपुर लाये गये थे। यह लोग कानपुर की मिल में काम करते थे। जब भातू कल्यानपुर की सेटेलमेन्ट में लाये गये तो इनके लिये काम ढूँढने की कठिनाई पड़ी। १६२२ म पुलिस मुहकमे की वर्दी की सिलाई का काम मिला। कुछ जमीन भी सेटेलमेन्ट के लिये मिली जिससे कुछ लोग खेती के काम में लगा दिये गये। कपड़े की बुनाई का काम शुरू किया गया था किन्तु उन दिनों बाहर के माल के मुकाबले के कारण सेटेलमन्ट का कपड़ा कठिनाई से बिक पाता था। बढ़ईगीरी का काम और मुर्गी पालने का काम शुरू किया गया। किन्तु असफलता क कारण बन्द करना पड़ा। बुड्ढों और अपाहिजों के लिये रस्सी बटने का कार्य शुरू किया गया। १६२७ म कुछ और जमीन सरकार द्वारा मिली और कुछ और परिवारों को बाँट दी गई।

१६३१ ई० में कल्यानपुर सेटेलमेन्ट के रहने वालों से इस प्रकार काम लिया जाता था :—

कानपुर के मिलों में,	५४
सेटेलमेन्ट के दर्ज़ीख़ाने में,	११६
,, कपड़े की बुनाई में,	१७
,, खेती बारी में,	७५
,, की नौकरी में,	६
कुल जोड़	२७१

इन लोगों की आय इस प्रकार थी :—

जाति	औसत माहवारी आय								
	परिवार के अनुसार			बालिग़ व्यक्तियों के अनुसार			काम करनेवाले के अनुसार		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
भातू	१५	१५	६	६	१३	३	८,	१२	६
हाबूड़ा	१७	१३	०	७	१०	०	६	१४	५
कंजड़	४	७	१	३	६	६	३	१२	१०
अहेड़िया	५	१५	३	३	२	८	४	१४	११
करवाल	५	०	११	३	१३	७	४	६	१०

आर्यनगर सेटेलमेंट

यह सेटेलमेंट १६२६ में खोली गई थी। इसके प्रबन्ध के लिये कल्यानपुर सेटेलमेन्ट से एक अनुभवी व्यक्ति मेनेजर बनाकर भेजे गये थे। १६३१ में इसकी इमारतें बन रही थीं। यह आशा की जाती थी कि तैयार हो जाने पर यह एक उदाहरणीय सेटेलमेंट होगी। उस समय इसमें ३०० व्यक्तियों के लिये स्थान था और २२६ व्यक्ति रहते थे यह भी खेती-बारी का सेटेलमेंट था और ६२ एकड़ भूमि जिसकी सिचाई नहर से हो सकती थी इस सेटेलमेन्ट को दे दी गई थी। दरी बुनने के कारखाने का भी श्रीगणेश हो चुका था।

जो व्यक्ति अपना चाल चलन सुधार लेते थे, उन्हें सेटेलमेन्ट से बाहर जाने की आज्ञा मिल जाती थी। १६२१ से १६३१ तक कल्यान-पुर सेटेलमेंट से ३० व्यक्तियों को बाहर जाने की आज्ञा मिली। केवल एक को सेटेलमेंट वापस आना पड़ा और शेष २६ के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं आई। १६२६ में फजलपुर सेटेलमेंट से ६४ व्यक्ति छोड़े गये और उन्हें गाँव में रहने तथा खेती बारी करने की आज्ञा मिल गई थी किन्तु सेटेलमेंट के बाहर जाकर उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसके लिये वे तैयार न थे और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से सेटेलमेंट में वापस आना पसन्द किया।

१६२१ के एक सरकारी बयान से ज्ञात होता है कि मुक्ति फौज की निम्नलिखित सेटेलमेंटें थीं—

१. नजीबाबाद — पथरगढ़ किला बिजनौर, जिला
२. गजाबाद — जिला बरेली
३. आगापुर — पाँट जिला मुरादाबाद
४. फ्रानपुर — जिला मुरादाबाद
५. जौनपुर — फतेहपुर जाफरपुर गोरखपुर
६. मेटलगंज — कानपुर
७. फूलपुर हरा — इलाहाबाद
८. भरा हरा — जिला कानपुर

सरकारी सेटेलमेंट पेशा कल्यानपुर में ही थी। मनेल रिपोर्ट में मेजर बी० सी० डब्लू मेरी ने जो कल्यानपुर सेटेलमेंट के मैनेजर हैं और मुक्ति फौज से सम्बन्धित हैं एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने वर्णन किया था कि सेटेलमेंटों को जमाने के लिये बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। १६२५ ई० में जब सुल्ताना डाकू पकड़ा गया और उसके दल के भातुओं को बरेली सेटेलमेंट में रखने की व्यवस्था की गई तो भातुओं से प्रायः रोज ही झगड़ा होता था और ऐसा प्रतीत होता था कि भातू सेटेलमेंट में नहीं रहेंगे। किन्तु धीरे धीरे मामला सुलझ गया और भातू सेटेलमेंट में शान्तिपूर्वक रहने लगे।

रिक्लेमेशन विभाग की १६४४ की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रान्त में जरायम पेशा जातियों के लिये ६ सेटेलमेंट हैं।

१६३१ तक कल्यानपुर के सेटेलमेंट के बसनेवालों को कपड़े

सिलाई, कपड़ा बुनना, रस्सी बनना और खेती-बारी का काम सिखाया गया। हाबूड़ा और प्राटेडिया अच्छी किसानी कर सकते थे। किसी काम म उनका मन नहीं लगता था। उन दिनों कल्यानपुर सेटेलमेंट का एक स्कूल था जिसमें लड़कियों और लड़कों को शिक्षा दी जाती थी।

मुक्ति फ़ौज को सेंटेलमेंट

यू० पी० की १६३१ की जन गणना की रिपोर्ट में मुक्ति फौज की सेटेलमेंट में १६२१ और १६३१ म रहनेवाली जरायम पेशा जातियों के निम्ननिखित आँकड़े दिये हैं—

जाति	१६२१	१६३१
भातू	७८६	१२२७
करवाल	०	१७६
हबूड़ा	५३६	६२५
कंजड़	०	२७
डोम	८२२	७३६
सॉसिया	१८३	२६४
बरवार	२	३
अहीर	०	१
दलेरा	३	१
	२३४१	३०१३

उपरोक्त आँकड़ों से पता चलता है कि १६३१ में मुक्ति फौज के सेटेलमेंटों की जनसंख्या १६२१ से ८६ फीसदी बढ़ गई और तीन जातियों को सेटेलमेंटों में भर्ती किया गया। यहाँ भी सेटेलमेंट में पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया गया था। बहुत से लड़के यहाँ के स्कूल से शिक्षा पाकर आगे की पढ़ाई पढ़ रहे थे। जवान लोग पढ़ाई में अधिक दिलचस्पी लेते थे। यहाँ पर स्त्री पुरुषों और बालकों को तरह-तरह के उद्यम तथा उद्योग धन्धे जैसे करघा, डलिया बनाना, मूँजका फर्श बुनना, दरी, कालीन, निवाड़ बनाना, मुर्गी पालना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का काम और खेतीबारी सिखाई जाती थी। कुछ व्यक्तियों को मोटर चलाना तेल का इन्जन चलाना, बिजली का काम, बढ़ई का काम, पढ़ाई का काम और दाईगीरी सिखाई गई थी। बहुत से लोग सेटेलमेंट के अन्दर रहकर और बहुत से बाहर रहकर अपना जीवन निर्वाह बखूबी कर लेते थे।

१.	फजलपुर	जिला मुरादाबाद
२.	काथ	जिला मुरादाबाद
३.	साहबगंज	जिला खीरी
४.	आर्यनगर	जिला लखनऊ
५.	गोरखपुर	
६.	कल्यानपुर	जिला कानपुर

इन छः सेटेलमेंटों में से प्रथम तीन सेटेलमेंटों का प्रबन्ध मुक्ति फौज के आधीन था आर्यनगर सेटेलमेंट का प्रबन्ध आर्य प्रतिनिधि सभा

गोरखपुर सेटेलमेंट का प्रबन्ध हरिजन सेवक सघ द्वारा होता था । कल्यानपुर सेटेलमेंट का प्रबन्ध सरकार द्वारा होता है ।

इन सेटेलमेंटों में निम्न लिखित जातियों के लोग रहते हैं :—

१. भातू	२. कन्ञड	३. सासिया
४. हाबूडा	५. बौरिया	६. अहेडिया
७. करवाल	८. डोम	९. कुचबन्ध

इन सेटेलमेंटों की जन सख्या निम्न प्रकार है —

	उपस्थित				अनुपस्थित			
नाम सेटेलमेंट	पुरुष	स्त्री	बच्चे	जोड	पुरुष	स्त्री	बच्चे	जोड
गोरखपुर	४९	९२	९६	२३७	११८	६४	६४	२४८
आर्यनगर	६८	७१	१५०	२८६	३२	८	१०	५०
काट	३३	३७	७८	१४८	१४	१०	२	२६
साहबगज	६२	४९	८८	२००	४	५	१	१०
फजलपुर	१४१	१४१	५५५	८३७	१६२	९०	६१	३१३
कल्यानपुर	१६६	१५१	३८३	७००	९२	५५	८५	२३१
	५२०	५४१	१३५०	२४११	४२२	२३२	२२३	८७७

सेटेलमटों के अन्दर की आबादी ३२८८ है, सूबे में रजिस्ट्री शुदा जरायम पेशा जातियों की सख्या ३५६१५ है । और कुल सख्या लाखों की तादाद में है उपरोक्त आकड़ा से ज्ञात हो जाता है कि कितने कम व्यक्तियों का सेटेलमेंट द्वारा सुधार हो सका है इससे

यह भी पता चलता है कि यू० में सेटेलमेंटों की कितनी कमी है, । इसके अतिरिक्त सेटेलमेंटों में बहुत भीड़ है और इस कारण जरायम पेशा जातियों के बहुत से उद्दण्ड व्यक्ति सेटेलमेंटों में भर्ती नहीं किये जा सकते जिसकी सिफारिश बहुत दिनों से जिला अफसर और पुलिस अधिकारी कर रहे हैं इसका कारण यह हो रहा है कि जरायम पेशा जातियों के दिल से सेटेलमेंटों का डर निकलता जा रहा है। दूसरी ओर चूँकि जरायम पेशा जातियों के सुधरे हुये व्यक्तियों के लिये कौलोनियों का समुचित प्रबन्ध नहीं है। कौलोनियों को स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि यदि एक सुधरा हुआ व्यक्ति सेटेलमेंट से कालोनी को जाता है तो वह सेटेलमेन्ट में एक उद्दण्ड व्यक्ति रखने के लिये स्थान रिक्त करता है।

साहनगर और काँट के सेटेलमेन्ट के रहने वाले व्यक्ति केवल खेती बारी करते हैं फजलपुर में फौजी अस्पताल बन गया है और इस कारण वहाँ के ११ परिवारों को काँट के सेटेलमेन्ट को भेज दिया गया है। और काँट में भूमि का फिर से वितरण कर दिया गया है।

आर्यनगर के सेटेलमेन्ट में भी मुख्यतः खेती बारी होती है। किन्तु इस सेटेलमेन्ट के साथ जो भूमि है वह रहने वालों की संख्या के अनुपात से बहुत ही कम है। इस सेटेलमेन्ट के साथ ३२० बीघे जमीन है। जो कृषि विभाग के इन्स्पेक्टर के अनुमान से केवल सोलह परिवारों के लिए ही पर्याप्त है। किन्तु सेटेलमेन्ट में बेकारी रोकने के लिये यही भूमि अधिक परिवारों में विभाजित कर दी गई है। इस सेटेलमेन्ट में खेती कोआपरेटिव सहकारिता ढंग से आरम्भ की गई

थी किन्तु वह असफल रही और इसीलिये अब प्रत्येक परिवार पृथक २ खेती करता है। कपड़ा बुनाई का काम भी थोड़ा बहुत यहाँ होता है और जिसके कारण कुछ लोगों को काम मिला हुआ है। सेटेलमेंट को बिना सूद के पाँच हजार रुपये उधार दिये गये हैं। जिसमे ४७४६ रु० अभी बाकी हैं। इसके अलावा एक हजार रु० स्थाई एडवान्स का भी है। सेटेलमेन्ट के शेष आदमी लखनऊ के मिलों मे आकस्मिक मजदूरी के लिये भेज दिये जाते हैं।

गोरखपुर सेटेलमेन्ट के निवासी खास तौर से डोम है। और गोरखपुर म्यूनिसिपलटी म महतर क काम पर नौकर हैं। ७१ डोम पौज की नौकरी करने लगे हैं। इस काम को वे लोग दो वर्ष से लगातार ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हैं और इसलिए यह विचार किया जा रहा है कि जरायम पेशा जातियो के कानून के कुछ प्रतिबन्धों से इनको मुक्त कर दें।

फजलपुर और कल्यानपुर के सेटेलमेन्टो के अधिकतर व्यक्ति उद्योग धन्धो म लगे हुये हैं फिर भी कुछ लोगो के लिये काम की आवश्यकता है।

फजलपुर सेटेलमेन्ट के सुपरिन्टेन्डेन्ट और पुलिस वालों के आपसी मन मुटाव के कारण सेटेलमेन्ट म रहने वाले भातुओं ने फिर से अपराध करना शुरू कर दिया था। जाच करने पर पता चला कि मन मुटाव इस कारण था कि पुलिस अफसर की जगह तोड दी गई थी। यह जगह बहाल कर दी गई है तब से सेटलमेन्ट मे इस अफसर की नियुक्ति हो गई है और जिसका काम सेटेलमेन्ट के मैनेजर और

पुलिस से सम्बन्ध स्थापित करने का है। परिस्थिति बहुत कुछ सुधर गई है।

१९४४ ई० में सेटेलमेन्टों की और हानि का हिसाब इस प्रकार था।

सेटेलमेंट	रजिस्टर्ड	जन गैर रजिस्टर्ड	खरचा लाभ	हानि
फनगपुर	५३४	६१६	२३,७५०—१४—१	
कांट	८३	९१	१९३—१५—०	
साहबगंज	७०	१४४	१९— ४—६	
आर्यनगर	१४६	१९३	४५३— १—२	
कल्यानपुर	४६४	४६८	२७,९५२—१३-११	
गोरखपुर	३२३	१६०	४६६— ०—३	

कल्यानपुर में अधिकतर लोग दर्जीगीरी करने लगे हैं। प्रत्येक मजदूर को जिसमें बच्चे भी शामिल हैं औसतन ५ रु० ७ आ० प्रति मास मिलता है। मिल में काम करने वालों की मजदूरी बहुत ही अच्छी रही कुछ लोग तो १०० रु० माहवार से अधिक कमाते थे। सबसे कम कमाने वालों की आमदनी ३० रु० ७ आ० थी और औसत आमदनी ४० रु० थी जबकि १९३९ ई० में यह आंकड़े ९ रु० और २६ रु० ७ आ० क्रमशः थे। २१, १२, १९४४ ई० को ९८ आदमी सेटेलमेंट के मिल में काम करते थे लारी के टूट जाने के कारण मिल में काम करने वालों को समय पर पहुँचने में कठिनाई

हो गई थी किन्तु अब नई लारी खरीद ली गई है और जैसे ही पेट्रोल मिलने लगेगा यह कठिनाई भी हल हो जायेगी। बहुत से मिल मजदूर निजी साइकिल रखने लगे हैं और उसी पर मिल आते हैं।

गवर्नमेंट ने कानपुर मजदूर बस्ती बनाने की स्वीकृति दे दी है। इस बस्ती में जरायम पेशा जातियों के व्यक्ति रहेंगे जो मिलों में काम करते हैं। पी० डब्ल्यू० डी० ने क्वार्टरों के बनाने का काम अभी शुरु नहीं किया क्वार्टरों के न बनने से मिल मजदूर और मिल मालिक दोनों को दिक्कत उठानी पड़ रही हैं मजदूरों को कल्यानपुर से कानपुर और कानपुर से कल्यानपुर रोज आना जाना पड़ता है और यदि उन्हें इस रास्ते में अपराध करने का कोई अवसर मिल जाता है तो वे प्रलोभन में पड़ जाते हैं और अपराध कर बैठते हैं।

शिक्षा

प्रत्येक सेटेलमेंट में शिक्षा का प्रबन्ध है और हर एक सेटेलमेंट में प्रारम्भिक पाठशालायें हैं। जरायम पेशा जातियों के बच्चों को जुर्म करने से बचाने का सबसे सरल तरीका उन्हें अपने माता पिता के प्रभाव से प्रथक रखना और उचित शिक्षा देना है किंतु रुपये की कमी के कारण ऐसा प्रबन्ध होना कठिन है। फिर भी गोरखपुर में एक होस्टल खोला गया है जिसमें उन्नीस लड़के और चार लड़कियाँ रहती हैं। गोरखपुर सेटेलमेंट में रहने वाले डोम होस्टल में अपने बालक बालिकाओं को भर्ती कराने को तैयार हैं किन्तु इस काम के लिये न

तो स्थान दी है और न रुपया दी । जरायम पेशा जातियों के कुछ व्यक्ति उच्च शिक्षा भी पा रहे हैं आर्यनगर सेटेल्मेन्ट का एक बालक कानपुर के कृषि कालेज में पढ़ रहा है और कांथ सेटेलमेन्ट का एक बालक, बुलन्दशहर के कृषि स्कूल में पढ़ रहा है। इसी प्रकार नटवार जाति के कुछ बालक डी० ए० वी० कालेज कानपुर में पढ़ते हैं और कुछ अहेड़ियों ने भी अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली है

१९४४ ई० में सरकार ने सेटेलमेंट को निम्नलिखित सहायता दी :—

फजलपुर, कांट, साहबगंज,	२५७९२ रुपया
आर्यनगर	७०००० रुपया
गोरखपुर	२११३४ रुपया
कल्यानपुर	१५३५०० रुपया जिसमें उद्योग धन्धों की सहायता शामिल है।

इसके अतिरिक्त मुक्ति फौज को ६५ हजार रु० बिना सूद के दिया गया है, जो अभी तक उनके पास है । आर्य प्रतिनिधि सभा को भी ४७४६ रुपया बिना सूद के उधार दिया जा चुका है।

रिक्लेमेशन विभाग की ओर से प्रति वर्ष रिक्लेमेशन सप्ताह मनाया जाता है १९४४ ई० में गोरखपुर सेटेलमेन्ट में मनाया गया। बारी बारी से हर सेटेलमेन्ट में मनाया जाता है। इस अवसर पर हर सेटेलमेन्ट से दो टोलियां आती हैं जो खेल कूद और मनोरंजन में

भाग लेती हैं। इसके साथ में सेटेलमेंन्टों में बनी हुई वस्तुओं की प्रदर्शिनी भी होती है। इस साल की प्रदर्शिनी का उद्घाटन मि० सी० आर० जम्स आई० सी० एस० डिस्ट्रिक्ट ऐन्ड सेन्शस जज ने किया था और कमिश्नर साहब मि० एन० एस० वेट्स ने अन्तिम दिवस तक सभापति का आसन ग्रहण किया था।

———